भारतीय संविधान-सभा

भारतीय संविधान का प्रारूप



(हिन्दी संविधान-समिति द्वारा अनूदित)

१९४८

प्रकाशक—केन्द्रीय प्रकाशन-शाखा, भारत-शासन, दिल्ली

मुद्रक—अधीक्षक, शासन-मुद्रणालय, नागपुर

THE HINDI TRANSLATION COMMITTEE OF THE DRAFT CONSTITUTION OF INDIA

Shri Ghanshyam Singh Gupta—*Chairman*

Members

Dr Raghuvira
Pt Hari Bhau Upadhaya
Pt Kamlapati Tripathi
Dr Nagendra

FROM

THE HONOURABLE SHRI G S. GUPTA,

CHAIRMAN OF THE HINDI TRANSLATION COMMITTEE

TO

THE HONOURABLE THE PRESIDENT,

THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA,

NEW DELHI

SIR,

On behalf of the Hindi Translation Committee appointed by you, I beg to submit the Hindi version of the Draft Constitution of India, as finally passed by the Committee at its meeting on the 28th May 1948 On the very first day of our meeting it was made clear to us, by you, that we were not merely to make a popular translation of the Draft Constitution but should make it, as far as it lay within our power, as accurate and precise and as authoritative as the English Draft We were also told to choose words which are most likely to be common to the various Provinces of the Dominion of India We have tried to adhere to these directions But the difficulties in our way were obvious and many We, however, embarked on this difficult task as we thought that we might serve, though imperfectly, as sappers and miners in the process of making a new road for Hindi Up till now Hindi—in fact every other language of India—has been the vehicle of thoughts on subjects such as theology, poetry, history and the like Owing to political reasons and the domination of a foreign power, Hindi ceased to be the vehicle of higher scientific instructions, of law and of constitutions

2 The first step we took was to mark out technical words and phrases and fix upon suitable Hindi equivalents This was no easy job The words in common use in all languages are loose and do not convey precise meaning This was more so in the case of Hindi, as Hindi has never been used for making laws and drafting constitutions This took a considerable part of our time In this connection, we must record our feelings of gratitude for the great help that we received from one of our colleagues, Dr Raghuvira In fact, he has played the main part in supplying us with suitable words But our difficulty increased because the draft constitution in English changed considerably from time to time And after the Draft in the final form was received by us on the 26th of February 1948, the date for the first meeting of the Constituent Assembly varied from time to time

3 I hope you would kindly permit me to say a few words to remove some common fallacies which are prevalent generally in regard to this subject Some people think that the words in common parlance should suffice for the purpose of such drafting This is not possible in any language Each special subject has its specialised vocabulary and the popular language simply fails to serve the purpose Even a first class M A in English would be at sea if he were asked to read a page of a book on Integral Calculus or Thermo Dynamics This is an extreme example to illustrate my point

When such is the case with a developed language like English, it would be absurd to think that our present popular vocabulary of Hindi (or Hindustani) can serve the purpose in any specialised branch of knowledge or administration When we have to provide Hindi equivalents for words with fine distinctions like consent and assent, or recovery, realisation and receipt and a thousand others, the popular vocabulary simply fails One must learn the terminology to be able to understand the subject

4 Then there is another mistaken idea It is generally said that we must retain English words that have become current in Hindi language. That may be very good as far as popular language is concerned But when we go to specialised knowledge we have no alternative but to reject many of them I will illustrate my point Let us take the word "thermometer". It is a very common word and is understood even in villages For ordinary parlance nobody would like to substitute "thermometer" with any new Hindi equivalent But this "thermometer" though popular and may persist in the common man's language, will not and cannot find a place in a Hindi book on Physics If we keep one word like "thermometer" we have to keep hundreds of its unfamiliar derivatives and compounds

The same would apply in regard to Arabic and Persian words We gave considerable thought to this problem And as a result of our experience we came to the conclusion that Hindustani (fusion of Hindi and Urdu with varying degrees of Hindi and Urdu words in different localities) can remain only the spoken language of those areas It can become also the national language of India, but in the limited sense of common man's spoken language only The language of higher sciences of administration and law cannot be Hindustani There is no go from the position that it can be either Hindi derived mostly from Sanskrit or Urdu derived mostly from Arabic and Persian We cannot have both except in common parlance To give only one example and but a few of its derivatives let us take the word "law" "Law" has to be distinguished from rules, ordinances, regulations, orders and a lot others Its derivatives and compounds have also to be provided for For "law" alone it is easy and desirable to adopt a current Arabic word "Qanun" But if we have to make provision for the whole series, then we must either reject the word "Qanun", howsoever current and dear it may be, or else we must adopt a lot of other words to meet our requirements That must necessarily bring in new words of Persian and Arabic origin which are not common and have little affinity with our languages even as they are today The word "law" has no less than about 80 derivatives and compounds, *e g*, lawful, unlawful, lawless, law-abiding, law-giver, law-maker and so on and so forth In specialised branches of knowledge and administration we must choose either Hindi based on Sanskrit or Urdu based on Arabic and Persian We have decided in favour of Hindi for reasons which are obvious It has one great advantage, *viz*, these words would be common to most of the languages of the Dominion of India—Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, etc They are all of Sanskrit origin and even in the South, the Dravidian languages, particularly Telugu, Kanarese, Malayalam are highly nurtured in Sanskrit

5 I would beg your indulgence in trying to meet another criticism, which is likely to come from persons learned in Hindi literature, with respect to the choice of words and style

As to the choice of words, it is easy in many cases to suggest an alternative for the one accepted here For instance we have the words "Mantri", "Sachiva" and "Amatya" in Hindi which we have to fix for Minister and Secretary We have fixed "Mantri" for Minister and "Sachiva" for Secretary One may as well say, why not "Sachiva" or "Amatya" for Minister and "Mantri" or "Amatya" for Secretary On the face of it there

may not appear any reason for the choice But in many cases the choice of words has been after due deliberation, and in a few, after hours of discussions In this particular case we have chosen the word "Mantri" because it is on the *mantrana* (advice) of his Minister that the Governor acts, and "Sachiva" is from *Sacha*, one who is with his master

As to the style, we would like to impress that in every language each subject has its own style If this is borne in mind, the objection will melt The style differs from subject to subject Even in the English language, the style of literature is different from that of sciences and law The style of Shakespeare is not the style of the Law of Crimes Even in various branches of literature itself the style differs Poetry, drama and novel have each a different style Even the same author, when writing on different subjects, writes differently There is a world of difference in the styles of "The History of England" and the "Indian Penal Code" both by Lord Macaulay In the one case there is a flourish of language and in the other there is terseness In the former different words will be used to convey the same meaning to give beauty to the language while in the latter same words must be used to convey the same sense even to the point of becoming nauseating We are accustomed to this difference of style in the English language and, therefore, do not notice anything unusual in it But being a new thing for Hindi we fail to appreciate it and are prone to criticise In fact, we should realise that an altogether new road has to be built so far as Hindi is concerned We have to make it a language of law and of law courts and also of Sciences We have in a way to create new styles in Hindi to suit these new subjects As a matter of fact, the subject-matter will force its own style on the language, even if we failed to do it, provided of course, that we persist in making Hindi the vehicle of subjects like Law and Constitution

6 Faced with these difficulties and handicaps, we have tried to make the Draft as simple as could be consistent with accuracy of such a technical subject We have gone to the length of even changing our words almost up to the last moment, to introduce what may be called words of popular use But with all that, we must say that passages could still be pointed out, to fully understand which one has to acquire familiarity with new terms This can easily be done by any one possessing a fair knowledge of Hindi and of course of the subject-matter

7 We have been given the task of translating a terse document originally drafted in English and it was impossible to make it true and faithful without importing, in some degree, the spirit and atmosphere of the original, English If, however, the original Constitution itself had been framed in Hindi, the phraseology, syntax, spirit and atmosphere would have been our own without departing in any way from the basic conceptions

8 With these observations I beg to submit this Hindi Draft of the Constitution We are fully aware of the difficulties and our own limitations Nobody is so vain as to claim anything like perfection for this Draft, and we readily recognise the possibility of improvement by suitable amendments But what we do hope and pray for is that this may well serve to fulfil your noble wish to have the first Constitution of Free India framed in Hindi In giving vent to that sentiment, Sir, you have voiced the innermost feelings of the millions of our countrymen in the Dominion of India We have obtained political liberty but are still labouring under the dominance of the English language Under your wise guidance may God free us from that dominance also and the first Constitution of Free India be framed in Hindi.

9 Before I conclude I must express my gratitude to Dr Raghuvira for the invaluable help he gave in regard to terminology Shri Haribhau Upadhaya gave all attention to the work and his help has been invaluable My thanks are also due to Pandit Kamlapati Tripathi and Doctor Nagendra I have to express the appreciation of the Committee for the work done by Professor Balkrishna I have also to thank the staff of the Central Provinces Legislative Assembly for their ungrudging help Shri V K Aiyar, the Superintendent of the Government Press, Nagpur, rendered all possible help in the matter of printing and I must thank him for all that

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

G S GUPTA,

Chairman

तरफ से

माननीय घनश्यामसिंह गुप्त,
सभापति,
हिन्दी अनुवाद-समिति

सेवा में

माननीय प्रधान जी,
भारतीय संविधान-सभा,
नई दिल्ली.

श्रीमान् जी,

भारतीय संविधान के हिन्दी अनुवाद के लिये, आपने जो समिति बनाई थी उसकी ओर से आप की सेवा में हिन्दी संविधान का यह मसविदा पेश करता हू समिति ने इसे अपनी तारीख २८ मई १६४८ की बैठक में स्वीकार कर लिया है और आप की सेवा में पेश करने का मुझे अधिकार दिया है.

हमारी पहिली बैठक में ही श्रीमान् जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा अनुवाद, केवल साधारण जनता की जानकारी के लिये न हो वरन् ऐसा हो जो कानूनी पण्डितो की जाच में उतर सके और जिस की प्रामाणिकता उतनी ही हो जितनी कि अंग्रेजी मसविदा की. श्रीमान् जी ने यह भी इगित किया था कि उसमें प्रयुक्त शब्दावली प्राय: ऐसी हो जो इस भारत-अधिराज्य (इंडियन डोमीनियन) के अन्य प्रान्तो को समान रूप से ग्राह्य हो सके आप की इन हिदायतो को ध्यान में रखकर ही हमने अपना कार्य आरम्भ किया हमारे मार्ग में कई कठिनाइया थी जो प्राय. सबको विदित है. तथापि इस कठिन कार्य को करने की हमने हिम्मत की ताकि हिन्दी के लिये एक नये मार्ग के निर्माण में हम किसी प्रकार सफ़र मैना का काम दे सके अब तक हिन्दी का क्षेत्र सीमित था. धर्मग्रन्थ, कविता, उपन्यास, जीवनचरित्र आदि विषयो में हिन्दी का प्रयोग होता रहा. उच्च विज्ञान, विधान और संविधान का माध्यम हिन्दी नहीं रह गया था हमारी राजनैतिक परिस्थिति के कारण वह अंग्रेजी का विशेष क्षेत्र बना हुआ था इससे संविधान के हिन्दी अनुवाद में, जिसमें प्रामाणिकता का दावा हो सके, असाधारण कठिनाइयो का होना स्वाभाविक था.

२ पहिला कदम जो हमने उठाया वह यह था कि पारिभाषिक और विशेषार्थी अंग्रेजी शब्दो को छांटना और उनके पर्य्यायवाची शब्द को ढूढना, निश्चित करना अथवा नया निर्माण करना. यह कार्य कोई आसान नहीं था. इसमें पर्याप्त समय लगा इसके लिये इस कमेटी के सदस्य श्रीयुत डा. रघुवीर जी के हम आभारी है वास्तव में शब्द निर्माण का कार्य उन्हीं का कहा जा सकता है. हमारी कठिनाइया इसलिये भी बढीं कि अंग्रेजी का मसविदा (प्रारूप) समय समय पर पर्याप्त बदलता गया और जब हमें तारीख २६ फरवरी सन १६४८ ई को अन्तिम प्रारूप मिला तब संविधान की आगामी बैठक की तिथि दूर नहीं समझी गई यद्यपि वह पीछे बढ़ती गई, जिसका हम कुछ अधिक लाभ न उठा सके

३. विधान-शब्दावली सम्बन्धी कार्य अन्यत्र करने में जो आक्षेप मेरे सुनने में आये उनका यहा जिक्र करने के लिये आप से क्षमा चाहता हूं. उस प्रकार के भ्रम प्राय: पाये जाते है, इसीलिये उनको यहा दूर करना मै उचित समझता हू. कुछ लोगो की समझ है कि हमारी साधारण बोलचाल की भाषा इसके लिये पर्याप्त होनी चाहिये विशिष्ट ज्ञान की अथवा विधान की पुस्तको की भाषा को समझने की क्षमता साधारण लोगो को हो सकनी चाहिये. यह केवल भ्रम है. यह किसी भी भाषा में सम्भव नहीं सभी भाषाओ में विशेष विषय की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है जो साधारण बोलचाल की परिधि से विभिन्न होती है. जिसने अंग्रेजी-साहित्य में एम. ए. पास किया है ऐसे विद्यार्थी को भी यदि गणित की चलनकलन (इण्टिग्रल कैलकुलस) अथवा शाकव छेद (कानिक सेक्शन) सम्बन्धी अंग्रेजी की पुस्तक दे दी जाय तो वह उसके एक पृष्ठ को भी नहीं समझ सकेगा. यही बात न्यूनाधिक परिमाण में सब विषयो के लिये है. जब अंग्रेजी सरीखी समृद्ध भाषा की यह बात है तो हिन्दी के लिये यह समझना कि साधारण भाषा की जानकारी से हम विशेष विषयो के ग्रन्थो को समझ सके यह अज्ञानता की बात है. जब हमें सूक्ष्म भेद रखने वाले शब्दो के लिये हिन्दी पर्य्याय बनाना है तो साधारण भाषा पंगु हो जाती है. यथा.—प्रोफेशन, आकुपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कालिग्ज, और एम्प्लायमेन्ट किसी विशिष्ट विषय को समझने के लिये उसकी शब्दावली को पढ़ना होगा।

४. दूसरे प्रकार की एक और धारणा प्रायः पाई जाती है. कुछ लोग यह समझते है कि अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को हमें रखना चाहिये. यह साधारण बोल-चाल के लिये तो ठीक है, परन्तु विशेष विषय के ग्रन्थ के लिये ठीक नही. वहा तो इस प्रकार के कई शब्दों को हमें छोडना होगा. उदाहरण के लिये "थरमामीटर" को लीजिये. "थरमामीटर" बहुत प्रचलित शब्द है जिसे गांव वाले भी जानते है. यह शब्द प्रयोग में आता है और बोलचाल की भाषा में आगे भी आयेगा. बोलचाल में "थरमामीटर" के स्थान में हिन्दी पर्य्याय के उपयोग की आवश्यकता नहीं. परन्तु भौतिक विज्ञान की पुस्तक में इससे काम न चलेगा. यदि हम इस एक "थरमामीटर" शब्द को विज्ञान की पुस्तक में रखते है तो उसके पचासो व्युत्पन्न और संयुक्त शब्दो को भी रखना होगा. ये पचासो शब्द हमारे सर्वथा अपरिचित है. यथा—"थरमल कंडिशन".

ठीक यही बात अरबी और फारसी शब्दो की है इस विषय पर हमने गंभीरतापूर्वक विचार किया और अपने अनुभव के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि हिन्दुस्तानी (हिन्दी उर्दू का मिश्रण) साधारण बोलचाल की भाषा है और साधारण बोलचाल की भाषा बनी रहेगी. इससे आगे इसकी परिधि नही जा सकती. उच्च विज्ञान अथवा विधान की भाषा यह नहीं हो सकती. इनकी भाषा या तो हिन्दी (प्रायशः संस्कृतजन्य) या उर्दू (प्रायश. अरबी, फारसीजन्य) होगी. इसके सिवाय कोई चारा नहीं. उदाहरण के लिये "ला" शब्द को लीजिये. इसके लिये प्रचलित अरबी शब्द "कानून" है परन्तु जब हमें बोल चाल से आगे जाकर "ला, रूल्स, आरडिनेन्स, रेगुलेशन, आर्डर" आदि में भेद करने होगे और जब 'ला' के पचासो तद्भव शब्द बनाने होगे यथा "लाफुल, अनलाफुल, लालेस" आदि तब "कानून" से काम न चलेगा. एक प्रचलति शब्द "कानून" को रखने से उसके परिवार के पचासो शब्द हमें लेनें होगे जो हमारी भाषा में सर्वथा नये और अर्थहीन होगे. तब हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि एक प्रिय शब्द "कानून" को रख कर हम अनेको नये शब्दो का अर्थहीन भार उठायें या कि उस एक को छोडकर उस भार से मुक्त हो जावे और उससे भी अधिक अपनी भावी सन्तान को उस भार से मुक्त रक्खें. जबकि संस्कृतजन्य हिन्दी अथवा अरबी फारसीजन्य उर्दू के सिवाय तीसरा युक्तियुक्त मार्ग नही तो हमने स्वाभावत: हिन्दी को अंगीकार किया. इसमें एक विशेष सुविधा यह है कि भारत-अधिराज्य (इन्डियन डोमीनियन) की अन्य भाषाएं, मराठी, बंगाली, गुजराती भी संस्कृतजन्य होने के कारण, और तेलगू, कनाडी, मलयालम संस्कृत प्रचुर होने के कारण, उन प्रान्तीय भाषाओ को भी, यह शब्दावली प्राय. समान रूप से ग्राह्य होगी.

५. एक और आक्षेप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने के लिये आप से क्षमा चाहता हूं. यह आक्षेप कुछ हिन्दी साहित्य विज्ञों की ओर से शब्दो के चुनाव सम्बन्धी तथा हिन्दी की शैली के विषय में होता है. शब्दो के चुनाव के सम्बन्ध में, किसी एक चुने हुए शब्द के स्थान में दूसरा पर्य्यायवाची शब्द बनाना आसान है. उदाहरण के लिये हमारी भाषा में "मन्त्री", "सचिव" और "आमात्य" तीन शब्द है जिन्हे "मिनिस्टर" और "सेक्रेटरी" के लिये निर्धारित करना है. हमने "मिनिस्टर" के लिये "मन्त्री" और "सेक्रेटरी" के लिये "सचिव" रक्खा है. कोई यह कह सकता है कि "मिनिस्टर" के लिये "सचिव" अथवा "आमात्य" क्यो नहीं और "सेक्रेटरी" के लिये "मन्त्री" अथवा "आमात्य" क्यो नहीं रखना चाहिये. यो देखने से तो एक या दूसरा उतना ही ठीक प्रतीत होता है. परन्तु शब्दो का चुनाव प्राय : पर्याप्त विचार के पश्चात् ही किया गया है और कही कहीं तो घटो के विमर्श के बाद. अपने मिनिस्टर की मन्त्रणा से शासक (गवर्नर) का कार्य होता है, इसलिये मिनिस्टर के लिये मन्त्री रखा गया है सचा से सचिव बना है, जो अपने स्वामी के साथ रहता है इसलिये सेक्रेटरी को सचिव कहा गया है.

शैली के सम्बन्ध में यह निवेदन करना उचित होगा कि सभी भाषाओ में प्रत्येक विषय की अपनी विशेष शैली होती है. उसी भाषा में एक विषय की शैली दूसरे में उपयुक्त नहीं होती. अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य की जो शैली है वह विज्ञान की अथवा कानून की शैली नहीं. शेक्सपियर की अथवा सर वाल्टर स्काट की शैली में और दन्ड विधान की शैली में बडा अन्तर है. एक में तो भाषा को ललित और मनोहर बनाने के लिये उसी विचार के लिये भिन्न शब्दो का प्रयोग किया जाता है और दूसरे में उसी विचार को प्रगट करने के लिये उसी शब्द और उसी वाक्यांश का पुनः पुनः प्रयोग यहां तक किया जाता है कि वह कर्णकटु होने लगता है. उसी लेखक की भी भिन्न विषय की शैली भिन्न

होती है. लॉर्ड मेकाले की हिस्ट्री ऑफ इंग्लेंड की शैली और इण्डियन पीनल कोड की शैली में आकाश पाताल का अन्तर है यद्यपि दोनों का लेखक वही है. अंग्रेजी में तो इस भेद के हम अभ्यस्त होने के कारण इसमें हमें अनोखापन नहीं दीखता परन्तु यही चीज हमें हिन्दी में अनोखी दीखती है और हम विधान अथवा सविधान की शैली को साहित्य की शैली से तौलने लगते हैं. यह भूल जाते है कि हिन्दी के लिये वास्तव मे यह नया मार्ग है नये विषय के अनुरूप हमें कुछ नई शैली का निर्माण करना होगा जो साहित्य की शैली से कुछ भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती वास्तव में तो शैली के निर्माता लेखक नहीं होते विषय होता है और हिन्दी में विधान बनाना हम जारी रक्खें तो यह निश्चित है कि विधान का विषय हिन्दी में भी अपनी शैली बना लेगा, चाहे उसके प्रतिकूल हमारी कितनी भी इच्छा हो.

६ इन सब कठिनाइयो और अडचनो के अस्तित्व में, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सविधान के सदृश विशिष्ट विषय की परिशुद्धता और प्रामाणिकता में किसी भी प्रकार त्रुटि न आने पावे, सविधान का यह हिन्दी मसविदा जितना भी सरल बनाया जा सकता था उतना सरल बनाने का यत्न किया गया. प्राय: अन्तिम समय में भी हमने अपने निर्धारित शब्दो को बदला ताकि साधारण बोलचाल की भाषा के शब्दो को स्थान मिल सके परन्तु इन सब प्रयत्नो के बाद भी, हम यह नहीं कह सकते कि सविधान में ऐसे स्थान नहीं है जिनको पूरी तौर से समझने के लिये विशेष शब्दावली की जानकारी की आवश्यकता न हो इन शब्दो को जाने बिना यह सम्भव नही कि सविधान की सारी भाषा समझ में आ जावे परन्तु हम यह कह सकते है कि हिन्दी भाषा को और विषय को जानने वाले किसी सज्जन को इन शब्दो की जानकारी सहज में ही हो सकती है.

७ मूल सविधान अंग्रेजी में बना है जो कार्य हमें दिया गया है वह उसके अनुवाद का है सविधान सरीखे गूढ और जटिल विषय के सच्चे और प्रामाणिक अनुवाद में, मूल भाषा अंग्रेजी की आत्मीयता सर्वथा न हो यह सम्भव नहीं. हा यदि मूल विधान बनाने का कार्य ही हिन्दी में हुआ होता तो हम कह सकते है कि निर्धारित विचारो को सर्वथा कायम रखते हुए भी उसमें अंग्रेजी की आत्मीयता का सर्वथा अभाव होना सम्भव था और हिन्दी का अपना निर्मल सुन्दर स्वरूप हो सकता

८ इन विचारो को व्यक्त करते हुए, सविधान का हिन्दी प्रारूप (मसविदा) आप की सेवा म उपस्थित किया जाता है उक्त कठिनाइयो के साथ साथ हम अपनी न्यूनता को भी भूले नहीं हैं इस सविधान के लिये किसी का यह दावा नहीं कि यह सर्वथा ही निर्दोष है हम यह मानते है कि उपयुक्त सशोधन द्वारा इसमें सुधार होने की गुजाइश हो सकती है परन्तु एक बात की आशा हम अवश्य करते है और परमात्मा से प्रार्थना भी करते है कि यह मसविदा आप के उस पवित्र संकल्प में--स्वतन्त्र भारत का सविधान हिन्दी में बनाने में---सहायक हो भारत अधिराज्य के लाखो नरनारी इस बात में आप के पीछे है हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता तो मिल गई है परन्तु अभी भी हम अंग्रेजी भाषा के दास बने हुए हैं आप के नेतृत्व में परमात्मा उस गुलामी से भी हमें मुक्त करे और उसका श्रीगणेश हिन्दी में सविधान का बनना हो

९. सविधान के लिये शब्दावली देने के लिये हम डा रघुवीर के उपकृत है, इस दिशा में उनकी सहायता बहुमूल्य रही है श्रीयुत हरीभाऊजी उपाध्याय इस कार्य में पूर्ण दत्तचित्त रहे और उनकी सहायता विशेष महत्व की रही प कमलापतिजी त्रिपाठी तथा डा नगेन्द्रजी धन्यवाद के पात्र है प्रो बालकृष्ण जी के कार्य के लिये यह समिति अपना सन्तोष प्रकट करना चाहती है. मध्यप्रान्त और बरार की विधान-सभा के कार्यकर्ताओ ने भरसक सहायता दी उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र है. नागपुर सरकारी छापाखाने के अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग) श्रीयुत वी के अय्यर ने छापने के कार्य में सब प्रकार की सुविधा दी इसके लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र है.

भवदीय
विनीत सेवक,
घनश्यामसिंह गुप्त,
सभापति.

भारतीय संविधान का प्रारूप

पृष्ठ

सूची

अनुच्छेद पृष्ठ

भाग ५

संघ

अध्याय १—कार्यपालिका

प्रधान तथा उपप्रधान

मन्त्रिपरिषद्

भारत का महाप्राभिकर्ता

अनुच्छेद पृष्ठ

शासन-कार्य का संचालन

अध्याय २.—संसद्

सामान्य

ससद् के अधिकारी

कार्य-संचालन

सदस्यो की निर्योग्यताएँ

अनुच्छेद पृष्ठ

विकल्पत:

विकल्पत:

मन्त्रि-परिषद्

राज्य का महाधिवक्ता

शासन-कार्य का सचालन

अध्याय ३ —राज्य का विधान-मडल

सामान्य

अनुच्छेद पृष्ठ

भाग १२

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय १ ——सेवाएं

अध्याय २ ——लोक-सेवा-आयोग

भाग १३

निर्वाचन

भाग १४

अल्प सख्यको के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान

भाग १५

प्रकीर्ण

भाग १६

सविधान का सशोधन

भाग १७

अस्थायी और अन्तर्वर्ती प्रावधान

भाग १८

प्रारम्भ और विखण्डन

———

पृष्ठ

अनुसूचियां

अभयं मित्रादभयममित्राद्

अभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

भारतीय संविधान का प्रारूप

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ता-धारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य निर्माण करने तथा उसके समस्त जानपदों को :

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ;

स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और उपासना की ;

समता, प्रस्थिति की और अवसर की ;

प्राप्त कराने,

तथा उन सब में

बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो,

वर्धन करने,

के हेतु, कृतदृढसंकल्प, अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख ...... मई १९४८ ई, को इसके द्वारा इस संविधान को अंगीकार करते हैं, अधिनियम (ऐक्ट) का रूप देते हैं, और अपने आपको अर्पण करते हैं.

भाग १

संघ और उसका राज्यक्षेत्र तथा अधिकारक्षेत्र

सघ का नाम और राज्यक्षेत्र

१. (१) भारत राज्यो का संघ होगा.

(२) राज्यो से प्रथम अनुसूची (शिड्यूल) के भाग १, २ और ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य अभिप्रेत होंगे.

(३) भारत के राज्यक्षेत्र (टेरिटरी) के अन्तर्गत होंगे—

(क) राज्यो के राज्यक्षेत्र,

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यक्षेत्र, तथा

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अवाप्त (अक्वायर) किये जायें.

नये राज्यो का प्रवेशन तथा स्थापन.

२. संसद् (पार्लमेन्ट), समय समय पर, नये राज्यो का, विधि द्वारा ऐसे प्रतिबन्धो और अभिसमयो (टर्म्ज़) के साथ, जिनको वह उचित समझे संघ मे प्रवेशन अथवा स्थापन कर सकेगी.

नये राज्यो का निर्माण और वर्तमान राज्यो के क्षेत्रो, सीमाओ तथा नामो का परिवर्तन.

३. संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यो या राज्यो के भागों को मिला कर नया राज्य बना सकेगी ;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढा सकेगी ;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ;

(घ) किसी राज्य की सीमाओ में परिवर्तन कर सकेगी ;

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

पर इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक ससद् के किसी आगार में (पुर.स्थापित न किया जायगा) न रखा जायगा सिवाय भारत-शासन के द्वारा और वह भी तब तक नही जब तक कि—

(क) या तो—

(१) जिस राज्य से प्रदेश अलग या अपवर्जन (एक्स्क्लूड) किया जाना है उस राज्य के विधान-मण्डल में उस प्रदेश के प्रतिनिधियो की बहुसख्या ने इस विषय का अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्रधान को न किया हो, अथवा

(२) जिस राज्य की सीमाओ अथवा नाम पर विधेयक में दी जाने वाली प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव पडता हो उस राज्य के विधान-मडल ने इस विषय में संकल्प (रिजोलूशन) पारण (पास) न किया हो ; और

(ख) जब विधेयक (बिल) में दी हुई प्रस्थापना का प्रभाव किसी ऐसे राज्य की सीमाओ अथवा नाम पर पडता हो जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो से भिन्न हैं, तो विधेयक (बिल) को (पुर स्थापित करने) रखने की प्रस्थापना

के सम्बन्ध में और उस विधेयक के प्रावधानो के सम्बन्ध में प्रधान ने उस राज्य के विधानमडन्न के विचार निश्चित रूप से न जान लिये हो, और जब ऐसी प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की सीमाओ अथवा नाम पर पडता हो तो उस प्रस्थापना के लिये उस राज्य की पूर्व सहमति न ले ली गई हो.

४. (१) इस सविधान के अनुच्छेद २ अथवा अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में, प्रथम अनुसूची के सशोधनार्थ, ऐसे प्रावधान होगे, जो उस विधि के प्रावधानो को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो, तथा ऐसे आनुषंगिक और समनुवर्ती प्रावधान (इन्सीडेन्टल एन्ड कॉन्सीक्वेशल प्रॅविजन्स) भी हो सकेगे, जिन्हे संसद् (पार्लमेन्ट) आवश्यक समझे.

(२) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, अनुच्छेद ३०४ के प्रयोजनार्थ इस सविधान का संशोधन नहीं समझी जायगी.

भाग २

जानपदत्व (सिटीजनशिप)

सविधान की प्रारम्भ-तिथि पर जानपदत्व

५. इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर—

(क) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनको (माता पिता) में से एक भी अथवा जिसके महाजनको (महापिता के मातापिताओ) में से कोई इस सविधान द्वारा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था और जिसने अप्रैल, सन १९४७ ई. के प्रथम दिवस के पश्चात् अपना स्थायी वास किसी विदेशी राज्य में नहीं किया है, और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनको में से एक भी, अथवा जिसके महाजनको में से कोई, भारत शासन अधिनियम (गवर्न्मेन्ट आफ इन्डिया एक्ट), सन १९३५ ई. (यथा मूलत. अधिनियमित) द्वारा परिभाषित भारत में, अथवा ब्रह्मदेश, लंका, अथवा मलय देश में जन्मा था और जिसका अधिवास (डोमिसाइल) इस सविधान द्वारा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में है,

भारत का जानपद होगा, यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने किसी विदेशी राज्य का जानपदत्व अवाप्त नही कर लिया है.

व्याख्या —इस अनुच्छेद के खड (ख) के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास रखने वाला समझा जायेगा —

(१) यदि उसका ऐसे राज्यक्षेत्र में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (इन्डियन सक्सेशन एक्ट), सन १९२५ ई., के भाग २ के अधीन अधिवास हुआ होता, यदि उस भाग के प्रावधान उस पर लागू होते, अथवा

(२) यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने मण्डलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) के कार्यालय में ऐसे अधिवास को अवाप्त करने की इच्छा की लिखित घोषणा दे दी हो और उस घोषणा की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में निवास कर लिया हो

ससद् का विधि द्वारा जानपदत्व-अधिकार का आनियमन.

६. संसद्, विधि द्वारा, जानपदत्व की अवाप्ति और अवसान तथा तत्सम्बन्धी अन्य सब बातो के लिये और भी प्रावधान बना सकेगी.

भाग ३

मूलाधिकार

सामान्य

७. यदि प्रसग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस भाग में "राज्य" शब्द में भारत के शासन और ससद् तथा राज्यो में से प्रत्येक के शासन और विधान-मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्रान्तर्गत सब स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारियो का समावेश है.

८. (१) इस सविधान के प्रारम्भ होने से सद्य पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सब विधिया, उस मात्रा तक, शून्य होगी, जिस तक कि वे इस भाग के प्रावधानो से असगत है

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नही वनायेगा जिसमे इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारो का अपहरण अथवा न्यूनन होता हो और इस खड के प्रतिकूल वनी प्रत्येक विधि प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगी

पर इस खड की कोई वात किसी वर्तमान विधि से पैदा हुई असमता, विषमता, असुविधा अथवा विभेद को हटाने के लिये विधि वनाने में वाधक न होगी.

(३) इस अनुच्छेद में "विधि" शब्द में ऐसे सब अध्यादेश (ऑर्डिनन्स), आदेश, उपविधि (वाइ-लॉ), नियम, आनियम (रगुलेशन), अधिसूचना (नोटिफिकेशन), रूढि अथवा परिपाटी समाविष्ट होगी जिनका भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में विधि सदृश प्रभाव है.

समताधिकार

९ (१) राज्य किसी जानपद के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति (रेस), जाति, लिंग अथवा इन में मे किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा

विशेषतया केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई जानपद—

(क) दुकानो, सार्वजनिक उपाहारगृहो (रेस्टोरण्ट), विश्रान्तिगृहो (होटल), तथा सार्वजनिक आमोद स्थानो में प्रवेश, अथवा

(ख) पूर्णत अथवा अशत राज्य-आगम से सवृत, अथवा लोक-उपयोग के लिये समर्पित कुओ, जलाशयो, सडको तथा लोक-समागम स्थानो के उपयोग,

सम्बन्धी किसी भी अयोग्यता, देयता (लाएविलिटी), आयन्त्रण (रिस्ट्रिक्शन) अथवा प्रतिबन्ध के अधीन न होगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी वात से राज्य को स्त्रियो और वालको के लिये कोई विशेष प्रावधान वनाने में रुकावट न होगी.

१०. (१) सव जानपदो को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में अवसर-समता होगी.

(२) कोई जानपद केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वश, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर राज्याधीन किसी पद के लिये अपात्र न होगा.

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी जानपद वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण (रिज़र्वेशन) के लिये प्रावधान करने में कोई रुकावट न होगी.

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो प्रावधान करती हो कि किसी धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी मंडल का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का ही हो.

अस्पृश्यता का अन्त

११. "अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित किया जाता है. "अस्पृश्यता" जन्य किसी अयोग्यता को लागू करना विध्यनुसार दंडनीय अपराध होगा.

उपाधियों का अन्त

१२. (१) राज्य कोई उपाधि प्रदान न करेगा.

(२) भारत का कोई जानपद किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार न करेगा.

(३) राज्य के अधीन लाभ-पद अथवा विश्वास-पद पर आरूढ़ कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन, कोई भेंट, परिलाभ (इमोल्यूमेण्ट), उपाधि, अथवा पद, प्रधान की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा.

वाक् स्वातन्त्र्य आदि से सम्बद्ध कुछ अधिकारों का रक्षण

१३. (१) इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए सब जानपदों को अधिकार होगा—

(क) भाषण और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का;

(ख) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) पार्षद् (असोसिएशन) अथवा संघ (यूनियन) बनाने का;

(घ) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में अबाध पर्यटन का;

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का,

(च) सम्पत्ति के अर्जन, संधारण और व्ययन का; और

(छ) कोई व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य अथवा व्यापार करने का.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (क) की किसी बात से, अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान हानि, राजद्रोह, अथवा शिष्टता या शील पर आघात, या राज्य के प्राधिकार (अथॉरिटी) अथवा उसके आधार को जर्जर करने वाली किसी बात सम्बन्धी किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की किसी बात से लोक-व्यवस्था के हित में उक्त खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रणों का आरोप करने वाली किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये रुकावट न होगी.

(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की किसी बात से जन सामान्य के हितों के लिये उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रण आरोप करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

(५) उक्त खंड के उपखड (घ), (ङ) और (च) की किसी बात से जन-सामान्य के हित में अथवा किसी आदिवासी जाति के हित-रक्षार्थ उक्त उपखडो द्वारा प्रदत्त अधिकारो में से किसी के प्रयोग पर आयन्त्रण आरोप करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्त्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

(६) उक्त खड के उपखड (छ) की किसी बात से लोक-व्यवस्था, लोक-शील और लोक-स्वास्थ्य के हित में उक्त उपखड द्वारा प्रदत्त अधिकारो के प्रयोग पर आयन्त्रणो का आरोप करने वाली और विशेषतया किसी व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य अथवा व्यवहार करने के लिये व्यावसायिक अथवा प्रौद्योगिक (टैक्निकल) योग्यताओ का विनिधान अथवा किसी प्राधिकारी को विनिधान करने की शक्ति प्रदान करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा विधि बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

१४. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषी न ठहराया जायगा जब तक कि वह किसी ऐसी विधि का उल्लघन न करे जो अपराधारोपित क्रिया करने के समय प्रवृत्त थी और न वह उससे अधिक दड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था.

(२) कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिये एक बार से अधिक दडित न किया जायेगा.

(३) किसी अपराध में कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वय अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये सबाधित न किया जायगा.

१५ भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वातत्र्य से विधि द्वारा नियत कार्य-प्रणाली को छोडकर अन्य प्रकार वचित न किया जायगा और न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता से अथवा विधियो के सम रक्षण से वचित रखा जायेगा.

१६. इस सविधान के अनुच्छेद २४४ के प्रावधानो के और ससद् द्वारा बनाई हुई किसी भी विधि के अधीन रहते हुए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा.

१७. (१) मानव-पणन और बेगार तथा अन्य किसी प्रकार के बलात्श्रम वर्जित किये जाते है और इस प्रावधान का कोई भी अतिक्रमण विध्यनुसार दडनीय अपराध होगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को लोक-प्रयोजनार्थ अनिवार्य सेवा का आरोप करने में रुकावट न होगी ऐसी सेवा का आरोपण करने में प्रजाति, धर्म, जाति अथवा वर्ग के आधार पर राज्य कोई विभेद न करेगा.

१८. चौदह वर्ष के कम आयु वाले किसी भी बालक को किसी निर्माणी (फैक्टरी) अथवा खान में सेवायोजित न किया जायेगा और न किसी और सकटास्पद सेवायोजन में लगाया जायगा.

धर्म सम्बन्धी अधिकार

विश्वास स्वातन्त्र्य तथा धर्म के अवाध मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वातन्त्र्य

१९. (१) लोक की व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानो के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियो को विश्वास स्वातन्त्र्य का तथा धर्म को अबाध रूपेण मानने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा.

व्याख्या.—कृपाण का धारण तथा वहन सिखधर्म के आचरण का अग माना जायगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य को अवरोध, न होगा जो—

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वैत्तिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की ऐहिक क्रियाओ का आनियमन अथवा आयंत्रण करती हो ;

(ख) सामाजिक कल्याण अथवा सुधार के लिये हो अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक धर्म-संस्थाओ को हिन्दुओ के किसी वर्ग अथवा विभाग के लिये खोलती हो.

धार्मिक कार्यों के प्रवन्ध और धार्मिक तथा परोपकारी प्रयोजन के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, अवापन और प्रशासन का स्वातन्त्र्य

२०. प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को—

(क) धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनो के लिये संस्थाओ के स्थापन और संधारण करने का ;

(ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयो के प्रबन्ध करने का ;

(ग) चल और अचल सम्पत्ति के अवापन और स्वामित्व का ; तथा

(घ) ऐसी सम्पत्ति के विध्यनुसार प्रशासन करने का,

अधिकार होगा.

विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति तथा संधारण के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध मे स्वातन्त्र्य

२१. कोई भी व्यक्ति ऐसे करो को देने के लिये संबाधित न किया जायगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति अथवा संधारण में व्यय करने के लिये विशिष्ट रूप से नियत कर दी गयी हो.

कुछ शैक्षिक सस्थाओ मे धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना मे सम्मिलित होने के विषय मे स्वातन्त्र्य

२२. (१) राज्य-प्रणीवि (स्टेट-फंड) से पूर्णतः संधारित किसी शैक्षिक संस्था में, राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी :

पर इस खंड की कोई बात ऐसी शैक्षिक सस्था पर लागू न होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित हैं किन्तु जो किसी ऐसी नीवि अथवा प्रन्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है.

(२) राज्याभिज्ञात अथवा राज्य-प्रणीवि से सहायता पाने वाली शैक्षिक संस्था में जानेवाले किसी व्यक्ति को, ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक

उपासना में, सम्मिलित होने के लिये तब तक सम्बाधित न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अल्पवयस्क हो तो उसके सरक्षक ने, इसके लिये अपनी सहमति न दे दी हो.

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से, किसी समुदाय अथवा सम्प्रदाय के लिये, अपने समुदाय अथवा सम्प्रदाय के विद्यार्थियो को शैक्षिक सस्था के कार्यकाल के पश्चात् धार्मिक शिक्षा देने में रुकावट न होगी.

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

२३. (१) भारत के राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी जानपदो के किसी विभाग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और सस्कृति है, इन के समारक्षण का अधिकार होगा.

(२) धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत किसी भी अल्पसख्यक वर्ग के विरुद्ध किसी राज्य सधृत शैक्षिक सस्था में उस वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ प्रवेश सम्बन्धी कोई विभेद न किया जायगा.

(३) (क) धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत सब अल्पसख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षिक सस्थाओ के स्थापन और प्रशासन का अधिकार होगा.

(ख) शैक्षिक सस्थाओ को सहायता के अनुदान करने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध विभेद इसी कारण से न करेगा कि वह धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत किसी अल्पसख्यक वर्ग के प्रवन्ध में है.

साम्पत्तिक अधिकार

२४. (१) कोई व्यक्ति विना विधि-प्राधिकार के अपनी सम्पत्ति से वचित न किया जायेगा.

(२) कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिग) में अथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले प्रमडल (कपनी) में, है, ऐसी विधि के अधीन, जो ऐसी धृति अथवा अवाप्ति का प्राधिकार देती है, लोकप्रयोजनार्थ धृत अथवा अवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, धृत अथवा अवाप्त सम्पत्ति के लिये मुआविजे का प्रावधान न करती हो और या तो मुआविजे की राशि का निश्चय न कर दे या उन सिद्धान्तो और रीति का उल्लेख न कर दे जिनसे मुआविजे का निश्चय होना है

(३) इस अनुच्छेद के खड (२) की किसी बात का प्रभाव न पडेगा—

(क) किसी वर्तमान विधि के प्रावधानो पर, अथवा

(ख) किसी विधि के प्रावधानो पर, जिसे राज्य इसके पश्चात् कर लगाने अथवा सग्रह करने के लिये या लोक-स्वास्थ्य की वृद्धि अथवा जीवन या सम्पत्ति को विपत्ति से वचाने के लिये बनाये.

सांवैधानिक उपचाराधिकार

२५ (१) इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारो की पूर्ति कराने के लिय सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाहियो द्वारा प्रेरित करने का अधिकार (गारटी) प्रत्याभूत किया जाता है

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में प्रदत्त अधिकारो में से किसी की भी पूर्ति कराने के लिये बन्द्युपस्थापन, परमादेश, पतिबध, अधिकारपृच्छालेख, उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश अथवा आदेश, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी.

(३) ससद, विधि द्वारा, किसी दूसरे न्यायालय को, अपने अधिकारक्षेत्र की स्थानीय सीमाओ के भीतर इस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी.

(४) इस संविधान में अन्यथा प्रावहित अवस्था को छोडकर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार स्थगित न किये जायेंगे.

इस भाग द्वारा प्रत्याभूत अधिकारो का वलो की प्रयुक्ति की अवस्था मे सपरिवर्तन करने की ससद् की शक्ति.

२६. ससद् विधि द्वारा निश्चय कर सकेगी कि इस भाग में प्रत्याभूत अधिकारो को, सशस्त्रबल अथवा लोक-व्यवस्था-भारवाही बल के सदस्यो के लिये प्रयुक्त होने की अवस्था में, उनके निश्चय रूप से कर्तव्यो के उचित पालन करने और उन में अनुशासन स्थिर रखने के हेतु किस मात्रा तक संकुचित या निराकृत किया जाये.

इस भाग के प्रावधानो को प्रभावी करने के लिये विधान.

२७. इस सविधान में अन्यत्र दी हुई किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग १ और भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को यह शक्ति न होगी और संसद् को यह शक्ति होगी कि वह—

(क) किसी ऐसे विषय के लिये जिसका इस भाग के अनुसार संसद् के लिये विधान द्वारा प्रावधान करना आवश्यक है ; तथा

(ख) इस भाग में अपराध घोषित कार्यो के लिये दड विनिधानार्थ ;

विधि बनाये और इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे विषयो के प्रावधानार्थ तथा ऐसे कार्यो के लिये दड विनिधानार्थ विधि बनायेगी :

पर इस अनुच्छेद के खड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय सम्बन्धी, अथवा इस भाग में अपराध घोषित किसी कार्य के लिये दड-विनिधानकारी, भारत के राज्यक्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग में, प्रवृत्त, कोई विधि तव तक प्रभावी रहेगी जब तक कि संसद् अथवा अन्य योग्य प्राधिकारी द्वारा वह परिवर्तित अथवा विखडित (रिपील्ड) अथवा सशोधित न की जाय.

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त

२८. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है

२९ इस भाग में दिये गये प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे, तथापि उनमें दिये हुए सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन सिद्धान्तो का अनुसरण करना राज्य का कर्तव्य होगा

३० राज्य का प्रयास होगा कि, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को, जितना हो सके, परिणामकारी रूप में, स्थापना तथा रक्षा करके, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाएं अनुप्राणित हों, लोक हित-वृद्धि करे

३१ विशेषतया राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा--

(१) कि नर और नारी सभी जानपदों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ,

(२) कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो कि जिससे सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम अनुसेवन हो ,

(३) कि आर्थिक व्यवस्था के चालन का ऐसा परिणाम न हो कि धन और उत्पादन-साधनो का सार्वजनिक अहितकारी सकेंद्रण हो ,

(४) कि पुरुषों तथा स्त्रियो दोनो को ही समान कार्य के लिये समान वेतन मिले ,

(५) कि कर्मकारी पुरुषो तथा स्त्रियो की शक्ति और स्वास्थ्य का तथा बालको के सुकुमार वयस का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर जानपदों को अपने वय अथवा शक्ति के अननुकूल उपव्यवसायो (अवोकेशन्स) में न जाना पड़े ;

(६) कि बाल्यकाल और युवावस्था का विदोहन तथा आचारिक और आर्थिक परित्यजन से रक्षण हो

३२ राज्य, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओ के भीतर कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा वृत्तिहीनता, वृद्धता, रुग्णावस्था, अयोग्यावस्था तथा अन्य अनर्ह अभावावस्थाओं में लोक साहाय्याधिकार का फलदायी प्रावधान करेगा.

३३ राज्य, कर्म की न्याय्य तथा दयायुक्त दशाओ तथा प्रसूति साहाय्य के लिये प्रावधान करेगा

कर्मकारियो के लिये निर्वाह-भृत्ति आदि

३४. उपर्युक्त विधान अथवा आर्थिक संघटन द्वारा अथवा, और किसी प्रकार से राज्य, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकार के सब कर्मकारियो को कार्य, निर्वाह-भृत्ति, समुचित जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग, निश्चित करने वाली कार्य की दशा, तथा सामाजिक और सास्कृतिक सुयोग, प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा.

जानपदो के लिये एकविध समान व्यवहार सहिता

३५. भारत के साद्यन्त राज्यक्षेत्र में जानपदो के लिये राज्य, एकविध व्यवहार-संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा.

नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान

३६. प्रत्येक जानपद निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकारी होगा और राज्य का प्रयत्न होगा कि इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि में सब बालको और बालिकाओ को वह चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध करे.

अनुसूचित जातियो, आदिवासी जातियो तथा अन्य दुर्बल भागो के शैक्षिक तथा आर्थिक हितो की वृद्धि.

३७. राज्य, लोक के दुर्बल भागो के, विशेषतया अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित वनजातियो के, शैक्षिक तथा आर्थिक हितो की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के विदोहन से उनकी रक्षा करेगा.

आहार-पोषण-तल और जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

३८. राज्य अपने लोगो के आहार-पोषण-तल की तथा जीवन-स्तर की उन्नति को तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को, अपने प्राथमिक कर्तव्यो में से मानेगा.

राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओ, स्थानो, आस्मारको का रक्षण, परिरक्षण तथा सधारण

३९ ससद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किये गये प्रत्येक कलायुक्त अथवा ऐतिहासिक महत्ववाले आस्मारक अथवा स्थान अथवा वस्तु का प्रसगानुसार बिगाडने, नाशन, अपनयन, हस्तान्तरकरण अथवा निष्क्रामण से रक्षण करने का तथा ऐसे सब आस्मारको, स्थानो अथवा वस्तुओ के ससद् द्वारा बनाई हुई विध्यनुसार परिरक्षण तथा सधारण करना राज्य का कर्तव्य होगा.

अन्ताराष्ट्रीय शान्ति और निःशकता का प्रवर्तन-रक्षण.

४०. राष्ट्रो के बीच, अगुप्त, न्याय्य तथा सम्मान्य सम्बन्धो का विनिधान कर के, अंताराष्ट्रीय विधि की मान्यताओ को, राज्यो के पारस्परिक आचार के वास्तविक नियम के रूप मे दृढतापूर्वक स्थापित करके तथा सगठित लोगो के आपसी व्यवहारो में न्याय-सधारण और सधिबन्धनो का पालन करके, राज्य अन्ताराष्ट्रीय शान्ति और नि शकता को बढ़ाएगा

भाग ५

संघ

अध्याय १.—अधिशासन

प्रधान तथा उपप्रधान

४१ भारत का एक प्रधान होगा.

४२ (१) संघ की अधिशासी शक्ति प्रधान में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग, इस संविधान तथा विधि के अनुसार कर सकेगा

(२) पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च समादेश प्रधान में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से आनियमित होगा

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) किसी वर्तमान विधि द्वारा, किसी राज्य के शासन अथवा अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त कोई प्रकार्य (फक्शन्स) प्रधान को दिया जाना न समझा जायेगा ; या

(ख) संसद् द्वारा प्रधान के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियो को विधि द्वारा प्रकार्य प्रदान में बाधा न होगी.

४३ प्रधान का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक निकाय के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) संसद् के दोनो आगारो के सदस्य, तथा

(ख) राज्यो के विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य

होंगे

४४ (१) जहा तक व्यवहार्य्य हो, प्रधान के निर्वाचन में विभिन्न राज्यो के प्रतिनिधान की माप-श्रेणी में एकरूपता होगी

(२) ऐसी एकरूपता करने के लिये संसद् तथा प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकारी है उसकी संख्या आगामी रीति से निश्चित की जायेगी —

(क) किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक सहस्र के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यो की समस्त संख्या से भाग देने से आये ,

(ख) एक सहस्र के उक्त गुणितो को लेने के पश्चात् यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतो की सं ,म एक और जोड़ दिया जायेगा ;

(ग) संसद् के किसी आगार के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतो की संख्या वही होगी जो इस खड के उपखंड (क) तथा (ख) द्वारा राज्यो के विधान-मंडलो के सदस्यो के लिये नियत समस्त मत-संख्या को इन सदस्यो की समस्त संख्या के भाग देने से आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को बढा कर एक गिना जायेगा और अन्य भिन्नो की उपेक्षा की जायेगी.

(३) प्रधान का निर्वाचन एकल सक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान रीति के अनुसार होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़शलाका (बैलट) द्वारा होगा.

व्याख्या.—यदि विधान मंडल द्वि-आगारिक हो तो इस अनुच्छेद में "किसी राज्य के विधान-मंडल" से विधान मडल का अवर आगार अभिप्रेत है, तथा "जन-सख्या" से अन्तिम पूर्ववर्ती जन-गणना में निश्चित की गई जन-संख्या अभिप्रेत है.

प्रधान की पद-अवधि

४५. प्रधान अपने पद-प्रवेश तिथि से पाच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

पर—

(क) प्रधान राज्य-परिषद् के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर प्रधान, इस संविधान के अनुच्छेद ५० में प्रावहित रीति से किये गये प्राभियोग (इम्पीचमेन्ट) द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ;

(ग) प्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पदप्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा.

पुर्नर्निर्वाचन के लिये पात्रता.

४६. कोई व्यक्ति, जो प्रधान के पद पर है अथवा रह चुका है, उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुर्नर्निर्वाचन का पात्र होगा.

प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यताएँ

४७ (१) कोई व्यक्ति प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा। जब तक कि वह—

(क) भारत का जानपद न हो,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, और

(ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो.

(२) कोई व्यक्ति, जो भारत-शासन के अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन, अथवा उक्त शासनो में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ है, प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा.

व्याख्या.—इस खड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ केवल इसी लिये न समझा जायेगा कि —

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मत्री है ; अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां विधान-मंडल के अवरागार के प्रति उत्तरदायी है, और यदि विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं

४८ (१) प्रधान न तो संसद् का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद् का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य प्रधान निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद् का अथवा उस विधान मंडल का, जैसी कि स्थिति हो, अपना स्थान, प्रधान पद प्रवेश तिथि से रिक्त कर दिया है

(२) प्रधान, परिलाभ का अन्य कोई पद अथवा स्थिति ग्रहण न करेगा.

(३) प्रधान के लिये पदावास रहेगा और उसको वे परिलाभ और अधिदेय (अलाउन्स) दिये जायेंगे जो संसद् विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बनें तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा अधिदेय दिये जायेंगे

(४) प्रधान के परिलाभ तथा अधिदेय उसकी पदावधि में घटाये न जायेंगे.

४९ प्रत्येक प्रधान, और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रधान का स्थानापन्न है अथवा उसके प्रकार्यों को करता है, अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निम्न निश्चयोक्ति करेगा अथवा शपथ लेगा, अर्थात्—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक निश्चयोक्ति करता (शपथ लेता) हूं कि मैं सच्चे हृदय से भारत के प्रधान पद का निष्पादन (अथवा प्रधान के प्रकार्यों का निर्वाहन) करूंगा तथा अपनी उत्कृष्टतम् योग्यता से संविधान और विधि का रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं अपने को भारत की जनता की सेवा और कल्याण में तनमन से लगाऊंगा"

५० (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब प्रधान का अभियोग करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान, संसद् का कोई एक आगार करेगा.

(२) ऐसे किसी दोषारोप का तब तक पुरोधान न किया जायगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक संकल्प के रूप में न हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जिस पर उस आगार के तीस से अन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया हो, और

(ख) इस संकल्प का समर्थन, उस आगार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों ने न किया हो

(३) जब दोषारोप का पुरोधान संसद् के किसी आगार द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा आगार उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा और इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान को अधिकार होगा.

(४) यदि अनुसंधान के परिणामस्वरूप, प्रधान के विरुद्ध पुरोधान किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, दोषारोप का अनुसंधान करने या कराने वाले आगार के सदस्यो की समस्त संख्या की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित होकर पार (पास) हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, उसकी पारण तिथि से, प्रधान का अपने पद से निष्कासन होगा.

प्रधान-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन समय तथा आकस्मिक रिक्तिपूरक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

५१. (१) प्रधान की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन, अवधि-अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा.

(२) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, अथवा अन्य कारण से हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और हर अवस्था में छ-मास बीतने के पहले किया जायगा; और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति, इस संविधान के अनुच्छेद ४५ में प्रावहित पाच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये पदधारण करने का अधिकारी होगा.

भारत का उपप्रधान

५२. भारत का एक उपप्रधान होगा.

उपप्रधान पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा

५३. उपप्रधान अपने पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा और अन्य किसी परिलाभ का पद अथवा स्थिति धारण न करेगा :

पर जिस किसी कालावधि में उपप्रधान, प्रधान का स्थानापन्न होता है अथवा इस संविधान के अनुच्छेद ५४ के अधीन प्रधान के प्रकार्यों को करता है, तब वह राज्य परिषद् के सभापति-पद के कर्त्तव्यो को न करेगा.

प्रधान की अनुपस्थिति अथवा उसके पद की आकस्मिक रिक्ति के काल मे उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकार्य अथवा उसके पद के कर्त्तव्यो का पालन

५४. (१) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन अथवा अन्य कारण से पद-रिक्ति की अवस्था में उपप्रधान उस तिथि तक प्रधान का स्थानापन्न होगा जब तक कि इस अध्याय के ऐसी रिक्ति-पूर्ति सम्बन्धी प्रावधानो के अनुसार निर्वाचित नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे.

(२) अनुपस्थिति, रुग्णावस्था अथवा किसी अन्य कारण से जब प्रधान अपने प्रकार्य करने में असमर्थ हो तब उपप्रधान उसके प्रकार्यों का पालन उस तिथि तक करेगा जिस तिथि को प्रधान अपने कर्तव्यो का पुनर्ग्रहण करे.

(३) उपप्रधान उस कालावधि में और उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब कि वह प्रधान का इस प्रकार स्थानापन्न है, अथवा उसके प्रकार्यों का पालन कर रहा है, प्रधान की सब शक्तियो और विमुक्तियो का अधिकारी होगा.

उपप्रधान का निर्वाचन

५५. (१) संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित संसद् के उभय आगारो के सदस्यो द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा उपप्रधान का निर्वाचन होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढशलाका द्वारा होगा.

(२) उपप्रधान न तो संसद् का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद् अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य उपप्रधान निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद् का अथवा उस विधान-मंडल का अपना स्थान, जैसी कि स्थिति हो, उपप्रधान-पद-प्रवेश-तिथि मे रिक्त कर दिया है.

(३) कोई व्यक्ति उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(क) भारत का जानपद न हो,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो; और

(ग) राज्य-परिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित होने का पात्र न हो.

(४) कोई व्यक्ति, जो भारत शासन के अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन अथवा इनमें से किसी शासन से नियन्त्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ है, उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा.

व्याख्या.—इस खड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ केवल इसीलिये न समझा जायगा कि—

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है, अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मडल के प्रति अथवा जहा राज्य के विधान-मडल के दो आगार हैं, वहा विधान-मडल के अवर आगार के प्रति, उत्तरदायी है और यदि विधान-मडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं

(५) उपप्रधान की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन, अवधि अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा.

(६) उपप्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन अथवा अन्य कारण से हुई पद-रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन इस रिक्ति की तिथि के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किया जायगा और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति इस सविधान के अनुच्छेद ५६ में प्रावहित पाच वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद धारण करने का अधिकारी होगा.

५६. उपप्रधान अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पाच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा·

पर—

(क) उपप्रधान, प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपने पद को त्याग सकेगा;

(ख) उपप्रधान, राज्य-परिषद् के ऐसे सकल्प द्वारा अपने पद से असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के लिये निष्कासित किया जा सकेगा जिसे परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुमत ने पारण किया हो तथा जिसे लोक-सभा की स्वीकृति प्राप्त हो परन्तु इस खड के प्रयोजनार्थ कोई भी सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायगा जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गयी हो;

(ग) उपप्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-प्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा.

अन्य किसी सम्भाव्यता मे प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ प्रावधान वनाने की ससद् की शक्ति.

५७. इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता (कान्टिन्जेन्सी) में प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ संसद्, जैसा उचित समझे, वैसा प्रावधान बना सकेगी.

प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय.

५८. (१) प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सब संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ट और निर्णीत होंगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा.

(२) इस संविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन विषयक अथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन ससद् विधि द्वारा कर सकेगी.

क्षमण, आदि की तथा कुछ अभियोगो मे दडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेश करने की प्रधान की शक्ति

५९. (१) किसी अपराध के लिये दोषप्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमण, प्रविलम्बन (रेप्रीव), प्रास्थगन (रेस्पिट) या परिहरण (रेमिशन) प्रदान करने की अथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन (कम्यूट) करने की प्रधान को शक्ति होगी—

(क) उन सब अवस्थाओ में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय द्वारा दिया गया हो ;

(ख) उन सब अवस्थाओ में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के अधीन अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय के लिये विधि बनाने की शक्ति संसद् को है और उस राज्य के विधान-मंडल को नहीं है जिसमें कि अपराध किया गया हो ;

(ग) उन सब अवस्थाओ में, जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखण्ड (क) की किसी बात से, भारत के सशस्त्र बलो के किसी अधिकारी की, सेना न्यायालय द्वारा दिये गये दडादेश के स्थगन, परिहरण, अथवा हल्का करने की, विधि प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा.

(३) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (ग) की किसी बात से, उस समय प्रवर्तमान, किसी विधि के अधीन, राज्य के शासक अथवा नरेश द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु-दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा हल्का करने की शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा.

सघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार

६०. (१) इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए संघ की अधिशासी शक्ति के अन्तर्गत होगें—

(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है, और

(ख) किसी संधि अथवा सविदा के वल पर भारत-शासन द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग

पर इस संविधान में अथवा ससद् द्वारा निर्मित किसी विधि में, स्पष्टतया प्रावहित स्थिति के अतिरिक्त इस खंड के उपखड (क) में निर्दिष्ट अधिशासी शक्ति का विस्तार किसी राज्य में उन विषयो पर न होगा जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है.

(२) जब तक संसद् अन्य प्रावधान न करे, तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी उन विषयो में, जिनके सम्बन्ध में संसद् को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी अधिशासी शक्ति का प्रयोग अथवा प्रकार्यों का पालन करते रह सकते है, जैसी कि वह राज्य अथवा उसके अधिकारी प्रयवा प्राधिकारी इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व कर सकते थे.

मन्त्रिपरिषद्

६१ (१) प्रधान को अपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधान मन्त्री होगा.

(२) क्या मन्त्रियो ने प्रधान को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी, तो क्या इस प्रश्न पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी.

६२. (१) प्रधान मन्त्री की नियुक्ति प्रधान करेगा और अन्य मन्त्रियो को, प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा पर प्रधान नियुक्त करेगा.

(२) प्रधान के प्रसाद काल तक मन्त्री अपने पद पर आसीन रहेगे.

(३) मन्त्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी.

(४) किसी मन्त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, प्रधान उसको, तृतीय अनुसूची में इसके लिये दिये हुए प्रपत्रो के अनुसार, पद तथा गूढ़ता की शपथें दिलायेगा.

(५) कोई मन्त्री, जो छः निरन्तर मासो की किसी अवधि तक ससद् के किसी आगार का सदस्य न रहे, उस अवधि के पश्चात् मन्त्री न रहेगा.

(६) मन्त्रियो के वेतन तथा अधिदेय वेही होगे जो समय समय पर ससद् विधि द्वारा निश्चय करे, और जब तक ससद् ऐसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अनुसार होगे

भारत का महाप्राभिकर्ता

६३ (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, भारत का महाप्राभिकर्ता नियुक्त करेगा.

(२) महाप्राभिकर्ता का कर्तव्य होगा कि वह भारत-शासन को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयो पर मन्त्रणा दे और ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यो का पालन करे जो उसे प्रधान समय समय पर भेजे अथवा सौंपे तथा उन प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस संविधान अथवा उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के द्वारा अथवा अधीन दिये गये हो

(३) अपने कर्तव्य पालनार्थ महाआभिकर्ता को भारत-राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत सब न्यायालयो में श्रवणाधिकार होगा

(४) महाप्राभिकर्ता, प्रधान के प्रसाद-काल तक पदासीन रहेगा और उसको वे परितोषण दिये जायेंगे जो प्रधान निश्चित करे.

शासन-कार्य का संचालन

भारत-शासन-कार्य का सचालन

६४. (१) भारत-शासन की समस्त अधिशासी कार्यवाही प्रधान के नाम से की गई कही जायगी.

(२) प्रधान के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशो तथा अन्य विलेखो (इन्स्ट्रूमेन्ट) का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायगा जो प्रधान द्वारा बनाये जाने वाले नियमो में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणकित आदेश अथवा विलेख की मान्यता पर आक्षेप इस आधार पर न किया जायगा कि यह प्रधान द्वारा दत्त अथवा अथवा निष्पादित आदेश अथवा विलेख नही है.

प्रधान को ससूचना देने आदि विषयक प्रधान मन्त्री के कर्तव्य

६५. प्रधान मन्त्री का कर्तव्य होगा —

(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, मन्त्रिपरिषद् के समस्त निर्णय तथा विधानार्थ प्रस्थापनाए, प्रधान को पहुचाना ;

(ख) सघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, तथा विधानार्थ प्रस्थापनाओ सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे प्रधान मगावे ; और

(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने निर्णय कर दिया है, किन्तु मन्त्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, प्रधान के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचारार्थ रखना

अध्याय २—ससद्

सामान्य

ससद् का सघटन.

६६ सघ के लिये एक ससद् होगी जो प्रधान और दो आगारो की बनेगी, जिनके नाम क्रमश राज्य-परिषद् और लोक सभा होगे

ससद् के आगारो की रचना

६७ (१) राज्य-परिषद् के दो सौ पचास सदस्य होगे जिनमें से—

(क) पन्द्रह सदस्य प्रधान द्वारा इस अनुच्छेद के खड (२) में प्रावहित रीति से मनोनीत होगे , और

(ख) शेष राज्यो के प्रतिनिधि होगे·

पर प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के प्रतिनिधियो की समस्त सख्या इस शेष के चालीस प्रति शत से अधिक न होगी.

(२) इस अनुच्छेद के खड (१) के उपखड (क) के अधीन प्रधान द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होगे जिन्हे निम्न प्रकार के विषयो सम्बन्धी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

(क) साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा ;

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन और तत्सम्बद्ध विषय ;

(ग) अभियन्त्रणा (इन्जीनियरी) और वास्तु शास्त्र ;

(घ) लोक-प्रशासन और सामाजिक सेवाएँ.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि—

(क) जहा राज्य के विधान-मडल के दो आगार हैं, वहा अवरागार (लोअर हाउज) के निर्वाचित सदस्यो द्वारा निर्वाचित होंगे,

(ख) जहा राज्य के विधान-मडल का एक आगार है, वहा उस आगार के निर्वाचित सदस्यो द्वारा निर्वाचित होंगे, तथा

(ग) जहा के राज्य के लिये कोई विधान-मडल नहीं है, वहा ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जैसी कि विधि द्वारा ससद् विनिधान करे

(४) राज्य-परिषद् में, प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जैसी कि विधि द्वारा ससद् विनिधान करे

(५) (क) इस सविधान के अनुच्छेद २९२ और २९३ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यो के प्रादेशिक लोक प्रतिनिधि, लोकसभा में पाच सौ से अधिक न होंगे

(ख) उपखड (क) के प्रयोजनार्थ भारत के राज्यो का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण अथवा निर्माण किया जायेगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिये दी जाने वाली प्रतिनिधि सख्या इस प्रकार नियत की जायेगी, जिससे कि यह निश्चित रहे कि जनसख्या के प्रत्येक ७,५०,००० के लिये एक से न्यून और प्रत्येक ५,००,००० के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि न होगा

पर प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के प्रतिनिधियो की समस्त सख्या का, उनकी समस्त जन सख्या से अनुपात, उस अनुपात से अधिक न होगा जो उक्त अनुसूची के भाग १ और २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के प्रतिनिधियो की समस्त सख्या का इन राज्यो की समस्त जन सख्या से है

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र के लिए किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यो की सख्या का, उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसख्या से, अनुपात, समस्त भारत में, जहा तक व्यवहार्य्य हो, एक ही होगा

(६) लोकसभा के लिये निर्वाचन, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात् प्रत्येक जानपद जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस सविधान अथवा ससद् के किसी अधिनियम के अधीन, अनिवास, मनोविक्षेप, पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्योग्य नहीं किया गया है, ऐसे निर्वाचनो में मतदाता रजिस्टर होने का अधिकारी होगा

(७) ससद्, विधि द्वारा, राज्यो के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के, लोकसभा में प्रतिनिधान का, प्रावधान कर सकेगी

(८) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य-परिषद् में विविध राज्यो का और लोकसभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो का प्रतिनिधान, इस सविधान के अनुच्छेद २८९ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनर्व्यवस्थापित किया जायगा जैसा कि ससद्, विधि द्वारा, निश्चय करे

(९) जब, राज्य-परिषद् में प्रतिनिधि भेजने के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को जोड कर वर्ग बनाया जाये, तो इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ यह समस्त वर्ग, एक राज्य समझा जायेगा

संसद् के आगारों की अवधि.

६८. (१) राज्य-परिषद् का विलयन (डिस्सोल्यूशन) न किया जायेगा, किन्तु उसके सदस्यो में से एकतिहाई की यथा शक्य निकटतम् सख्या, संसद् से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानो के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जायेगी.

(२) लोक सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पाच वष तक चालू रहेगी, किन्तु इससे अधिक नहीं, और पांच वर्ष की उक्त अवधि के अवसान का प्रभाव लोकसभा का विलयन होगा

पर उक्त अवधि का विस्तरण, जब तक कि सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा लागू है, प्रधान द्वारा किसी अवधि के लिये, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी और किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छ मास की अवधि से अधिक विस्तृत न होगी, किया जा सकेगा.

ससद् के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन

६९. (१) संसद् के आगारो को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक, और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच छ मास का अन्तर न होगा.

(२) इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, प्रधान, समय समय पर—

(क) संसद् के आगारो को, अथवा किसी आगार को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये बुला सकेगा ,

(ख) आगारों का सत्रावसान (प्रोरोग) कर सकेगा ;

(ग) लोकसभा का विलयन कर सकेगा.

आगारो को सम्बोधन करने और सन्देश भेजने का प्रधान का अधिकार

७०. (१) ससद् के किसी एक आगार को अथवा एकत्र हुए दोनो आगारो को प्रधान सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यो की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) प्रधान, संसद् में उस समय लम्बमान किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश, संसद् के किसी आगार को भेज सकेगा, और जिस आगार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो, वह आगार उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघ्रता से, विचार करेगा.

ससद् के प्रत्येक सत्रारम्भ मे प्रधान का विशेष अभिभाषण तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयो का ससद मे पर्यालोचन.

७१ (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, संसद् के एकत्र हुए दोनो आगारो को, प्रधान सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारण ससद् को बतलायेगा.

(२) किसी भी आगार की कार्य-प्रणाली के आनियामक नियमो द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा आगार के अन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा.

आगारो विषयक मन्त्रियो और महाप्राभिकर्ता का अधिकार

७२. भारत के प्रत्येक मन्त्री और महाप्राभिकर्ता को अधिकार होगा कि वह किसी भी आगार में, आगारो के संयुक्त अधिवेशन में, तथा ससद् की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा अन्य कार्यवाहियो में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का अधिकार न होगा.

संसद् के अधिकारी

७३. (१) भारत का उपप्रधान, पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा.

(२) राज्य-परिषद्, यथा सम्भव शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी.

७४. राज्य-परिषद् के उपसभापति के पद पर आरूढ सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित सकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस सकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो.

७५. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त है, अथवा किसी कालावधि में जब कि इस सविधान के अनुच्छेद ५४ के अधीन उपप्रधान, प्रधान का स्थानापन्न रह रहा है अथवा उसके प्रकार्यों को कर रहा है, तब उपसभापति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य-परिषद् का ऐसा सदस्य जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यो का पालन करेगा.

(२) राज्य-परिषद् की किसी बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में, उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जिसका परिषद् की कार्य-प्रणाली के नियमो से निश्चय किया जा सके, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा.

७६. लोकसभा, यथा सम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यो को क्रमश: अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब तब, सभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसी कि स्थिति हो, चुनेगी.

७७. लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर आरूढ सदस्य—

(क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, और अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस सकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

पर यह और भी कि, जब कभी लोकसभा का विलयन किया जाये तो विलयन के पश्चात् होन वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के सद्य पूर्व तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा.

अध्यक्ष पद के कर्तव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियो की शक्ति

७८. (१) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे, प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यो का पालन करेगा.

(२) लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जिसका सभा की कार्य प्रणाली के नियमो से निश्चय किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चत करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

सभापति तथा उपसभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा अधिदेय

७९. राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को, और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, वे वेतन तथा अधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमशः ससद् विधि द्वारा निश्चित करे, और, जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस तरह न बनें तब तक, वे वेतन और अधिदेय दिये जाएगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है.

कार्य-संचालन

आगारो मे मतदान, रिक्तियो के होते हुये भी आगारो के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक

८०. (१) इस सविधान में प्रावहित अवस्था को छोडकर, अन्य आगारो की किसी अथवा सयुक्त बैठक में सब प्रश्नो का निश्चयन, सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यो के बहुमत से किया जायेगा.

सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा पर मत-समता की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा.

(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी संसद् के किसी भी आगार को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई अनधिकृत व्यक्ति, कार्यवाहियो में उपस्थिति रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद् की कार्यवाही मान्य होगी.

(३) यदि आगार की बैठक में किसी समय भी आगार के सदस्यो की समस्त संख्या के छठे भाग से कम की उपस्थिति हो तो सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि या तो आगार को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक कि सदस्यो के छठे भाग की उपस्थिति न हो जाये.

सदस्यो की निर्योग्यताएँ

८१. ससद् के प्रत्येक आगार का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, प्रधान अथवा प्रधान द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

८२ (१) कोई व्यक्ति ससद् के दोनो आगारो का सदस्य न होगा और जो व्यक्ति दोनो आगारो का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे आगार के स्थान को रिक्त करने के लिय, ससद् विधि द्वारा प्रावधान बनायेगी.

(२) यदि ससद् के किसी आगार का सदस्य—

(क) निकटतम आगामी अनुच्छेद के खड (१) में वर्णित निर्योग्यताओ का पात्र हो जाता है ; अथवा

(ख) स्थित्यनुसार, सभापति अथवा अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा.

(३) यदि ससद् के किसी आगार का सदस्य साठ दिनो की अवधि तक बिना आगार की अनुमति के उसके सब अधिवेशनो में अनुपस्थित रहे तो आगार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा

पर उक्त अवधि की सगणना में किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें आगार का सत्रावसान, अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनो के लिये स्थगन, हुआ है.

८३. (१) कोई व्यक्ति ससद् के किसी आगार का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा—

(क) यदि वह भारत-शासन के, अथवा किसी राज्य के शासन के, अधीन, लाभपद पर आरूढ़ है, ऐसे पद को छोड कर जिसके धारण करने वाले का, निर्योग्य न होना ससद् ने विधि द्वारा घोषित किया है ,

(ख) यदि वह विक्षिप्त है और अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ,

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति अथवा अभिलग्नता स्वीकार किये हुए है, अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद के अधिकारो अथवा विशेषाधिकारो का अधिकारी है , और

(ङ) यदि वह ससद् निर्मित किसी विधि के द्वारा अथवा अधीन इस प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है.

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति भारत शासन के अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन, लाभ पद पर आरूढ केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का, या प्रथम अनसूची के भाग १ मे उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री है ; अथवा

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है, यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल के प्रति, अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं वहा, विधान-मंडल के अवरागार, के प्रति उत्तरदायी है और यदि विधान-मंडल अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, तीनचौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं.

अनुच्छेद ८१ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुए अथवा निर्योग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दंड.

८४. यदि कोई व्यक्ति संसद् के किसी आगार में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है जब कि उसने इस सविधान के अनुच्छेद ८१ की आवश्यकताओ की पूर्ति नही की है, अथवा जब वह जानता है, कि मैं योग्य नहीं हूं, अथवा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूँ, अथवा ससद् निर्मित किसी विधि के प्रावधानो से एसा करने से वर्जित कर दिया गया हू तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो भारत-शासन को देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा.

सदस्यो के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ

सदस्यो के विशेषाधिकार, आदि

८५. (१) ससद् की कार्य-प्रणाली के आनियामक नियमों और स्थायी आदेशो के अधीन रहते हुये ससद् में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा.

(२) ससद् में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के सम्बन्ध में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद् के किसी आगार के प्राधिकार के द्वारा अथवा अधीन किसी विवरण पत्र, पत्र, मतो अथवा कार्यवाहियो के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी.

(३) अन्य बातो में, संसद् के सदस्यो के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ वेही होंगी जो संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, और वे जब तक इस प्रकार परिभाषित नही की जाती, तब तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर यूनाईटेड किंगडम के पार्लियामेन्ट के हाउस आफ कामन्स के सदस्यो को प्राप्त हैं.

(४) जिन्हे इस सविधान के सामर्थ्य से संसद् के किसी आगार में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियो में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में इस अनुच्छेद के खड (१), (२) और (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ससद् के सदस्यो के सम्बन्ध में लागू हैं.

सदस्यो के वेतन तथा अधिदेय

८६. संसद् के प्रत्येक आगार के सदस्य उन वेतनों तथा अधिदेयो को पाने के अधिकारी होंगे जिन्हे ससद् विधि द्वारा समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, अधिदेय ऐसी दर से और ऐसे प्रतिबन्धो सहित होंगे, जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व भारत-अधिराज्य के विधान-मंडल के सदस्यो के विषय में लागू थे.

विधान-कार्यप्रणाली

विधेयको के पुरःस्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान.

८७. (१) मुद्राविधेयको तथा अन्य आर्थिक-विधेयको के विषय में इस सविधान के अनुच्छेद ८९ और ९७ के, प्रावधानो के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक ससद् के किसी आगार में प्रारम्भ हो सकेगा.

(२) इस संविधान के अनुच्छेद ८८ और ८९ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक संसद् के आगारो से पारित न समझा जायगा जब तक कि, या तो बिना संशोधन के या दोनो आगारो द्वारा स्वीकृत संशोधनो सहित दोनो आगारो द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो.

(३) आगारो के सत्रावसान के कारण, संसद् में लम्बमान विधेयक व्यपगत न होगा (गिर न जायेगा).

(४) राज्य-परिषद् में लम्बमान विधेयक, जिसका लोकसभा ने पारण नही किया है, लोकसभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा.

(५) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लम्बमान है अथवा जो लोकसभा से पारित हो कर राज्य-परिषद् में लम्बमान है, इस संविधान के अनुच्छेद ८८ के अधीन रहते हुये, लोकसभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा.

८८ (१) यदि किसी विधेयक के एक आगार में पारित होने और दूसरे आगार को पारेषित किये जाने के पश्चात्—

(क) दूसरे आगार द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है ; अथवा

(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनो पर दोनो आगार अन्ततः असहमत हो चुके है ; अथवा

(ग) विधेयक प्राप्ति की तिथि से, बिना इसको पारण किये, दूसरे आगार को छः से अधिक मास बीत चुके है,

तो, लोकसभा के विलयन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर विचार करने और मत देने के प्रयोजनार्थ संयुक्त अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय की अधिसूचना, यदि वे आगार बैठे हुये हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठे हुये नहीं है तो लोकाधिसूचना द्वारा प्रधान आगारो को देगा

पर इस खंड में की कोई बात किसी मुद्रा-विधेयक को लागू न होगी.

(२) ऐसी छः मास की अवधि की संगणना में, जो कि इस अनुच्छेद के खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में दोनो आगारो का सत्रावसान समय अथवा चार से अधिक दिनो के लिये स्थगन हुआ है.

(३) जब प्रधान, आगारो को संयुक्त अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय को, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो तो कोई आगार विधेयक पर आगे कार्यवाही न करेगा किन्तु प्रधान, अधिसूचना की तिथि के पश्चात् किसी समय, आगारो को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजनार्थ संयुक्त अधिवेशन में बुला सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है, तो आगार तदनुसार अधिवेशन में बैठेंगे.

(४) यदि, आगारो की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनो सहित, यदि कोई हो, जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनो आगारो के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनो आगारो से पारित समझा जायेगा

पर संयुक्त बैठक में—

(क) यदि विधेयक, एक आगार से पारित हो कर दूसरे आगार द्वारा संशोधनो सहित पारित नहीं किया गया है और उस आगार को, जिसमें वह उद्भूत हुआ था, लौटा दिया गया है तो ऐसे

संशोधनों (यदि कोई हों) के अतिरिक्त, जैसे कि विधयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और सशोधन प्रस्थापित न किये जायेंगे ;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया जा चुका ह तो विधेयक पर केवल ऐसे सशोधन जैसे कि ऊपर कथित है तथा ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयो से संगत है जिन पर आगारों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ;

और अध्यासी व्यक्ति का निर्णय, कि इस खड के अधीन कौन से सशोधन प्रवेश्य है, अन्तिम होगा.

(५) इस अनुच्छेद के अधीन सयुक्त बैठक हो सकेगी तथा उसमें विधेयक पारित हो सकेगा यद्यपि प्रधान के, आगारो को अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय की अधिसूचना के पश्चात् लोक सभा का विलयन बीच में आ चुका है.

मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्य प्रणाली.

८९. (१) राज्य-परिषद् में मुद्रा-विधेयक पुर.स्थापित न किया जायगा.

(२) लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात्, मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद् को इसके अभिस्तावो के लिये, पारेषित किया जायगा ; और राज्य-परिषद्, विधेयक की प्राप्ति-तिथि के तीस दिन की अवधि के भीतर, लोकसभा को, विधेयक को अपने अभिस्तावो सहित लौटा देगी और तब लोकसभा, राज्य-परिषद् के अभिस्तावो में से सब को अथवा किसी को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी.

(३) यदि राज्य-परिषद् के अभिस्तावो में से किसी को, लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा अभिस्तावित तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत संशोधनो सहित, दोनो आगारो द्वारा पारित समझा जायेगा.

(४) यदि राज्य-परिषद् के अभिस्तावो में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार नही करती तो मुद्राविधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा अभिस्तावित किसी संशोधन के बिना, उस रूप में दोनो आगारो द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.

(५) यदि लोकसभा द्वारा पारित, तथा राज्य-परिषद् को उसके अभिस्तावो के लिये पारेषित मुद्रा-विधेयक, उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता तो, उक्त अवधि के अवसान पर यह दोनो आगारो द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोकसभा ने उसको पारित किया था

मुद्रा-विधेयको की परिभाषा

९०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, वह विधेयक मुद्रा-विधेयक समझा जायेगा जिस में निम्नलिखित विषयो में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले प्रावधान ही है, अर्थात् :—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन अथवा आनियमन ;

(ख) भारत-शासन द्वारा मुद्रा ऋण लने का, अथवा प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत-शासन द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किसी आर्थिक भार से सम्बद्ध विधि के सशोधन करने का, आनियमन ;

(ग) प्रदाय ;

(घ) भारत के आगमो का नियोजन ;

(ङ) किसी व्यय को भारत-आगमो पर प्रभृत्त व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि,

(च) भारत-आगमो के लेखे में मुद्राप्राप्ति, अथवा ऐसी मुद्रा के समारक्षण या निर्गम, अथवा भारत-शासन के लेखे का अकेक्षण; अथवा

(छ) इस खड के (क) से (च) तक के पदो में उल्लिखित विषयानुषंगी कोई विषय.

(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्रा-विधेयक न समझा जायेगा, कि वह अर्थ-दड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का, अथवा अनुज्ञाओ के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओ के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है.

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक मुद्रा-विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

(४) अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन जब मुद्रा-विधेयक राज्य-परिषद् को भेजा जाता है और जब वह आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अधीन अनुमति के लिये प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो उस प्रत्येक मुद्रा-विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाण अंकित रहेगा कि वह मुद्रा-विधेयक है.

९१. जब ससद् के दोनो आगारों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है तो वह प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

पर प्रधान, अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक उपस्थापन के पश्चात् अधिक से अधिक छ सप्ताह में, उस विधेयक को, यदि वह मुद्रा-विधेयक नही है, तो आगारो को संदेश के साथ लौटा सकेगा और इस सदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि वे इस विधेयक पर अथवा इस के किसी उल्लिखित प्रावधान पर पुनर्विचार करे और विशेषत. उन सशोधनो के पुर:स्थापित करने की वाछनीयता पर विचार करे जिनको उसने अपने सदेश में अभिस्तावित किया हो, और आगार विधेयक पर तदनुसार विचार करेगे.

आर्थिक विषयो में कार्य-प्रणाली

९२ (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये ससद् के दोनो आगारो के समक्ष प्रधान, भारत-शासन की उस वर्ष के लिये आगणित प्राप्ति और व्यय का विवरण-पत्र, रखवायेगा जिसे इस सविधान के इस भाग में "वार्षिक आर्थिक विवरण" के नाम से निर्देश किया गया है

(२) वार्षिक आर्थिक विवरण में समाविष्ट व्यय की आगणना में—

(क) जो व्यय इस सविधान में, भारत-आगमो पर प्रभृत्त-व्यय के रूप से वर्णित है, उनकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशिया, और

(ख) भारत-आगमो से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशिया,

पृथक् पृथक् दिखाई जावेंगी और आगम-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से विभेद किया जायेगा.

(३) निम्न व्यय भारत-प्रागमो पर प्रभृत्त व्यय होगा—

(क) प्रधान के परिलाभ और अधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;

(ख) राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के परिलाभ और अधिदेय ;

(ग) ऐसे ऋण-प्रभार, जिनकी देयता भारत-शासन पर है, जिनमे ब्याज, प्रतिस्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार, और उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण निष्क्रयण सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित होंगे ;

(घ) (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन ;

(२) सघान न्यायालय के न्यायाधीशो, को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले उत्तर वेतन ,

(३) जो उच्च न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ तथा २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में समाविष्ट किसी क्षेत्र के अन्दर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व करता था, उसके न्यायाधीशों को अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले उत्तर वेतन ;

(ङ) किसी न्यायालय अथवा विवाची धर्माधिकरण के निर्णय, प्रादेश (डिक्री) अथवा परिनिर्णय (अवार्ड) के संतोषण के लिये अपेक्षित कोई राशिया ;

(च) इस सविधान से अथवा ससद् से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभृत्त घोषित किया गया कोई अन्य व्यय

ससद् मे आगणना-विषयक कार्यप्रणाली

९३. (१) जितनी आगणनायें भारत-शासनो के आगमो पर प्रभृत्त व्यय से सम्बद्ध हैं वे, संसद् में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अन्वय न किया जायगा कि वह, ससद् के किसी आगार में इनमें से किसी आगणना के पर्यालोचन को रोकती है

(२) उक्त आगणनाओ में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध है, वे, लोकसभा के समक्ष अनुदान माग के रूप में रखी जायेंगी और लोकसभा को शक्ति होगी कि किसी माग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे अथवा किसी माग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे.

(३) प्रधान के अभिस्ताव के विना किसी भी अनुदान की माग न की जायेगी

प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन

९४. (१) प्रधान अपने हस्ताक्षर द्वारा—

(क) अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के अधीन लोकसभा द्वारा किये गये अनुदानो का ,

(ख) भारत के आगमो पर प्रभृत्त व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित विविध राशियो का, किन्तु जो ससद् के समक्ष पूर्व रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी अवस्था में भी अधिक नहीं,

उल्लेख करने वाली अनुसूची को प्रामाणिक करेगा.

(२) इस प्रकार प्रमाणिक की हुई अनुसूची लोकसभा के समक्ष रखी जायगी किन्तु ससद् में पर्यालोचन अथवा मतदान के लिये खुली न होगी

(३) आगामी निकटवर्ती दो अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत-आगमों में से कोई भी व्यय सम्यक्-प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि वह इस प्रकार प्रमाणिक की हुई अनुसूची में उल्लिखित नहीं है

९५ यदि किसी आर्थिक वर्ष में, भारत-आगमों से, उस वर्ष के लिये उस समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और अन्य आवश्यक हो जाता है, तो प्रधान उक्त व्यय की आगणित राशि को दिखलाने वाले अनुपूरक विवरण को ससद् के दोनों आगारों के समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक आर्थिक विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हैं.

९६. यदि किसी आर्थिक वर्ष में भारत-आगमों से किसी सेवा पर, जिस पर कि ससद् का मत आवश्यक है, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक व्यय कर दिया गया है तो लोक सभा के समक्ष, उस आधिक्य के लिये माग उपस्थित की जायेगी और इस सविधान के अनुच्छेद ९३ और ९४ के प्रावधान ऐसी मांग के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे अनुदान की माग के लिये प्रभावी हैं.

९७ (१) इस सविधान के अनुच्छेद ९० के खड (१) के (क) से (च) तक पदो में उल्लिखित विषयो में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक अथवा सशोधन प्रधान के अभिस्ताव के बिना पुरःस्थापित अथवा प्रस्तावित न किया जायगा और ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक राज्य-परिषद में पुरःस्थापित न किया जायगा

पर किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले किसी सशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खड के अधीन किसी अभिस्ताव की अपेक्षा न होगी.

(२) कोई विधेयक अथवा सशोधन उक्त विषयो में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला, केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि वह अर्थदंड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का अथवा अनुज्ञाओं (लाईसेंस) के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है

(३) जिस विधेयक के अधिनियम बनाये जाने, और प्रवर्तन में लाये जाने पर, भारत-आगमो से व्यय करना पडेगा, वह विधेयक संसद् के किसी आगार द्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस आगार को प्रधान ने अभिस्तवन न किया हो

सामान्य कार्यप्रणाली

९८ (१) इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए ससद् का प्रत्येक आगार अपनी कार्यप्रणाली के तथा अपने कार्य-सचालन के आनियमन के लिये नियम बना सकेगा,

(२) जब तक इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत अधिराज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे संपरिवर्तनो तथा उपयोजनाओ के साथ जिन्हे राज्य-परिषद् का सभापति अथवा लोक सभा का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो करे, संसद् के सम्बन्ध में प्रभावी होगे.

(३) राज्य-परिषद् के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से विमर्श करने के पश्चात, प्रधान, दोनो आगारो की संयुक्त बैठक सम्बन्धी तथा, उनमें परस्पर संचार सम्बन्धी कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा.

(४) दोनो आगारो की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अध्यासी होगा, जिसका इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन बनाई गई कार्यप्रणाली के नियमो के अनुसार निश्चय हो

संसद् मे प्रयोक्तव्य भाषा.

९९. (१) संसद् में कार्य, हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जायगा

पर राज्य-परिषद् का सभापति, अथवा लोकसभा का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, किसी सदस्य को, जो इन में से किसी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में आगार को सम्बोधन करने की आज्ञा दे सकेगा

(२) राज्य-परिषद् का सभापति अथवा लोकसभा का अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य भाषा में दिये हुए भाषण का हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में संक्षेप राज्य-परिषद् अथवा लोकसभा में, जैसा कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रबन्ध करेगा और ऐसा संक्षेप उस आगार की कार्यवाहियो के उल्लेख-पत्र में समाविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था.

संसद् में पर्यालोचन पर आयंत्रण

१००. (१) इसके पश्चात् प्रावहित रीति से न्यायाधीश के निष्कासन के लिये प्रधान के समक्ष प्रार्थनात्मक अभिलेख के उपस्थापन के प्रस्ताव के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यपालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में संसद् में कोई पर्यालोचन न होगा.

(२) इस अनुच्छेद में "उच्च न्यायालय" के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा, जो इस भाग के अध्याय ४ में दिये हुए किसी प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय है

संसद् की कार्यवाहियो की न्यायालय परिपृच्छा न करेंगे

१०१ (१) कार्यप्रणाली में, किसी कथित अनियमितता के आधार पर संसद् की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी

(२) संसद् का कोई अधिकारी अथवा अन्य सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा अथवा इसके अधीन, संसद् में कार्यप्रणाली को अथवा कार्य-संचालन को आनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।

अध्याय ३—प्रधान की विधायिनी शक्तियां

संसद् के विश्रान्तिकाल मे अध्यादेश के प्रवर्तन की प्रधान की शक्ति.

१०२. (१) उस समय को छोड कर जब कि संसद् के दोनो आगार सत्रस्थ हैं, यदि किसी समय प्रधान को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेश प्रवर्तन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियो के कारण आवश्यक दीखें.

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रवर्तित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा

व्याख्या २.—इस खंड के प्रयोजनार्थ अधिवक्ता रहने की कालावधि की गणना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्याय-पद धारण किया हो.

(४) सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से निष्कासित न किया जायेगा, जब तक कि सिद्ध दुराचार अथवा असामर्थ्य के कारण निष्कासन के लिये, ससद् के दोनो आगारो द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वालो में से दो-तिहाई से अन्यून सदस्यो से समर्थित अभिलेख प्रधान के समक्ष एक ही सत्र में उपस्थित किये जाने के पश्चात्, प्रधान ने आदेश न दिया हो.

(५) अन्तिम पूर्वगामी खंड के अधीन किसी अभिलेख के उपस्थापन की, तथा, न्यायाधीश के दुराचार अथवा असामर्थ्य के अनुसधान तथा सिद्धि की, कार्य-प्रणाली का ससद् विधि द्वारा आनियमन कर सकेगी.

(६) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद प्रवेश के पूर्व प्रधान अथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

(७) कोई व्यक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्ता का कार्य न करेगा.

न्यायाधीशो के वेतन आदि.

१०४. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनो और अधिदेयो के, तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारो के अधिकारी होगे जैसे कि समय समय पर संसद् द्वारा बनाई विधि से, अथवा विधि के अधीन नियत किये गये हों, और जब तक वे इस प्रकार नियत नही किये जाते तब तक ऐसे वेतनो और अधिदेयो के तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारो के अधिकारी होगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है :

पर न तो न्यायाधीश के वेतन में और न उसके अवकाश अथवा उत्तर वेतन सम्बन्धी अधिकारो में उसकी नियुक्ति के पश्चात्, कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो.

स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश की सेवायुक्ति

१०५ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यो का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशो में से कोई एक, जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यो का पालन करेगा.

एतदर्थ (एडहॉक) न्यायाधिशो की नियुक्ति

१०६. (१) यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को करने अथवा चालू रखने के लिये न्यायाधीशो का गणपूरक प्राप्य न हो, तो सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर के, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अपने मनोनेय न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय की बैठको में, एतदर्थ न्यायाधीश के रूप में, जितनी भी कालावधि के लिये आवश्यक हो, उपस्थिति की, लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा.

(२) इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश का कर्तव्य होगा, कि अपने पद के अन्य कर्तव्यो की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठको में, उस समय तथा उस

कालावधि के लिये जिसके लिये उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, समस्त क्षेत्राधिकार, शक्तिया और विशेषाधिकार प्राप्त होगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यो का पालन करेगा

सेवानिवृत्त न्यायाधीशो की सर्वोच्च न्यायालय की बैठको में उपस्थिति

१०७ इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी समय भी, इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति से, जो सर्वोच्च न्यायालय के अथवा सघान न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, और इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तिया और विशेषाधिकार होगे, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा

पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी.

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान

१०८. सर्वोच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और देहली में तथा ऐसे अन्य स्थान अथवा स्थानो में, यदि कोई हो, जिन्हे मुख्य न्यायाधीश समय समय पर प्रधान के अनुमोदन से नियुक्त करे, बैठेगा.

सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र

१०९ इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुये—

(क) भारत-शासन और एक अथवा अनेक राज्यो के मध्य , अथवा

(ख) एक ओर भारत-शासन और कोई राज्य अथवा राज्यो तथा दूसरी ओर एक अथवा अनेक अन्य राज्यो के मध्य ; अथवा

(ग) दो या अधिक राज्यो के मध्य,

विवाद में, जहा तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्भूत है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर है, वहा तक, अन्य न्यायालयो का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा

पर उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न विवादो पर न होगा—

(१) वह विवाद जिस में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य एक पक्ष में है, यदि वह विवाद इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व की हुई, और उस तिथि के पश्चात् प्रवृत्त रही हुई अथवा प्रवृत्त रखी हुई किसी सधि, सविदा, अभियुक्ति, सनद अथवा अन्य तत्सदृश विलेख के किसी प्रावधान से उत्पन्न हुआ है ,

(२) वह विवाद, जिसमें कोई राज्य एक पक्ष में है यदि वह विवाद किसी ऐसी सधि, सविदा, अभियुक्ति, सनद अथवा अन्य तत्सदृश विलेख के, प्रावधान से उत्पन्न हुआ है जो यह प्रावधान करता है कि उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर न होगा.

विशेष अवस्थाओ मे राज्यो के उच्च न्यायालयो से पुर्नविचार - प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय का पुर्नविचार क्षेत्राधिकार

११०. (१) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामले में इस सविधान के निवर्चन का कोई सारवद्-विधि-प्रश्न अन्तर्धृत है तो राज्य के उच्च न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक, चाहे दाडिक, चाहे अन्य कार्यवाही में दिये निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना (अपील) सर्वोच्च न्यायालय को हो सकेगी.

(२) जहा कि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र देना अस्वीकार कर दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसे संतोष हो जाय कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवद्-विधि-प्रश्न अन्तर्धृत है तो, ऐसे निर्णय- प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति दे सकेगा.

(३) जहां ऐसा प्रमाणपत्र अथवा ऐसी अनुमति दे दी गई हो वहा मामले में कोई पक्षवान केवल इसी आधार पर नही कि कोई पूर्वोक्त प्रश्न, अशुद्ध निर्णीत हुआ है, किन्तु किसी अन्य अधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय को पुर्नविचार प्रार्थना कर सकेगा.

व्याख्या .—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "अन्तिम आदेश" पद में ऐसे वाद-हेतु का निर्णायक आदेश भी समाविष्ट है, जो यदि पुर्नविचारप्रार्थी के पक्ष में निर्णीत हो तो उस मामले का अन्तिम निर्णय करने के लिये पर्याप्त होगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के अतिरिक्त भारत के राज्य-क्षेत्र मे उच्च न्यायालयो से अन्य मामले की पुर्नविचार प्रार्थना मे सर्वोच्च न्यायालय का पुर्नविचार-क्षेत्राधिकार.

१११. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के अतिरिक्त भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवहार विषयक कार्यवाही में दिये गये निर्णय, प्रादेश, अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे—

(क) कि विवादग्रस्त विषय की राशि अथवा मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में बीस हजार रुपये से कम न था और पुर्नविचार-प्रार्थना-गत विवद में भी उस से कम नही है; या

(ख) कि निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश इतनी राशि अथवा मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी अध्यर्थना अथवा प्रश्न को प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप में अन्तर्धारण करता है , या

(ग) कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नविचार प्रार्थना के समुपयुक्त है ,

और जहा कि पुर्नविचार प्रार्थित निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश विनान्तर नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपोषण करता है तो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न मामले में पुर्नविचार प्रार्थना तब हो सकेगी जब उच्च-न्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि पुर्नविचार प्रार्थना में कोई सारवद् विधि प्रश्न अन्तर्धृत है

(२) इस सविधान के अनुच्छेद ११० में किसी बात के होते हुये भी, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से पुर्नविचार प्रार्थना करने वाला कोई प्रक्षवान ऐसी पुर्नविचार प्रार्थना में एक कारण यह भी बता सकेगा कि इस में संविधान के निर्वचन का सारवद् विधि-प्रश्न अन्तर्धृत है जिसका अशुद्ध निर्णय किया गया है.

कुछ अन्य मामलो मे पुर्नविचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति

११२ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के अतिरिक्त, भारत के राज्यक्षेत्र में, इस सविधान के अनुच्छेद ११० अथवा अनुच्छेद १११ के प्रावधान जिन मामलो में लागू नहीं हैं उन मामलो में सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेक से किसी न्यायालय अथवा धर्माधिकरण द्वारा किसी वाद अथवा विषय में दिये हुये किसी निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति अनुदान कर सकेगा

प्रथम अनुसूची के भाग ३ मे उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के उच्च न्यायालयो द्वारा कुछ अभियोगो मे सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्था प्रार्थना

११३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के उच्च न्यायालय में यदि किसी व्यवहार, दड अथवा अन्य कार्यवाही के वर्तन में ससद् की, अथवा ऐसे राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य के विधान-मडल की, किसी विधि की प्रयोज्यता अथवा निर्वचन सम्बन्धी कोई प्रश्न, जो ऐसी कार्यवाही में किसी वाद-हेतु के निश्चयन के लिये महत्वपूर्ण हो, उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय, स्वेच्छा से अथवा पक्षो में से किसी की प्रार्थना पर, ऐसे प्रश्न का विशेष निर्देश करते हुए तथा उस पर अपनी मति देते हुए उस मामले का विवरण बना सकेगा और ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसकी मति के लिये, भेज सकेगा

(२) जहा ऐसा कोई उच्च न्यायालय खड (१) के अधीन मामले का विवरण बनाना अस्वीकार करे तो सर्वोच्च न्यायालय मामले का इस प्रकार विवरण बनाये जाने की अपेक्षा कर सकेगा.

(३) जब इस अनुच्छेद के खड (१) के अथवा (२) के अधीन किसी मामले का ऐसा विवरण बना दिया जाता है तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त न हो जाये तब तक उच्च न्यायालय सब कार्यवाही रोक देगा

(४) पक्षो को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार भेजे हुए प्रश्न का निर्णय करेगा, और अपनी मति की एक प्रतिलिपि उस उच्च न्यायालय को भिजवायेगा और उसकी प्राप्ति पर वह उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मत्यनुकूल उस मामले को निपटाने लगेगा.

(५) सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर इस अनुच्छेद के अधीन विवरण बनाये हुए मामले को इस लिये लौटा सकेगा कि उसमें और दूसरे तथ्यो का विवरण दिया जाये.

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि

११४ (१) संघ-सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तिया होगी जिन्हे ससद्, विधि द्वारा, प्रदान करे.

(२) यदि ससद्, सर्वोच्च न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियो के प्रयोग का विधि द्वारा प्रावधान करे तो, किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तिया होंगी जिन्हे भारत-शासन और कोई राज्य विशेष सविदा द्वारा प्रदान करे

कुछ लेखो के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति-प्रदान

११५. इस सविधान के अनुच्छेद २५ के खड (२),(जो मौलिक अधिकारो के प्रवर्तन कराने से सम्बद्ध है,)में वर्णित प्रयोजनो से भिन्न किन्हीं प्रयोजनो के लिये बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा तथा उत्प्रेषण लेखो के, अथवा इनमें से किसी प्रकार के निदेशो अथवा आदेशो को निकालने की शक्ति ससद् विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर सकेगी.

सर्वोच्च न्यायालय की साहायक शक्तियां

११६. इस संविधान के प्रावधानो में से किसी से असंगत ऐसी अनुपूरक शक्तियों का संसद्, विधि द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के लिये प्रावधान कर सकेगी जैसी कि उस न्यायालय को, इस संविधान से अथवा उस के अधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हों.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी

११७. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि, भारत-राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी.

सर्वोच्च न्यायालय के प्रादेशों और आदेशों का प्रवर्तन तथा प्रलेखों को प्रकट कराने आदि के आदेश

११८. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा प्रादेश, अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि इसके समक्ष लम्बमान किसी वाद अथवा विषय में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो, और इस प्रकार दिया हुआ प्रादेश अथवा आदेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में ऐसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जैसी कि संसद् किसी विधि द्वारा अथवा अधीन, विनिधान करे.

(२) संसद् द्वारा एतद्विषयक बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, किसी व्यक्ति को उपस्थित कराने के, किन्हीं प्रलेखों को प्रकट अथवा प्रस्तुत कराने के, या अपने किसी अपमान के अनुसंधान कराने अथवा दंड दिलाने के प्रयोजनार्थ कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी.

सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की प्रधान की शक्ति

११९. (१) यदि किसी समय प्रधान को दीखे कि विधि अथवा तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है अथवा उत्पन्न होने की सम्भावना है जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति लेना उचित होगा, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय के पास विचारार्थ भेज सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, प्रधान को उस पर अपनी मति का प्रतिवेदन कर सकेगा.

(२) प्रधान, इस संविधान के अनुच्छेद १०९ के परादिक के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वर्णित प्रकार के विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेज सकेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उसका निर्णय करेगा और इस का प्रतिवेदन प्रधान को करेगा.

असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य मे कार्य करेगे.

१२०. भारत राज्यक्षेत्र के असैनिक और न्यायिक, सब प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेगे

न्यायालय के नियम आदि

१२१. (१) संसद् द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर, प्रधान के अनुमोदन से उस न्यायालय के आचार और कार्य-प्रणाली के सामान्यत आनियमन के लिये, नियम बना सकेगा और इन नियमो में निम्न नियमो का भी समावेश होगा—

(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध नियम,

(ख) पुर्नविचारप्रार्थनाओ को सुनने की तथा अन्य विषयो की, कार्यप्रणाली से सम्बद्ध नियम अन्य विषयोमें वह समय भी सम्मिलित है जिस में पुर्नविचार प्रार्थनाएं न्यायालय में प्रवेश की जायें और जो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओ को तत्सम्बन्धी अपने निवेदन करने के लिये दिया जाये,

(ग) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियो के अथवा उनके आनुषंगिक-परिव्ययो सम्बन्धी तथा उसमें के कार्यवाह के सम्बन्ध में प्रभृत शुल्क सम्बन्धी नियम,

(घ) प्रतिभू (बेल) के स्वीकरण सम्बन्धी नियम,

(ङ) कार्यवाहियो के स्थगन सम्बन्धी नियम,

(च) किसी पुर्नविचार प्रार्थना के, जो न्यायालय को तुच्छ अथवा, प्रवाधी या विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत होती है, सक्षेपत निश्चयन को प्रावहित करने वाले नियम.

(२) इस सविधान के निर्वचन विषयक सारवद् विधि प्रश्न अन्तर्धारी किसी मामले का निर्णय करने के लिये, अथवा इस सविधान के अनुच्छेद ११९ के अधीन भेजे हुए प्रश्न के सुनने के लिये, बैठने वाले न्यायाधीशो की अलपिष्ठ सख्या पाच होगी :

पर, उक्त प्रयोजनो के लिये प्रत्येक न्यायाधीश बैठने के लिये स्वतन्त्र होगा जब तक कि वह रुग्णावस्था, वैयक्तिक हित, अथवा अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करने के अयोग्य न हो.

(३) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा इस संविधान के अनुच्छेद ११९ के अधीन किसी प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ कोई मति न्यायालय के खुले अधिवेशन में ही दी जायेगी

(४) मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशो की बहुसंख्या की सम्मति के बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न कोई ऐसा प्रतिवेदन किया जायेगा और न कोई निर्णय दिया जायेगा, किन्तु इस खड की कोई बात किसी न्यायाधीश को, जो सम्मत नहीं होता, अपनी भिन्न मति अथवा निर्णय देने में अवरोध करने वाली न समझी जायेगी.

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियो, तथा सेवको के वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन और सर्वोच्च न्यायालय के व्यय

१२२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियो तथा सेवको को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतनो को भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा.

(२) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के अधिकारियो तथा सेवको, को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले समस्त वेतन, अधिदेय, तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित है, भारत-आगमो पर प्रभृत्त होगे, और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क तथा अन्य मुद्रायें भारत आगमो की भाग होगी.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ मे उल्लिखित राज्यो के उच्च न्यायालयो के प्रति निर्देशो का अन्वय.

१२३ (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अन्तर्गत, अथवा वहा क्षेत्राधिकार रखने वाले, उच्च न्यायालय के प्रति इस अध्याय के अनुच्छेद १०३ और १०६ के निर्देश, उस न्यायालय के प्रति समझे जायेंगे जिसे प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय और उस राज्य के नरेश से परामर्श करने के पश्चात् ऐसा सतोष होने पर कि वह न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के उच्च न्यायालयो में से किसी के साथ तुलना के योग्य है, उन अनुच्छेदो के प्रयोजनार्थ, उच्च न्यायालय घोषित करे.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के उच्च न्यायालय के प्रति, इस अध्याय के अनुच्छेद ११० और ११३ में, जो निर्देश किये गये हैं वे, उस कार्यवाही के विषय में जिसके सम्बन्ध में पुर्नविचार प्रार्थना अथवा प्रेष्टि का प्रावधान उन अनुच्छेदो में किया गया है, उस राज्य के अन्तिम क्षेत्राधिकार रखनेवाले न्यायालय के प्रति समझे जायेंगे.

अध्याय ५ भारत का महाकेक्षक

भारत का महाकेक्षक

१२४. (१) *भारत का एक महाकेक्षक होगा, जिसको प्रधान नियुक्त करेगा* और वह अपने पद से केवल उसी रीति और उन्ही कारणो से निष्कासित किया जायेगा जिस रीति और जिन कारणो से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निष्कासित किया जाता है.

(२) महाकेक्षक के वेतन, अधिदेय और सेवा के अन्य प्रतिबन्ध ऐसे होंगे जैसे कि ससद् विधि द्वारा निश्चय करे और जब तक संसद् उनका निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची के उल्लेखानुसार होंगे.

पर न तो महाकेक्षक के वेतन में और न उसके अवकाश, उत्तरवेतन अथवा सेवानिवर्तन वयस-सम्बन्धी अधिकारो में, उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो.

(३) अपने पद-धारण के पर्यवसान के पश्चात् महाकेक्षक भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन और पद का पात्र न होगा.

(४) महाकेक्षक के कर्मचारियो को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तरवेतन को महाकेक्षक प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा.

(५) महाकेक्षक तथा उसके कर्मचारियो को, अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन भारत-आगमो पर प्रभृत्त होंगे.

महाकेक्षक के कर्तव्य और शक्तिया

१२५. महाकेक्षक भारत-शासन के, और किसी राज्य के शासन के, लखा-सम्बन्धी ऐसे कर्तव्यो का पालन, और ऐसी शक्तियो का प्रयोग, करेगा जैसी कि ससत्कृत किसी विधि द्वारा, अथवा उसके अधीन, विनिहित है अथवा होवे.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "ससत्कृत विधि" पद में भारत के राज्यक्षेत्र में उस समय के लिये प्रवृत्त प्रत्येक वर्तमान विधि का समावेश है.

लेखे के विषय मे निदेश देने की महाकेक्षक की शक्ति.

१२६. भारत-शासन का लेखा वैसे रूप में रखा जायेगा जैसे कि भारत का महाकेक्षक, प्रधान के अनुमोदन से, विनिधान करे, और जिन रीतियो अथवा सिद्धान्तों के अनुसार किसी राज्य के शासन का कोई लेखा रखा जाना चाहिये उनके विषय में भारत का महाकेक्षक, प्रधान के अनुमोदन से, जो कुछ निदेश दे उसके अनुसार लेखा रखवाना उस राज्य के शासन का कर्तव्य होगा

अकेक्षण-प्रतिवेदन

१२७ भारत के महाकेक्षक के भारत-शासन लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनो को प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान उनको ससद् के समक्ष रखवायेगा

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य

अध्याय १.—सामान्य

परिभाषा

१२८. यदि प्रसग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य होगा

अध्याय २.----अधिशासि-वर्ग

शासक

राज्यो के शासक

१२९. प्रत्येक राज्य के लिये एक शासक होगा

राज्यो की अधिशासी शक्ति

१३०. (१) राज्य की अधिशासी शक्ति, शासक में निहित होगी, और वह इस का प्रयोग, सविधान अथवा विधि के अनुसार कर सकेगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो प्रकार्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को दिये हुए हैं वे प्रकार्य शासक को हस्तातरित किये हुए न समझे जायेंगे, या

(ख) शासक के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को, विधि द्वारा प्रकार्य प्रदान करने में ससद् अथवा राज्य के विधान-मडल को बाधा न होगी

शासक का निर्वाचन

१३१ राज्य के शासक का निर्वाचन, उन सब व्यक्तियो के, (डायरेक्ट वोट) अव्यवहित मत से होगा, जिनको उस राज्य की विधान-सभा के लिये सामान्य निर्वाचन में मत देने का अधिकार है

विकल्पत

शासक की नियुक्ति

१३१ किसी राज्य के शासक को, प्रधान अपने हस्ताक्षरित और मुद्राकित अधिपत्र द्वारा, चार ऐसे अभ्यर्थियो की तालिका में से नियुक्त करेगा जिनका निर्वाचन उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यो द्वारा अथवा जहा राज्य में विधानपरिषद् हैं वहा सयुक्त अधिवेशन में एकत्रित विधान-सभा और विधान-परिषद् के समस्त सदस्यो द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल सकाम्य मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढशलाका द्वारा होगा

शासक की पदावधि

१३२. शासक अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पाच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा·

पर—

(क) शासक, राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष को, अथवा जहा राज्य के विधान-मडल के दो आगार है, वहा राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष, और विधान परिषद् के सभापति, को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर, शासक इस सविधान के अनुच्छेद १३७ में प्रावहित रीति से किये हुए प्राभियोग द्वारा पद से निष्कासित किया जा सकेगा ;

(ग) शासक अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पदप्रवेशन तक पदारूढ रहेगा ;

शासक की पुर्ननिर्वाचन/पुर्ननियुक्ति के लिये पात्रता

१३३. कोई व्यक्ति जो शासक-रूप में पदारूढ है अथवा रह चुका है, उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुर्ननिर्वाचन/पुर्ननियुक्ति का पात्र होगा.

शासक निर्वाचित होने के लिय योग्यताये

१३४. (१) कोई व्यक्ति शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो.

(२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा—

(क) यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया गया है:

पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा, अथवा

(ख) यदि वह भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन, अथवा उक्त शासनो में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ है.

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ केवल इसी लिये न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मत्री है ; अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह, उस राज्य के विधानमंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार है, वहां उस विधान-मंडल के अवरागार के प्रति उत्तरदायी है और यदि उस विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी भी स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित है.

विकल्पत

शासक नियुक्त होने के लिये योग्यताए.

१३४. (१) कोई व्यक्ति शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो

(२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा, यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया गया है :

पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा.

शासकपद के प्रतिवन्ध

१३५. (१) शासक न तो संसद् का और न प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल का सदस्य होगा और यदि संसद् का अथवा किसी राज्य के विधान-मडल का कोई सदस्य शासक निर्वाचित्/नियुक्त हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने ससद् का अथवा उस विधान-मंडल का अपना स्थान, जैसी भी स्थिति हो, शासक-पद-प्रवेश-तिथि से, रिक्त कर दिया है.

(२) शासक, परिलाभ का अन्य कोई पद अथवा स्थिति धारण न करेगा.

(३) शासक के लिये पदावास रहेगा और उसको वे परिलाभ और अधिदेय दिये जायेंगे जो कि उस राज्य का विधान-मडल, विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न वने तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा अधिदेय दिये जायेंगे.

(४) शासक के परिलाभ तथा अधिदेय उसकी पदावधि म न घटाय जायेंगे.

पदग्रहण से पूर्व शासक अथवा शासक के प्रकार्यों को निर्वाहन करनेवाले व्यक्ति की निश्चयोक्ति अथवा शपथ

१३६ प्रत्येक शासक और शासक के प्रकार्य करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, उस राज्य के विधान-मडल के सदस्यो के समक्ष निम्न रूप में निश्चयोक्ति करेगा अथवा शपथ लेगा, अर्थात् :—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक निश्चयोक्ति करता (शपथ लेता) हू कि मैं सच्चे हृदय से . (अमुक राज्य) के शासक पद का निष्पादन (अथवा शासक के प्रकार्यों का निर्वाहन) करूगा तथा अपनी उत्कृष्टतम योग्यता से सविधान और विधि का रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूगा, और मैं अपने को . . . . (अमुक राज्य) की जनता की सेवा और कल्याण में तनमन से लगाऊगा"

शासक पर प्राभियोग चलाने की कार्य-प्रणाली

१३७ (१) सविधान के अतिक्रमण के लिये जब शासक का प्राभियोग करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान उस राज्य की विधान सभा करेगी

(२) ऐसे किसी दोषारोप का तब तक पुरोधान न किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक सकल्परूप में न हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो जिस पर विधान-सभा के तीस से अन्यून सदस्यो ने हस्ताक्षर करके उस सकल्प को प्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया हो, और

(ख) इस सकल्प का समर्थन, विधान-सभा के समस्त सदस्यो की दो-तिहाई से अन्यून सख्या ने किया हो.

(३) जब दोषारोप का पुरोधान इस प्रकार किया जा चुके, तब विधान-सभा का अध्यक्ष राज्य-परिषद् के सभापति को सूचित करेगा और तब राज्य-परिषद्, दोषारोप के अनुसन्धान के लिये, एक समिति नियुक्त करेगा जो ऐसे व्यक्तियो की भी हो सकेगी अथवा जिसमें ऐसे व्यक्ति भी रह सकेगे जो राज्य-परिषद् के सदस्य नहीं हैं और शासक को इस अनुसधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का अधिकार होगा

(४) यदि अनुसधान के परिणामस्वरूप, शासक के विरुद्ध पुरोधान किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला सकल्प, राज्य-परिषद् के समस्त सदस्यो की दो-तिहाई से अन्यून सख्या द्वारा समर्थित हो कर पार हो जाता है, तो उस सकल्प का प्रभाव, विधान-सभा के अध्यक्ष के पास उस सकल्प को भेजने की तिथि से, शासक का अपने पद से निष्कासन होगा.

विशेष सम्भाव्यताओ में शासक के प्रकार्य निर्वाहनार्थ प्रावधान बनाने की राज्य के विधान मडल (प्रधान) की शक्ति

१३८. इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता में किसी राज्य का विधान-मण्डल उस राज्य के प्रकार्य निर्वाहनार्थ जैसा उचित समझे वैसा प्रावधान बना सकेगा.

विकल्पश

इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता में प्रधान किसी राज्य के शासक के प्रकार्य-निर्वाहनार्थ जैसा उचित समझे वैसा प्रावधान बना सकेगा.

शासक-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका सघटनार्थ निर्वाचन) समय

१३९. (१) शासक की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका के संघटनार्थ निर्वाचन) अवधि-अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायेगा.

(२) शासक की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, अथवा अन्य कारण से हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन), रिक्ति होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, किया जायेगा और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित (नियुक्त) व्यक्ति, इस सविधान के अनुच्छेद १३२ में प्रावहित पाच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये पद-धारण करने का अधिकारी होगा.

शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-सघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्वद्ध विषय

१४०. (१) शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका सघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सब सदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ट और निर्णीत होगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा.

(२) इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन) विषयक अथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन, उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा कर सकेगा

क्षमण आदि की तथा कुछ अभियोगो मे दडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेशन करने की, शासक की शक्ति

१४१. जिस विषय के लिये किसी राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दोष प्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमण, प्रविलम्बन, प्रास्थगन, या परिहरण प्रदान करने की, अथवा दडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन करने की, उस राज्य के शासक को शक्ति होगी.

राज्यो की अधिशासी शक्ति का विस्तार

१४२. इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति के अन्तर्गत होगे—

(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है ; और

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से अथवा राज्यो के समूह से, इस सविधान के अनुच्छेद २३६ अथवा २३७ के अधीन की गई किसी संविदा के अनुसार प्रयोक्तव्य अधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग.

मन्त्रि-परिषद्

शासक को सहायता और मत्रणा देने के लिये मन्त्रि-परिषद्

१४३. (१) जिन बातो में इस सविधान द्वारा अथवा इसके अधीन शासक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रकार्यों अथवा उनमें से किन्ही के पालन में स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उन बातो को छोड कर, शासक को अपने प्रकार्यो का पालन करने में सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रमुख मुख्यमन्त्री होगा.

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है, कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिसके सम्बन्ध में, इस सविधान के द्वारा अथवा अधीन शासक को स्वविवेक से कार्य करना अपेक्षित है तो शासक का स्वविवेक से किया हुआ निर्णय अन्तिम होगा, और शासक द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण कोई प्रश्न न किया जायेगा कि उसे स्वविवेक से कार्य करना या न करना चाहिये था.

(३) क्या मन्त्रियो ने शासक को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी तो क्या, इस प्रश्न पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी

मन्त्रियो सबधी अन्य प्रावधान

१४४ (१) अपने मन्त्रियो की नियुक्ति शासक करेगा और वे उसके प्रसादकाल तक अपने पद पर आसीन रहेगे

पर बिहार, मध्यप्रान्त और बरार तथा उडीसा राज्यो में वनजातियो के कल्याण का प्रभारी एक मन्त्री रहेगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियो और पिछडे हुए वर्गों के कल्याण का अथवा किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकेगा

(२) किसी मन्त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, शासक उसको तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुये प्रपत्रो के अनुसार, पद तथा गूढता की शपथें दिलायेगा

(३) कोई मन्त्री, जो छ निरन्तर मासो की किसी अवधि तक राज्य के विधान-मडल का सदस्य न रहे, उस अवधि के पश्चात्, मन्त्री न रहेगा.

(४) अपने मन्त्रियो को चुनने में और उनके साथ अपने व्यवहारो में शासक चतुर्थ अनुसूची में दिये हुये निदेशो पर सामान्यत.चलेगा, पर शासक द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई प्रश्न न किया जायेगा कि वह उन निदेशो के अनुकूल नहीं की गई थी.

(५) मन्त्रियो के वेतन तथा अधिदेय वे ही होगे जो समय समय पर उस राज्य का विधान-मडल विधि द्वारा निश्चय करे, और जब तक उस राज्य का विधान-मडल ऐसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अनुसार होगे.

(६) इस अनुच्छेद के अधीन मन्त्रियो की नियुक्ति और वियुक्ति से सम्बद्ध अपने प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा.

राज्य का महाधिवक्ता

राज्य का महाधिवक्ता

१४५. (१) प्रत्येक राज्य का शासक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा.

(२) महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि, वह उस राज्य के शासन को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयो पर मत्रणा दे और ऐसे विधि-रूप दूसरे कर्तव्यो का पालन करे जो उसे शासक समय समय पर भेजे अथवा सौंपे तथा उन प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस सविधान अथवा उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के द्वारा अथवा अधीन दिये गये हो

(३) राज्य के मुख्य मन्त्री के पदत्याग पर, महाधिवक्ता अपने पद से निवृत्त होगा, पर वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा अपनी पुनर्नियुक्ति होने तक पदासीन रह सकेगा.

(४) महाधिवक्ता को वे परितोषण दिये जायेंगे जो शासक निश्चय करे.

शासन-कार्य का संचालन

राज्य-शासन-कार्य का सचालन

१४६. (१) किसी राज्य के शासन की समस्त अधिशासी कार्यवाही शासक के नाम से की गई कही जायेगी.

(२) शासक के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशो तथा अन्य विलेखो का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायेगा जो शासक द्वारा बनाए जाने वाले नियमो में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणकित आदेश अथवा विलेख की मान्यता पर आक्षेप इस आधार पर न किया जायेगा कि यह, शासक द्वारा दत्त अथवा निष्पादित आदेश अथवा विलेख नहीं है.

शासक को ससूचना देने आदि विषयक मुख्य मत्री के कर्तव्य

१४७. प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री का कर्तव्य होगा—

(क) राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, मन्त्रि-परिषद् के समस्त निर्णय तथा विधानार्थ प्रस्थापनाएं, शासक को पहुंचाना ;

(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, तथा विधानार्थ प्रस्थापनाओं सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे शासक मंगावे; और

(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने निर्णय कर दिया है किन्तु मन्त्रिपरिषद् ने विचार नही किया है, शासक के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचारार्थ रखना.

अध्याय ३ ----राज्य का विधान-मंडल

सामान्य

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यो के विधान-मडलो का सघटन

१४८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो शासक, और

(क) ———————————राज्यो में, दो आगारों से ;

(ख) अन्य राज्यो में, एक आगार से,

बनेगा.

(२) जहा किसी राज्य के विधान-मडल के दो आगार है, वहां एक विधान-परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहा केवल एक आगार है वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा.

विधान-सभाओ की रचना.

१४९ (१) इस संविधान के अनुच्छेद २९४ और २९५ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा, अव्यवहित निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यो से बनेगी.

(२) निर्वाचन, प्रौढ मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात् प्रत्येक जानपद जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस संविधान अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के किसी विधि के अधीन, अनिवास, मनोविक्षेप, पातक, अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्योग्य नहीं किया है, ऐसे निर्वाचनों में मतदाता पंजीयित होने का अधिकारी होगा.

(३) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र का प्रतिनिधान, उस निर्वाचनक्षेत्र को अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में दी हुई जनसंख्या के आधार पर होगा और आसाम के स्वायत्त शासी मंडलों को छोड़ कर जनसंख्या के प्रत्येक लाख के लिये एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा

पर किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में तीन सौ से अधिक अथवा साठ से कम न होगी

(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के अनुच्छेद २८९ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा निश्चय करे.

पर उस समय वर्तमान विधान-सभा के विलयन होने तक इस पुनर्व्यवस्थापन का प्रभाव विधान-सभा में प्रतिनिधान पर न पड़ेगा

विधान परिषदों की रचना

१५० (१) जिस राज्य में विधान-परिषद् है, वहां परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या के पच्चीस प्रतिशत् से अधिक न होगी.

(२) किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या में से—

(क) आधी, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अनुसार निर्मित अभ्यर्थियों की तालिकाओं में से, चुनी जायेगी ;

(ख) एक-तिहाई, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्य, अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा, निर्वाचित करेंगे ;

(ग) शेष शासक मनोनीत करेगा.

(३) किसी राज्य की विधान-परिषद् के प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व, और तत्पश्चात् इस संविधान के अनुच्छेद १५१ के खंड (२) के अनुसार प्रत्येक त्रैवार्षिक निर्वाचन के पूर्व, अभ्यर्थियों की पांच तालिकाएँ बनाई जायेंगी, जिन में से एक में उस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम रहेंगे और शेष चार में क्रमश ऐसे व्यक्तियों के नाम रहेंगे जिन्हें निम्न विषयों-सम्बन्धी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्:—

(क) साहित्य कला, और विज्ञान ;

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन, और तत्सम्बन्धी विषय ;

(ग) अभियन्त्रण और वास्तु शास्त्र ;

(घ) लोक-प्रशासन और समाजिक सेवाएँ

(४) इस अनुच्छेद के खंड (३) के अनुसार निर्मित प्रत्येक तालिका में, उस तालिका में से चुनें जानें वालों की संख्या से कम से कम दूनी संख्या होगी.

(५) उपनिर्वाचन के लिये, इस अनुच्छेद के खंड (३) और (४) ऐसी उपयोजनाओं और संपरिवर्तनो के साथ प्रभावी होगें जिन्हे उस राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा विनिहित करे.

राज्यो के विधान-मडलो की अवधि

१५१. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और पाच वर्ष की उक्त अवधि के अवसान का प्रभाव विधान-सभा का विलयन होगा.

(२) किसी राज्य की विधान-परिषद् का विलयन न किया जायेगा, किन्तु उसके सदस्यो में से, एक-तिहाई के यथा शक्य निकटतम संख्या, उस राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानो के अनुसार, प्रत्येक तृतीय वर्ष की समाप्ति पर, निवृत्त होगी.

राज्य के विधान-मडल की सदस्यता के लिये आयु-सीमा

१५२. कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान मंडल में स्थान पाने के योग्य न होगा जब तक वह विधान-सभा के स्थान की दशा में पच्चीस वर्ष की, और विधान-परिषद् के स्थान की दशा में पैंतीस वर्ष की, आयु से अन्यून न हो.

राज्य के विधान-मडल के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन

१५३. (१) राज्य के विधान-मडल के आगार अथवा आगारों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक, और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच छः मास का अन्तर न होगा.

(२) इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, शासक, समय समय पर—

(क) आगारों को अथवा किसी आगार को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये बुला सकेगा ;

(ख) आगार अथवा आगारो का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ग) विधान-सभा का विलयन कर सकेगा.

(३) इस अनुच्छेद के खंड (२) के उपखंड (क) और (ग) में दिये हुये प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा.

आगारो को सम्बोधन करने और सदेश भेजने का शासक का अधिकार

१५४. (१) विधान-सभा को, अथवा किसी राज्य में विधान-परिषद होने की अवस्था में, उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक आगार को, अथवा एकत्र हुये दोनो आगारो को, शासक सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यो की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) शासक, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बमान किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारो को भेज सकेगा और जिस आगार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो, वह आगार उस सन्देश द्वारा विचारापेक्षित विषय पर यथासुविध शीघ्रता से विचार करेगा.

प्रत्येक सत्रारम्भ मे शासक का विशेष अभिभाषण, तथा अभिभाषण मे निर्दिष्ट विषयो का विधान-मडल मे पर्यालोचन.

१५५. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, विधान-सभा को, अथवा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, एकत्र हुये दोनो आगारो को, शासक सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारण विधान-मडल को बतलायेगा

(२) किसी भी आगार की कार्यप्रणाली के आनियामक नियमो द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयो के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा आगार के अन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा.

आगारो विषयक, मन्त्रियो और महाधिवक्ता के अधिकार

१५६. राज्य के प्रत्येक मन्त्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह, उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, दोनो आगारो में तथा आगारो की किसी सयुक्त बैठक में, बोले और अन्यथा उनकी कार्यवाहियो में भाग ले, तथा विधान-मडल की किसी समिति में, जिस में उसका नाम सदस्यरूप में दिया गया हो, बोले तथा अन्य कार्यवाहियो में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का अधिकार न होगा

राज्य के विधान-मडल के अधिकारी

विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

१५७ राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यथा सम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यो को क्रमश अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब, सभा किसी अन्य सदस्य को, स्थित्यनुसार, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुनेगी

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पदत्याग तथा पदनिष्कासन

१५८. किसी विधान-सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर आरूढ सदस्य—

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, और अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पदत्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित सकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा

पर इस अनुच्छेद के खड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस सकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो .

पर यह और भी कि, जब कभी विधान-सभा का विलयन किया जाये तो विलयन के पश्चात् होने वाली विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के सद्य पूर्व तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा.

अध्यक्षपद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियो की शक्ति

१५९. (१) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यो का पालन करेगा.

(२) विधान-सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जिसका सभा की कार्यप्रणाली के नियमो से निश्चय किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति

१६०. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्, जहां ऐसी परिषद् है, यथासम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यो को क्रमश. अपने सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब जब सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्यो को स्थित्यनुसार सभापति अथवा उपसभापति चुनेगी.

सभापति तथा उपसभापति की पदरिक्ति' पदत्याग तथा पदनिष्कासन

१६१. किसी विधान-परिषद् के सभापति अथवा उपसभापति के पद पर आरूढ सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नही रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है, और सभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो.

सभापति-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा सभापति के स्थानापन्न होने की, उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियो की शक्ति.

१६२. (१) जब तक सभापति का पद रिक्त हो, तब तक उपसभापति, अथवा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, विधान-परिषद् का ऐसा सदस्य जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यो का पालन करेगा.

(२) विधान-परिषद् की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में, उपसभापति अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिषद् की कार्यप्रणाली के नियमो से निश्चय किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो, अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सभापति तथा उपसभापति के वेतन तथा अधिदेय

१६३ विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को और विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को वे वेतन तथा अधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमश, राज्य का विधान-मडल विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक, वे वेतन और अधिदेय दिये जाएँगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है

कार्य-सचालन

आगारो मे मतदान, रिक्तियो के होते हुये भी आगारो के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक

१६४ (१) इस सविधान में प्रावहित अवस्था को छोडकर किसी राज्य के विधान-मडल के किसी आगार में अथवा दोनो आगारो की सयुक्त बैठक में, सब प्रश्नो का निश्चयन, अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यो के बहुमत से किया जायेगा

अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा पर मत-समता की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा

(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी राज्य के विधान-मडल के किसी भी आगार को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई अनधिकृत व्यक्ति कार्यवाहियो में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-मडल की कार्यवाही मान्य होगी

(३) यदि राज्य को विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् की बैठक में किसी समय भी गणपूरक न रहे तो अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि या तो आगार को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक गणपूरक न हो जाये

गणपूरक, दस सदस्यो का, अथवा आगार के सदस्यो की समस्त सख्या के छठे भाग का होगा, इन में जो भी अधिक हो

सदस्यो की निर्योग्यताएँ

सदस्य द्वारा घोषणा

✓१६५ राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, शासक अथवा शासक द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रपत्र के अनुसार, घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा

स्थानो की रिक्ति

१६६ (१) कोई व्यक्ति, राज्य के विधान-मडल के दोनो आगारो का सदस्य न होगा और जो व्यक्ति दोनो आगारो का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे आगार के स्थान को रिक्त करने के लिये, उस राज्य का विधान-मडल विधि द्वारा प्रावधान बनायेगा

(२) कोई व्यक्ति, ससद् और किसी राज्य के विधान-मडल इन दोनो का सदस्य न होगा और यदि कोई व्यक्ति ससद् और किसी राज्य के विधान-मडल इन दोनो का सदस्य चुना गया है तो उस राज्य के शासक द्वारा निर्मित नियमो में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर, उस व्यक्ति का उस राज्य के विधान-मडल का स्थान रिक्त हो जायेगा, यदि उसने ससद् का अपना स्थान पहिले ही रिक्त न कर दिया हो.

(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के आगार का सदस्य—

(क) निकटतम आगामी अनुच्छेद के खंड (१) में वर्णित निर्योग्यताओ का पात्र हो जाता है; अथवा

(ख) स्थित्यनुसार अध्यक्ष अथवा सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा.

(४) यदि किसी राज्य के विधान-मडल के आगार का सदस्य साठ दिनो की अवधि तक बिना आगार की अनुमति के उसके सब अधिवेशनो में अनुपस्थित रहे तो आगार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा

पर उक्त अवधि की गणना में किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में आगार का सत्रावसान, अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनो के लिये स्थगन, हुआ है.

सदस्यता के लिये निर्योग्यताएँ

१६७. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा—

(क) यदि वह भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन लाभपद पर आरूढ है, ऐसे पद को छोडकर जिसके धारण करने वाले का निर्योग्य न होना, ससद् ने विधि द्वारा, घोषित किया है ;

(ख) यदि वह विक्षिप्त है और अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति अथवा अभिलग्नता स्वीकार किये हुए है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद के अधिकारो अथवा विशेषाधिकारों का अधिकारी है ;

(ङ) यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा अथवा अधीन इस प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है.

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति, भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन, लाभ-पद पर आरूढ़ केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का, या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री है ; अथवा

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है यदि वह, उसराज्य के विधान-मंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मडल के दो आगार हैं, वहा विधान-मंडल के अवर-आगार के प्रति, उत्तरदायी है और यदि स्थित्यनुसार विधान-मंडल के अथवा आगार के, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित है.

अनुच्छेद १६५ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुये अथवा निर्योग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दंड

१६८. यदि कोई व्यक्ति राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है जब कि उसने इस संविधान के अनुच्छेद १६५ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की है, अथवा जब वह जानता है, कि मैं योग्य नहीं हूं, अथवा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूँ, अथवा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रावधानों से ऐसा करने से वर्जित कर दिया गया हूँ तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाँच सौ रुपये के दण्ड का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में प्रत्याहृत होगा।

सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियां

सदस्यों के विशेषाधिकार आदि

१६९ (१) विधान-मंडल की कार्यप्रणाली के आनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा.

(२) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुये किसी मत के सम्बन्ध में, विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध, किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, विधान-मंडल के किसी आगार के प्राधिकार के द्वारा अथवा अधीन किसी विवरण-पत्र, पत्र, मतों अथवा कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी

(३) अन्य बातों में, राज्य के विधान-मंडल के आगार के सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियां वेही होंगी जो वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि-द्वारा परिभाषित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेन्ट के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं.

(४) जिन्हें, इस संविधान के सामर्थ्य से राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है, उनके सम्बन्ध में इस अनुच्छेद के खंड (१), (२) और (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं

सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय

१७० राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्य उन वेतनों तथा अधिदेयों को पाने के अधिकारी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, अधिदेय ऐसी दर से और ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थे.

विधान-कार्यप्रणाली

विधेयको के पुर स्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान.

१७१. (१) मुद्रा विधेयकों तथा अन्य आर्थिक विधेयकों के विषय मे इस सविधान के अनुच्छेद १७३ और १८२ के, प्रावधानो के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में, प्रारम्भ हो सकेगा.

(२) इस सविधान के अनुच्छेद १७२ और १७३ के प्रावधानो के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के आगारो से, पारित न समझा जायेगा, जब तक कि या तो बिना सशोधन के या दोनो आगारो द्वारा स्वीकृत सशोधनो सहित, दोनो आगारो ने उसको स्वीकार न कर लिया हो.

(३) आगार अथवा आगारो के सत्रावसान के कारण, किसी राज्य के विधान-मंडल में लम्बमान विधेयक व्यपगत न होगा

(४) किसी राज्य की विधान-परिषद् में लम्बमान विधेयक, जिसको विधान-सभा ने पारण नही किया है, विधान-सभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा

(५) जो विधेयक, किसी राज्य की विधान-सभा में लम्बमान है अथवा जो विधान-सभा द्वारा पारित हो कर विधान-परिषद् में लम्बमान है, वह विधान-सभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा.

कुछ अवस्थाओ में, विधान-परिषदो वाले राज्यो के दोनो आगारो की सयुक्त बैठक

१७२. (१) विधान-परिषद् वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, किसी विधेयक के पारित होने, और विधान-परिषद् को पारेषित किये जाने, के पश्चात्, विधान-परिषद् द्वारा विधेयक की प्राप्ति तिथि से, दोनो आगारो द्वारा विधेयक को पारण किये बिना, यदि छ: से अधिक मास बीत जायें तो, विधान-सभा के विलयन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नही हो गया है तो, विधेयक पर विचार करने और मत देने के प्रयोजनार्थ, शासक आगारो को संयुक्त बैठक के लिये बुला सकेगा.

पर इस खंड की कोई बात किसी मुद्रा विधेयक पर लागू न होगी.

(२) इस अनुच्छेद के खड (१) में निर्दिष्ट छ: मास की अवधि की सगणना में दोनो आगारो के सत्रावसान समय अथवा चार से अधिक दिन के लिये स्थगन समय को न गिना जायेगा

(३) यदि इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अनुसार आहूत दोनो आगारो की संयुक्त बैठक में, विधेयक, ऐसे सशोधनो सहित, यदि कोई हो, जिनको सयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनो आगारो के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित हो जाये तो इस सविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनो आगारो से पारित समझा जायेगा :

पर सयुक्त बैठक में—

(क) यदि, विधान-परिषद् ने विधेयक को संशोधनो सहित पारण न किया हो और विधान-सभा को लौटा दिया हो, तो उन संशोधनो (यदि कोई हो) के अतिरिक्त, जो विधेयक के पारण में विलम्ब के कारण आवश्यक हो गये हो, विधेयक पर कोई और सशोधन स्थापित न किये जायेंगे ,

(ख) यदि विधान-परिषद् ने विधेयक को इस प्रकार पारण कर दिया है और लौटा दिया है तो विधेयक पर केवल पूर्वोक्त संशोधन, तथा ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयो से संगत है जिन पर आगारो में सहमति नही हुई है, पस्थापित किये जायेंगे ;

और अध्यासी व्यक्ति का निर्णय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा.

मुद्रा विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली

१७३ (१) विधान-परिषद् में मुद्रा विधेयक पुर स्थापित न किया जायेगा·

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् को इसके अभिस्तावो के लिये, पारेषित किया जायेगा, और विधान-परिषद्, विधेयक की प्राप्ति-तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, विधेयक को अपने अभिस्तावो सहित विधान सभा को, लौटा देगी और तब विधान-सभा, विधान-परिषद् के अभिस्तावो में से सब को अथवा किसी को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी.

(३) यदि विधान-परिषद् के अभिस्तावो में से किसी को, विधान-सभा स्वीकार कर ले तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा अभिस्तावित तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनो सहित, दोनो आगारो द्वारा पारित समझा जायेगा

(४) यदि विधान-परिषद् के अभिस्तावो में से किसी को भी विधान-सभा स्वीकार न करे तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा अभिस्तावित संशोधनो के बिना विधान-सभा से पारित समझा जायेगा

(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित, तथा विधान-परिषद् को उसके अभिस्तावो के लिये पारेषित मुद्रा-विधेयक, उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया न जाये तो, उक्त अवधि के अवसान पर यह दोनो आगारो द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें विधान-सभा ने उसको पारित किया था

मुद्रा विधेयको की परिभाषा

१७४ (१) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, वह विधेयक मुद्रा-विधेयक समझा जायेगा जिसमें निम्नलिखित विषयो में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले प्रावधान ही हो, अर्थात्—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन, अथवा आनियमन,

(ख) राज्य द्वारा मुद्राऋण लेने का, अथवा प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किसी आर्थिक भार से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, आनियमन,

(ग) प्रव्यय,

(घ) राज्य के आगमो का नियोजन,

(ङ) किसी व्यय को राज्य आगमो पर प्रभृत व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि,

(च) राज्य आगमो के लेखे में मुद्रा-प्राप्ति, अथवा ऐसी मुद्रा का समारक्षण या निर्गम अथवा राज्य के लेखे का अकेक्षण ; अथवा

(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदो में उल्लिखित विषयानुसंगी कोई विषय

(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्राविधेयक न समझा जायेगा, कि वह, अर्थदंडो (जुर्मानो), या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का, अथवा अनुज्ञाओ के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओ के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनो के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है.

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मडल मे पुर स्थापित कोई विधेयक मुद्राविधेयक है या नही तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

(४) अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन जब मुद्राविधेयक विधान-परिषद् को भेजा जाता है और जब वह आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अधीन अनुमति के लिये शासक के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो प्रत्येक मुद्राविधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाण, अकित रहेगा कि वह मुद्राविधेयक है.

विधेयको पर अनुमति

१७५. जो विधेयक किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मडल के दोनो आगारो द्वारा, पारित कर दिया गया है, वह शासक के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और शासक विधेयक पर अपनी अनुमति देने या रोक लेने अथवा विधेयक को प्रधान के विचारार्थ आरक्षित रखने की घोषणा करेगा :

पर, जहा विधान-मंडल का केवल एक आगार है और विधेयक को उस आगार ने पारित कर दिया है, तो शासक स्वविवेक से विधेयक को सदेश के साथ लौटा सकेगा और इस सदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि आगार इस विधेयक पर अथवा इस के किन्हीं उल्लिखित प्रावधानो पर पुनर्विचार करे और विशेषत उन संशोधनो के पुरःस्थापन की वाछनीयता पर पुनर्विचार करे जिनको उसने अपने सदेश में अभिस्तावित किया हो, और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तब आगार उस पर तदनुसार विचार करेगा और यदि आगार विधेयक को संशोधन के साथ अथवा सशोधन के बिना पुन पारण करे, और शासक के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित करे तो शासक उस पर अनुमति नहीं रोकेगा.

विचारार्थ आरक्षित विधेयक

१७६. जब कोई विधेयक प्रधान के विचार के लिये शासक द्वारा आरक्षित किया जाये तो प्रधान विधेयक पर अपनी अनुमति देने अथवा रोक लेने की घोषणा करेगा :

पर, जहा विधेयक मुद्राविधेयक न हो, वहां प्रधान, उस विधेयक को, राज्य के विधान-मडल के उस आगार को अथवा स्थित्यनुसार उन आगारो को, अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के परादिक में उल्लिखित सदेश के साथ लौटाने के लिये, शासक को आदेश दे सकता है और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तो एक अथवा दोनो आगार उस पर उस सदेश के पाने की तिथि से छ मास की अवधि के भीतर तदनुसार पुनर्विचार करेगे, और यदि वे उसे संशोधन के साथ अथवा बिना सशोधन के पुनः पारण करे तो वह, प्रधान के समक्ष उसके विचारार्थ पुन उपस्थित किया जायेगा.

आर्थिक विषयो में कार्यप्रणाली

वार्षिक आर्थिक विवरण

१७७. (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये, राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारो के समक्ष, शासक, उस राज्य की उस वर्ष के लिये आगणित प्राप्ति और

व्यय का विवरणपत्र रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक आर्थिक विवरण" के नाम से निर्देश किया गया है

(२) वार्षिक आर्थिक विवरण में समाविष्ट व्यय की आगणनाओं में—

(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य-आगमों पर प्रभृत व्यय के रूप से वर्णित है उनकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां ; और

(ख) राज्य-आगमों से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां ,

पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी, और आगम-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से विभेद किया जायेगा

(३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्य के आगमों पर प्रभृत व्यय होगा—

(क) शासक के परिलाभ और अधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;

(ख) विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के भी परिलाभ और अधिदेय ,

(ग) ऐसे ऋण प्रभार, जिनकी देयता राज्य पर है, जिसमें व्याज प्रतिस्थापन प्रणोवि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार और उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण-निष्क्रयण सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित होंगे ,

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और अधिदेयों सम्बन्धी-व्यय ,

(ङ) किसी न्यायालय अथवा विवाची धर्माधिकरण के निर्णय, आदेश अथवा परिनिर्णय के सतोषण के लिये अपेक्षित कोई राशियां ;

(च) इस संविधान से, अथवा राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभृत घोषित किया गया कोई अन्य व्यय.

विधान-मंडल में आगणना-विषयक-कार्य-प्रणाली

१७८ (१) जितनी आगणनायें राज्य के आगमों पर प्रभृत व्यय से सम्बद्ध हैं वे, विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अन्वय न किया जायेगा कि वह, विधान-मंडल में, इनमें से किसी आगणना के पर्यालोचन को, रोकती है

(२) उक्त आगणनाओं में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, विधान-सभा के समक्ष अनुदान मांग के रूप में रखी जायेंगी और विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम करके, स्वीकार करे

(३) शासक के अभिस्ताव के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी

प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन

१७९ (१) शासक अपने हस्ताक्षर द्वारा—

(क) अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के अधीन विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों का ,

(ख) राज्य के आगमो पर प्रभृत्त व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित विविध राशियो का, किन्तु जो आगार अथवा आगारो के समक्ष, पूर्व रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी अवस्था में भी अधिक नही ;

उल्लेख करने वाली सूची को प्रामाणिक करेगा

(२) इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची विधान-सभा के समक्ष रखी जायेगी किन्तु विधान-मडल में उस पर पर्यालोचन अथवा मतदान न हो सकेगा.

(३) आगामी निकटवर्ती दो अनुच्छेदो के प्रावधानो के अधीन रहते हुये, राज्यो के आगमो में से कोई भी व्यय सम्यक् प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि वह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची में उल्लिखित न हो.

व्यय के अनुपूरक विवरण

१८०. यदि किसी आर्थिक वर्ष में, राज्य के आगमो से उस वर्ष के लिये उस समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय आवश्यक हो जाता है, तो शासक, उक्त व्यय की आगणित राशि को दिखाने वाले अनुपूरक विवरण को आगार अथवा आगारो के समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदो के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होगे, जैसे कि वे वार्षिक आर्थिक विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय के सम्बन्ध मे प्रभावी हैं.

अतिशायी अनुदान

१८१. यदि किसी आर्थिक वर्ष में राज्य के आगमों में से किसी सेवा पर, जिस पर कि विधान-सभा का मत आवश्यक है, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक व्यय कर दिया गया है तो, विधान-सभा के समक्ष उस आधिक्य के लिये माग उपस्थित की जायेगी और इस संविधान के अनुच्छेद १७८ और १७९ के प्रावधान ऐसी माग के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होगे जैसे कि वे अनुदान की माग के लिये प्रभावी हैं.

आर्थिक विधेयको के लिये विशेष प्रावधान

१८२. (१) इस संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के (क) से (च) तक पदो में उल्लिखित विषयो में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक अथवा संशोधन शासक के अभिस्ताव के बिना पुर स्थापित अथवा प्रस्तावित न किया जायेगा और ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुर:स्थापित न किया जायेगा :

पर किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के अधीन किसी अभिस्ताव की अपेक्षा न होगी.

(२) कोई विधेयक अथवा संशोधन उक्त विषयो में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला, केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि वह अर्थ दंड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का अथवा अनुज्ञाओ के लिये शुल्क की या की हुई सेवाओ के लिये शुल्क की अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है.

(३) जिस विधेयक के अधिनियम बनाये जाने, और प्रवर्तन में लाये जाने पर, राज्य के आगमो से व्यय करना पडेगा, वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार द्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस आगार को प्रधान ने अभिस्ताव न किया हो.

सामान्य कार्यप्रणाली

कार्यप्रणाली के नियम

१८३ (१) इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मडल का कोई आगार अपनी कार्यप्रणाली के तथा अपने कार्यसचालन के आनियमन के लिये नियम बना सकेगा

(२) जब तक इस अनुच्छेद के खड (१) के अधीन नियम नही बनाये जाते तब तक इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य पूर्व, राज्य के प्रन्तीय विधान-मडल के सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे, ऐसे सपरिवर्तनों तथा उपयोजनो के साथ जिन्हे विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति, जैसी भी स्थिति हो, करे, उस राज्य के विधान-मडल के सम्बन्ध में प्रभावी होगे.

(३) विधान-परिषद् वाले राज्य में, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, शासक, दोनो आगारो की सयुक्त बैठक-सम्बन्धी, तथा, उनमें परस्पर सचार-सम्बन्धी, कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा.

(४) दोनो आगारो की सयुक्त बैठक में विधान-सभा का अध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अध्यासी होगा जिसका इस अनुच्छेद के खड (३) के अधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमो के अनुसार निश्चय हो

राज्यो के विधान-मडलो मे प्रयोक्तव्य भाषा

१८४ (१) किसी राज्य के विधान-मडल में कार्य, उस राज्य में सामान्यतया प्रयुक्त भाषा या भाषाओ में, अथवा हिन्दी में, अथवा अग्रेजी में, किया जायेगा

(२) विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति, जब कभी वह उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य भाषा में दिये हुये भाषण का, उस राज्य में सामान्य तथा प्रयुक्त किसी भाषा में अथवा अग्रेजी में सक्षेप, विधान-सभा में अथवा विधान-परिषद् में, जैसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रबन्ध करेगा और ऐसा सक्षेप उस आगार की कार्यवाहियो के उल्लेखपत्र में समाविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था

विधान-मडल में पर्यालोचन पर आयत्रण

१८५ (१) सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य-पालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में राज्य के विधान-मडल में कोई पर्यालोचन न होगा।

(२) इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस सविधान के भाग ५ के अध्याय ४ में दिये हुये किसी प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय है

विधान-मडल की कार्यवाहियो की, न्यायालय परिपृच्छा न करेगे

१८६ (१) कार्यप्रणाली में, किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधान-मडल को किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी

(२) राज्य के विधान-मडल का कोई अधिकारी अथवा अन्य सदस्य, जिसमें इस सविधान द्वारा अथवा इसके अधीन, उस विधान-मडल में कार्यप्रणाली को अथवा कार्यसचालन को आनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की शक्तिया निहित है, उन शक्तियो के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा.

अध्याय ४.—शासक की विधायिनी शक्ति

विधान-मंडल के विश्रान्तिकाल में शासक की अध्यादेश-प्रवर्तनशक्ति.

१८७. (१) उस समय को छोड कर जब, राज्य की विधान-सभा, और जिस राज्य में विधान-परिषद् है वहां, विधान-मंडल के दोनो आगार, सत्रस्थ है, यदि किसी समय शासक को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रवर्तन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियो के कारण आवश्यक दीखें :

पर शासक, प्रधान के निदेश के बिना, कोई ऐसा अध्यादेश प्रवर्तन न करेगा यदि राज्य के विधान-मंडल का, उन्हीं प्रावधानो वाला अधिनियम इस संविधान के प्रावधानो के अधीन अमान्य होता, जब तक कि प्रधान के विचार के लिये आरक्षित किया जा कर, उसे प्रधान की स्वीकृति न मिल गई होती.

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रवर्तित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो शासक द्वारा स्वीकृत राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, और जहां राज्य में विधान-परिषद् है वहां दोनो आगारों के समक्ष रखा जायेगा और विधान-मंडल के पुन अधिविष्ट होने से छः सप्ताह के अवसान पर, अथवा यदि उस कालावधि के अवसान से पूर्व उसकी प्रतिनिन्दा का संकल्प विधान-सभा से पारित और यदि विधान-परिषद् है तो उससे स्वीकृत, हो जाता है तो संकल्प पारण होने पर, अथवा संकल्प स्वीकृत होने पर, जैसी स्थिति हो, प्रवृत्त न रहेगा ; और

(ख) शासक द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत किया जा सकेगा.

व्याख्या —जब विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के आगार भिन्न भिन्न तिथियो में पुन एकत्रित होने के लिये बुलाये जाते है तो इस खंड के प्रयोजनार्थ छः सप्ताह की अवधि की गणना उन तिथियो में से पिछली तिथि से की जायेगी

(३) इस अनुच्छेद के अधीन प्रवर्तित अध्यादेश, यदि और जिस मात्रा तक ऐसा प्रावधान करता है जो विधान-मंडल द्वारा निर्मित और शासक द्वारा स्वीकृत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा.

पर, राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम का, संसद् अधिनियम से अथवा किसी वर्तमान विधि से, किसी समवर्ती सूची में अंकित किसी विषय के सम्बन्ध में, विरोध का प्रभाव दर्शानेवाले इस संविधान के प्रावधानो के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधान के निदेश से प्रवर्तित अध्यादेश, उस राज्य के विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो प्रधान के विचार के लिये रखा गया है और जिस को उसने स्वीकृति दे दी.

अध्याय ५.—गम्भीर सद्यस्कृत्य स्थिति विषयक प्रावधान

गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति में शासक की शक्ति.

१८८. (१) यदि किसी समय किसी राज्य के शासक को समाधान हो जाये कि, गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की शान्ति और अक्षोभ शंकास्पद हो गए हैं और इस संविधान के प्रावधानो के अनुसार राज्य का शासन चलाना सम्भव नहीं रहा, तो वह उद्घोषणा के द्वारा घोषित कर सकेगा कि मैं अपने

प्रकार्यों को उद्घोषणा में उल्लिखित मात्रा तक, स्वविवेक से प्रयोग में लाऊँगा ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे आनुषगिक तथा सनानुवर्ती प्रावधान रह सकेगे जैसे शासक को उद्घोषणा के उद्देश्यो को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीखें इन प्रावधानो में, राज्य के किसी निकाय अथवा प्राधिकारी सबधी इस सविधान के किन्हीं प्रावधानो के प्रवर्त्तन को पूर्णत अथवा अशत स्थगन करने के लिये प्रावधानो का समावेश हो सकेगा

पर इस खण्ड की किसी भी बात से शासक को यह प्राधिकार न होगा कि वह उच्च न्यायालयों सबधी इस सविधान के किसी प्रावधान के प्रवर्त्तन को या तो पूर्णत अथवा अशत स्थगन करे

(२) शासक, उद्घोषणा की ससूचना प्रधान को तुरन्त ही देगा और प्रधान तब या तो उस उद्घोषणा को खण्डित कर सकेगा या ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह इस सविधान के अनुच्छेद २७८ के अधीन अपने में निहित सद्यस्कृत्यता की शक्तियो के प्रयोग में समुपयुक्त समझे

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा दो सप्ताह की समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगी यदि उसे शासक अथवा प्रधान ने लोक अधिसूचना द्वारा उससे पूर्व ही खण्डित न कर दिया हो

(४) इस अनुच्छेद के अधीन अपने प्रकार्यों का प्रयोग शासक स्वविवेक से करेगा

अध्याय ६ — अनुसूचित और वनजाति-क्षेत्र

परिभाषाएँ

१८९ इस सविधान में—

(क) "अनुसूचित क्षेत्र" इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो पचम अनुसूची की कण्डिका १८ से सलग्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित हैं, तथा जिनका सबध उन राज्यो से है जिनसे वे भाग सबद्ध हैं,

(ख) "वन-जाति-क्षेत्र" इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत है जो षष्ठ अनुसूची की कण्डिका १९ से सलग्न सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखित है

अनुसूचित और वन-जाति-क्षेत्रो का प्रशासन

१९० (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रो और वन-जाति-क्षेत्रो के प्रशासन और नियन्त्रण के लिये पचम अनुसूची के प्रावधान लागू होगे

(२) आसाम राज्य के वनजाति-क्षेत्रो के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के प्रावधान लागू होगे

अध्याय ७ — राज्यो के उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय का अर्थ

१९१ (१) इस सविधान के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को छोड कर, भारत के राज्य क्षेत्र के सबध में निम्न-लिखित न्यायालय, उच्च न्यायालय समझे जायेंगे, अर्थात्—

(क) कलकत्ता, मद्रास, बबई, इलाहाबाद, पटना और नागपुर के उच्च न्यायालय, पूर्वी पजाब का उच्च न्यायालय और अवध का मुख्य न्यायालय ,

(ख) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे इस अध्याय के अनुसार उच्च न्यायालय सस्थापित अथवा पुनस्संस्थापित किया गया हो ; और

(ग) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे समुपयुक्त विधान-मण्डल विधि द्वारा इस सविधान के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय घोषित करे :

पर यदि समुपयुक्त विधान मण्डल इस खण्ड में वर्णित किसी न्यायालय या न्यायालयों का स्थान लेने के लिये किसी उच्च न्यायालय के स्थापन का प्रावधान करे, तो उस नए न्यायालय के स्थापन-काल से इस अनुच्छेद का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो कि उसमें इस प्रकार प्रतिस्थापित न्यायालय या न्यायालयो के स्थान में इस नये न्यायालय का वर्णन रहा हो.

(२) अन्यथा प्रावहित अवस्था को छोड कर, इस अध्याय के प्रावधान, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को, लागू होंगे.

उच्च न्यायालयो का सघटन

१६२ प्रत्येक उच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और वह एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशो का बनेगा जिन्हे प्रधान समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे :

पर इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीशो और इस अध्याय के आगामी प्रावधानो के अनुसार प्रधान द्वारा नियुक्त किन्ही अपर न्यायाधीशो को मिला कर उनकी सख्या किसी भी समय उस अधिकतम सख्या से अधिक न होगी जो प्रधान उस न्यायालय के सबंध में आदेश द्वारा निश्चित करे.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उस के पद के प्रतिवन्ध

१६३. (१) भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के शासक से, और मुख्य न्यायाधीश को छोड अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अवस्था में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, परामर्श करने के पश्चात् प्रधान, स्वहस्ताक्षरित तथा स्वमुद्राकित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह उस समय तक पदारूढ रहेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले, या उससे अधिक उतने वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले जो पैंसठ वर्ष से अधिक न हो और जिसे उस राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा एतदर्थ निश्चित करे :

पर—

(क) कोई न्यायाधीश, शासक को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) इस सविधान के अनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासनार्थ प्रावहित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से प्रधान द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा ;

(ग) प्रधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी दूसरे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर उस न्यायाधीश का पद रिक्त हो जायेगा.

(२) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो ; और—

(क) किसी राज्य में जिसमें या जिसके लिये कोई उच्च न्यायालय है वह कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका हो ; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो अथवा अधिक न्यायालयो का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो.

व्याख्या १ —इस खण्ड के प्रयोजनार्थ—

(क) किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहने की कालावधि की गणना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो ;

(ख) उस कालावधि की गणना में, जिसमें कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में न्यायिक पद धारण कर चुका है या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है, इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व की उस अवधि का भी समावेश किया जावेगा जिसमें उसने, किसी ऐसे क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ के पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, की परिभाषा के अनुसार ब्रिटिश भारत में था, न्यायिकपद धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो.

व्याख्या २ —इस खण्ड के उपखण्ड (क) और (ख) में उच्च न्यायालय के निर्देश में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस सविधान के अनुच्छेद १०३ और १०६ के प्रयोजनो के लिये उच्च न्यायालय है

सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी कतिपय प्रावधानो की उच्च न्यायालयो पर प्रयुक्ति

१९४ इस सविधान के अनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) और (५) के प्रावधान, उच्च न्यायालय के संबध में वैसे ही लागू होगें जैसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के सबध में लागू है, और जहा जहा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है उनके स्थान में उच्च न्यायालय के निर्देश हो जाएगे.

पद-प्रवेश से पूर्व उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशो की घोषणा

१९५. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्त, प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद-प्रवेश के पूर्व उस राज्य के शासक के समक्ष अथवा उससे तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुके हुए व्यक्ति के लिये न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवचन करने पर प्रतिषेध

१९६. कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, अथवा

(ख) अधिवक्तृ वर्ग (बार) में से भर्ती किया जाकर किसी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश या अस्थायी न्यायाधीश का,

पद धारण कर चुका है, भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्ता का कार्य न करेगा.

न्यायाधीशों के वेतन, आदि

१९७. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों और अधिदेयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि समय समय पर उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई हुई विधि में, अथवा विधि के अधीन, नियत किये गये हों जिसके अन्तर्गत उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान (सीट) हो, और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनों और अधिदेयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है :

पर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार सहस्र रुपये प्रति मास से कम न होगा और किसी उच्च न्यायालय के किसी दूसरे न्यायाधीश का वेतन साढ़े तीन सहस्र रुपये प्रति मास से कम न होगा :

पर यह और भी कि न तो न्यायाधीश के वेतन में और न अवकाश अथवा उत्तर वेतन सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिस से उस को अलाभ हो.

अस्थायी न्यायाधीश

१९८. (१) जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) (क) जब किसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा जब ऐसा कोई न्यायाधीश अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाये, या जब अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, उस न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगा.

(ख) नियुक्त व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते समय, उस न्यायालय का न्यायाधीश समझा जाएगा.

(ग) इस खण्ड की किसी बात से, प्रधान को, इस खण्ड के अधीन की हुई किसी नियुक्ति के खण्डन करने में कोई बाधा न होगी.

अपर न्यायाधीश

१९९. यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि होने के कारण अथवा ऐसे किसी न्यायालय में कार्य के अवशिष्ट रहने के कारण प्रधान को यह दीखे, कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की सख्या में, उस समय के लिये वृद्धि की जाये, तो, न्यायाधीशों की अधिकतम सख्या सम्बन्धी इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रधान, न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो वह निर्धारित करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा.

सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों की बैठकों मे उपस्थिति

२००. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय भी, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, और इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा .

पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने की अपेक्षा करनेवाली न समझी जायेगी.

विद्यमान उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार.

२०१ इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और इस संविधान द्वारा विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मण्डल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, और उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की क्रमश शक्तियां, जिनमें न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उसके सदस्यों के अकेले या भाजन न्यायालयों में बैठने के आनियमन करने की शक्ति का समावेश है, वैसी ही रहेगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व थीं·

पर आगम-सम्बन्धी, अथवा उसके इकट्ठा करने में आदिष्ट अथवा कृत किसी कार्य सम्बन्धी विषय में किसी भी उच्च न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी आयन्त्रण के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य· पूर्व था, वह आयन्त्रण ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर अब लागू न होगा.

विशेष लेखों के निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति

२०२. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २५ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सम्पूर्ण क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग ३ में प्रदत्त अधिकारों में से किसी को भी प्रवर्तन करने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजनार्थ, बन्धुपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश अथवा आदेश निकालने की शक्ति होगी

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, इस संविधान के अनुच्छेद २५ के खण्ड (२) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा

उच्च न्यायालयों के प्रशासन-प्रकार्य

२०३ (१) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन समस्त राज्य-क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों पर अधीक्षण करेगा.

(२) उच्च न्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयों से प्रत्याय मगा सकेगा ;

(ख) किसी व्यवहार या पुनर्विचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से समान अथवा वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले किसी दूसरे न्यायालय को हस्तान्तरण करने का निदेश दे सकेगा या ऐसे व्यवहार या पुनर्विचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से स्वयं अपने पास ले सकेगा ;

(ग) ऐसे न्यायालयो की कार्यरीति और कार्यवाहियों के आनियमन के हेतु सामान्य नियम बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा प्रपत्रो का विनिधान कर सकेगा; और

(घ) इन न्यायालयो के अधिकारियो द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखों के प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा.

(३) उच्च न्यायालय, उन शुल्को की सारणिया भी निश्चित कर सकेगा जो इन न्यायालयो के प्राड्विवाक को तथा समस्त लिपिको और अधिकारियों को, तथा इनमें वृत्तिकारी प्राभिकर्ताओ, अधिवक्ताओं और अभिवक्ताओ को मिल सकेगे :

पर इस अनुच्छेद के खण्ड (२) या खण्ड (३) के अधीन बनाये हुए कोई नियम, या विनिहित कोई प्रपत्र अथवा निश्चित कोई सारणी, उस समय प्रवर्तमान किसी विधि के प्रावधानो से असडगत न होगी, और इन सब के लिये शासक के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी.

विशेष अभियोगो के वैधिक विचार के लिये उच्च न्यायालय को हस्तान्तरण.

२०४. यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाये कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लम्बमान किसी अभियोग में इस सविधान के निर्वचन विषयक कोई सारवद् विधि प्रश्न अन्तर्भूत है, तो वह उस अभियोग को अपने पास ले लेगा और उसका निर्णय करेगा.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "उच्च न्यायालय" में इस प्रकार लम्बमान किसी अभियोग के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के अन्तर्गत अन्तिम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का समावेश है.

उच्च न्यायालयो के अधिकारियो और सेवको के वेतन, अधिदेय और उत्तर वेतन तथा उच्च न्यायालयो के व्यय.

२०५. (१) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों को अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनो, अधिदेयो तथा उत्तर वेतनों को, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के शासक से परामर्श करके नियत करेगा जिस राज्य में उस उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है.

(२) उच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के अधिकारियो तथा सेवको को अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन, और उस न्यायालय के न्यायाधीशो के वेतन तथा अधिदेय भी सम्मिलित हैं, उस राज्य के आगमो पर प्रभृत होंगे, और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क अथवा अन्य मुद्रायें उन आगमो के भाग होंगे.

उच्च न्यायालय संस्थापन अथवा पुनस्संस्थापन करने की शक्ति.

२०६. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा अपने अथवा अपने किसी भाग के लिये उच्च न्यायालय संस्थापित कर सकता है अथवा किसी वर्तमान उच्च न्यायालय को उसी रीति से अपने अथवा अपने किसी भाग के लिये पुनस्संस्थापित कर सकता है, अथवा यदि उस राज्य में दो उच्च न्यायालय हैं तो उनको मिला कर एक बना सकता है.

(२) जहा, पूर्वोक्त अनुसार किसी न्यायालय का पुनस्संस्थापन अथवा दो न्यायालयो का समामेलन किया गया है वहां उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई विधि में—

(क) उस न्यायालय अथवा उन न्यायालयो के, समस्त वर्तमान न्यायाधीशों के, तथा ऐसे वर्तमान अधिकारियो और सेवको के, जो आवश्यक समझे जायें, अपने अपने पदो पर चालू रखने के लिये; और

(ख) समस्त लम्बमान विषयो का, पुनस्संस्थापित न्यायालय अथवा नवीन न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिये,

प्रावधान रहेगा और उसमें ऐसे दूसरे प्रावधान भी हो सकेंगे जो पुनस्संस्थापन अथवा समामेलन के कारण आवश्यक दीखें.

उच्च न्यायालयो के क्षेत्राधिकार में विस्तार अथवा अपवर्जन

२०७ संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य में उस का मुख्य अधिष्ठान है, उस से भिन्न राज्य में अथवा भिन्न राज्य के किसी क्षेत्र में; अथवा

(ख) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन जिस राज्य में उस का मुख्य अधिष्ठान है उस से भिन्न राज्य से अथवा भिन्न राज्य के किसी क्षेत्र से,

कर सकेगी :

पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिये संसद् के किसी आगार में कोई विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा जब तक कि—

(१) जहा प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ के विभाग क में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में, अथवा ऐसे राज्यान्तर्गत किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो या ऐसे राज्य अथवा क्षेत्र से क्षेत्राधिकार का अपवर्जन होना हो, तो ऐसे दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो; और

(२) जहा क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो तो उस राज्य की भी सहमति न ले ली गई हो जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है

राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध मे, राज्यो के विधान-मडलो की, विधि बनाने की शक्ति पर आयत्रण

२०८. जहा, उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर जिसमें उसका मुख्य अधिष्ठान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो इस सविधान की किसी बात का यह अन्वय न होगा कि वह—

(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, आयत्रण या उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मडल को जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; अथवा

ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये तदर्थ विधि बनाने की शक्ति रखनेवाले विधान-मडल को, उस न्यायालय के उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार-विषयक ऐसी विधिया पारित करने से, अवरोध करती है, जैसी कि वह, इस अनुच्छेद के खड (ख) के अधीन रहते हुये, पारित करने के लिये अधिकृत होती, यदि उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान उस क्षेत्रमें होता.

निर्वचन.

२०९ जहा कोई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यो के सम्बन्ध में, या किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो—

(क) इस अध्याय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में, शासक के प्रति जो निर्देश है उनका अन्वय उस राज्य के शासक के प्रति माना जायेगा जिसमें उस न्यायालय का मुख्याधिष्ठान है ;

(ख) अधीनस्थ न्यायालयो के लिये बने नियमो, प्रपत्रो तथा सारणियों के, शासक द्वारा अनुमोदन के लिये जो निर्देश है, वह उस राज्य के शासक या नरेश द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय स्थित है, और यदि वह किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का भाग नहीं है तो प्रधान द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा ;

(ग) राज्य के आगमो के प्रति जो निर्देश है, वे उस राज्य के आगमो के प्रति माने जायेंगे जिसमें उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है.

अध्याय ९.—राज्यों के मुख्यांकेक्षक

राज्य के मुख्याकेक्षक

२१० (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का विधान-मडल, विधि द्वारा, उस राज्य के लिये मुख्याकेक्षक की नियुक्ति के लिये प्रावधान कर सकेगा और जब ऐसा प्रावधान किया जा चुके तो, शासक स्वविवेक से उस राज्य के लिये मुख्याकेक्षक नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त मुख्याकेक्षक अपने पद से, केवल उस रीति और उन कारणो से ही, निष्कासित किया जा सकेगा, जिस रीति और जिन कारणो से कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निष्कासित किया जा सकता है.

(२) किसी राज्य के विधान-मडल द्वारा, इस अनुच्छेद के खड (१) के अधीन पारित अधिनियम, यह प्रावधान करेगा कि उस राज्य के लिये मुख्याकेक्षक की नियुक्ति तब तक न की जायगी जब तक कि अधिनियम की स्वीकृति के पश्चात् प्रकाशन-तिथि से कम से कम तीन वर्ष न बीत जायें.

(३) प्रत्येक ऐसा अधिनियम, मुख्याकेक्षक के सेवा-प्रतिबन्धो और राज्य के लेखा-सम्बन्धी मुख्याकेक्षक द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यो और प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियो का विनिधान करेगा और मुख्याकेक्षक को, अथवा उस के सम्बन्ध में देय वेतन, अधिदेयो और उत्तरवेतन को राज्य के आगमो पर प्रभृत घोषित करेगा.

(४) किसी राज्य का मुख्याकेक्षक अपने पद के पर्यवसान के पश्चात्, भारत का महाकेक्षक अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी अन्य राज्य का मुख्याकेक्षक नियुक्त होने का पात्र हो सकेगा किन्तु वह भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त होने का पात्र न होगा.

(५) राज्य के मुख्याकेक्षक के कर्मचारियो को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनो, अधिदेयो तथा उत्तरवेतनो को मुख्याकेक्षक, शासक से परामर्श करके नियत करेगा और वे राज्य-आगमो पर प्रभृत होंगे.

(६) इस अनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के लेखे के विषय में, भारत के महाकेक्षक की ऐसे निदेश देने की शक्ति का अल्पीकरण न होगा, जैसे कि इस सविधान के अनुच्छेद १२६ में निर्दिष्ट है.

अकेक्षण-प्रतिवेदन

२११ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के लेखो-सम्बन्धी, भारत के महाकेक्षक के अथवा राज्य के मुख्याकेक्षक के, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदनो को उस राज्य के शासक के समक्ष उपस्थित किया जायगा, जो उनको राज्य के विधान-मडल के समक्ष रखवायेगा।

भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्य

प्रथम अनुसूची के भाग २ मे दिये हुए राज्यो का प्रशासन

२१२. (१) इस भाग के अन्य प्रावधानो के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य का प्रशासन, प्रधान, उस मात्रा तक जितनी कि वह उपयुक्त समझे, अपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ-कमिश्नर) या उपशासक (लेफ्टेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा, अथवा निकटस्थ राज्य के शासक या नरेश के द्वारा, करेगा

पर प्रधान, किसी निकटस्थ राज्य के शासक अथवा नरेश के द्वारा कार्य न करेगा जब तक कि वह——

(क) तत्सम्बद्ध शासक या नरेश से परामर्श न कर ले, और

(ख) प्रशासित होने वाले राज्य के लोगो की इच्छाओ को उस प्रकार से जान न ले जिस प्रकार से कि प्रधान अत्यन्त समुचित समझे.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी ऐसे राज्य का प्रशासन, जिस का नरेश उस राज्य के शासन के लिये और शासन-सम्बन्धी सम्पूर्ण और अनन्य प्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियो को भारत-शासन को दे चुका है, सब बातो में उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो वह प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहा राज्य है और तदनुसार इस संविधान के पूर्वोक्त भाग २ में उल्लिखित राज्यो से सम्बद्ध समस्त प्रावधान ऐसे राज्य पर लागू होंगे.

स्थानीय विधान-मन्डल या मन्त्रणा-परिषद् बनाना व चालू रखना

२१३. प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे और महायुक्त (चीफ-कमिश्नर) अथवा उपशासक (लेफ्टेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये, आदेश द्वारा, प्रधान——

(क) एक स्थानीय विधान-मंडल, या

(ख) एक मन्त्रणा-परिषद्,

अथवा दोनो बना सकेगा अथवा चालू रख सकेगा, और प्रत्येक का सस्थापन शक्तियां तथा प्रकार्य आदेश में उल्लिखित होगे

कुर्ग.

२१४. जब तक इस के लिये प्रधान दूसरा प्रावधान न बनाये, तब तक कुर्ग विधान-परिषद् का सस्थापन, शक्तिया और प्रकार्य तथा कुर्ग में सगृहीत आगमो से और वहा के व्ययो से सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध अपरिवर्तित रहेंगे.

भाग ८

प्रथम अनुसूची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं है

प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों का, और अन्य राज्य-क्षेत्रों का जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, प्रशासन

२१५. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र का, और किसी अन्य राज्यक्षेत्र का, जो भारत-राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत है परन्तु उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, प्रशासन प्रधान उस मात्रा तक जितना कि वह उपयुक्त समझे अपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ कमिश्नर) या अन्य प्राधिकारी के द्वारा करेगा

(२) प्रधान, ऐसे किसी राज्यक्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये आनियम बना सकेगा और इस प्रकार बना हुआ कोई आनियम, संसद् निर्मित किसी विधि का अथवा ऐसे राज्यक्षेत्र में उस समय लागू रही किसी वर्तमान विधि का विखण्डन अथवा संशोधन कर सकेगा और प्रधान से प्रवर्तित होने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसा कि उस राज्यक्षेत्र पर लागू संसदाधिनियम का.

भाग ६

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १.—विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियो का विभाजन

ससद् तथा राज्यो के विधान-मडलो द्वारा निर्मित विधियो का विस्तार

२१६. (१) इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, ससद्, भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा, और किसी राज्य का विधान-मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा.

(२) ससद् द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से कि वह अपने राज्यक्षेत्र से बाहर प्रवृत्त होती है, अमान्य नही समझी जायेगी.

ससद् द्वारा तथा राज्यो के विधान मडलो द्वारा निर्मित विधि के विषय

२१७. (१) निकटस्थ आगामी दो खडो में किसी बात के होते हुए भी ससद् को, सप्तम अनुसूची को सूची १ में (जो इस सविधान में "संघ सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अंकित विषयो में से किसी के सम्बन्ध में, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है.

(२) निकटस्थ आगामी खंड में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, और पूर्ववर्ती खंड के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची ३ में (जो इस सविधान में "समवर्ती सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अकित विषयो में से किसी के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति है.

(३) पूर्ववर्ती दो खडो के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल को सप्तम अनसूची की सूची २ में (जो इस सविधान में "राज्य सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अकित विषयो में से किसी के सम्बन्ध में, उस राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है

(४) संसद् को, भारत-राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये जो प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में सम्मिलित नही है, किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति है चाहे वह विषय "राज्य सूची" में अकित हो.

सर्वोच्च न्यायालय-सम्बन्धी विधान

२१८. संसद् को, सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापन, सघटन, अधिकार-क्षेत्र तथा शक्तियो के विषय में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है.

किन्ही अपर न्यायालयो की स्थापना का प्रावधान करने की ससद् की की शक्ति

२१६. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् निर्मित विधियो के, अथवा "सघ सूची" में अकित किसी विषय-सम्बन्धी वर्तमान विधि के अधिक अच्छे प्रशासन के लिये, संसद अपर न्यायालयो के स्थापन का विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है.

उच्च न्यायालयो के सस्थापन और सघटन सम्वन्धी विधान

२२० (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान मडल को, राज्य के अन्दर अपना मुख्य अधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के सस्थापन और सघटन-सम्वन्धी विधि बनाने की, अनन्य शक्ति है

(२) ससद् को, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य में अपना मुख्य अधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के सस्थापन और सघटन सम्वन्धी विधि बनाने की शक्ति है

उच्च न्यायालयो के अधिकारक्षेत्र और शक्तियो-सम्बन्धी विधान

२२१ (१) सघ सूची में अकित किसी विषय के बारे में, किसी उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र तथा शक्तियो सम्बन्धी विधि बनाने की संसद् को अनन्य शक्ति है

(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान मडल को, जिस राज्य के अथवा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य अथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "राज्य सूची" में अकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है

(३) ससद् को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मडल को भी, जिस राज्य के अथवा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य अथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "समवर्ती सूची" में अकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की शक्ति है.

(४) ससद् को, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य अथवा उस राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "राज्य-सूची" में अकित विषय से सम्बद्ध, उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र और शक्ति के बारे में विधि बनाने की शक्ति है.

दीवानी और फौजदारी विषयो में अनुसरणीय कार्यप्रणाली सम्वन्धी विधान

२२२ संसद् को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल को भी, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान स्थित है, उस उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी और फौजदारी विषयो में अनुसरणीय कार्यप्रणाली-सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति है

अवशिष्ट विधान शक्ति

२२३ (१) ससद् को, ऐसे किसी विषय में जो "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य सूची" में अकित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है

(२) ऐसी शक्ति में, ऐसे कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित है जो उन सूचियो में से किसी में निर्दिष्ट नही है.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यो के सम्वन्ध में किन्ही विषयो पर विधि बनाने की ससद् की शक्तियो पर आयन्त्रण

२२४. इस सविधान के अनुच्छेद २१७ के खड (१) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ससद् को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य अथवा राज्य-समूह के डाक तथा तार सम्बन्धी किसी अधिकार के विषय में जो इस सविधान की प्रारम्भ तिथि को विद्यमान थे, विधि बनाने की शक्ति न होगी जब तक कि वह अधिकार भारत-शासन और उस राज्य अथवा राज्य-समूह के मध्य सविदा से अन्त न हो जाए अथवा भारत शासन द्वारा अवाप्त न कर लिया जाए:

पर इस खंड की कोई बात, संसद् को, उस राज्य अथवा राज्य समूह में डाक और तार को आनियमन अथवा वश में करने के लिये कोई विधि बनाने से न रोकेगी ,

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में टेलीफोन, वायरलेस, आकाश-वाणी (ब्रॉडकास्टिग), और इस प्रकार संचार के अन्य रूपो के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति, उनके आनियमन और वशीकरण तक ही विस्तृत होगी ;

(ग) निगमो के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में रहने वाले और केवल उस राज्य के भीतर व्यापार करने वाले निगमो के निगमन, आनियमन तथा समापन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति का समावेश न होगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यो के लिये विधि बनाने की शक्ति का विस्तार

२२५. इस अध्याय में, किसी बात के होते हुए भी, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य अथवा राज्य-समूह के लिये विधि बनाने की संसद् की शक्ति, उस सम्बन्ध में उस राज्य अथवा राज्य-समूह और भारत-शासन के मध्य की गई संविदा के अभिसमयो और उस में स्थित परिसीमाओ के अधीन रहेगी.

राष्ट्रीय हित में "राज्यसूची" मे के विषय के सम्बन्ध मे विधि बनाने की ससद् की शक्ति.

२२६. इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानो में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य-परिषद् नें, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यो की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि, राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक अथवा उपयुक्त है कि संसद्, "राज्य-सूची" में अंकित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनावे, तो संसद् के लिये उस विषय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण भारत-राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये, विधि बनाना वैध होगा.

जब सद्यस्कृत्य-स्थिति घोषणा प्रवृत्त है तब "राज्य सूची" मे के विषयो के सबध मे विधि बनाने की, ससद् की शक्ति.

२२७. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, जब तक सद्यस्कृत्य स्थिति की घोषणा का प्रवर्तन है, सम्पूर्ण भारत राज्यक्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिये, "राज्यसूची" में अंकित विषयो में से किसी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी.

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि, जिसे ससद् सद्यस्कृत्य स्थिति घोषणा के अभाव में बनाने में समर्थ न होती, घोषणा के प्रवर्तन काल की समाप्ति के पश्चात् छः मास की अवधि बीतने पर, असमर्थता की मात्रा तक उन बातो के अतिरिक्त प्रभावहीन होगी जो उस अवधि बीतने के पूर्व की गई या की जाने से छोड दी गई.

अनुच्छेद २२६ और २२७ के के अधीन ससद् द्वारा निर्मित विधियो और राज्यो के विधान-मडल द्वारा निर्मित विधियो म असगति.

२२८. इस सविधान के अनुच्छेद २२६ तथा २२७ में दी हुई कोई भी बात, किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की किसी शक्ति को, जो इस संविधान के अधीन उसे प्राप्त है, संकुचित न करेगी, परन्तु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई प्रावधान, संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् उक्त दोनो में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की अधिकारी है, किसी प्रावधान के विरुद्ध है तो संसद् द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो, और राज्य के विधान-मडल द्वारा निर्मित विधि, विरोध की मात्रा तक प्रभावहीन तब तक होगी जब तक कि संसद् द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे.

एक या अधिक राज्यो के लिय उनकी समति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और एसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अभिग्रहण

२२९. (१) यदि किसी एक अथवा अधिक राज्यो के विधान-मंडल अथवा विधान-मडलो को यह इष्ट दीखे कि, उन विषयो में से, जिनके संबंध में ससद् को, अनुच्छेद २२६ और २२७ के प्रावधानो के अतिरिक्त, उस राज्य अथवा उन राज्यो के लिये विधि बनाने की शक्ति नही है, किसी विषय का आनियमन उस राज्य या उन राज्यो में ससद्, विधि द्वारा करे और उस राज्य के अथवा उन राज्यो में से प्रत्येक के विधान-मडल के आगार ने अथवा जहा दो आगार हो वहा दोनो आगारो ने तदर्थ सकल्प अथवा संकल्पो का पारण किया है तो उस विषय को तदनुकूल आनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना ससद् के लिये वैध होगा, और इस प्रकार पारित कोई अधिनियम उस राज्य अथवा उन राज्यो को लागू होगा और किसी अन्य राज्य को लागू होगा जो, एतत्पश्चात् अपने विधान-मडल के आगार अथवा जहा दो आगार हो, तो दोनो आगारो से एतदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसका अभिग्रहण करे.

(२) ससद् द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम, इसी प्रकार पारित या अभिगृहीत ससदाधिनियम से संशोधित या विखडित किया जा सकेगा, परन्तु किसी राज्य के सबंध से जहा कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मडल के अधिनियम से संशोधित या विखडित न किया जा सकेगा.

अन्ताराष्ट्रीय सविदाओ के पालनार्थ विधान

२३०. इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानो में कुछ भी रहते हुए संसद् को किसी अन्य देश अथवा देशो के साथ की हुई किसी सधि, सविदा अथवा सप्रतिज्ञा के सम्पालनार्थ, किसी राज्य अथवा उसके भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है

ससद् द्वारा निर्मित और राज्यो के विधान मडलो द्वारा निर्मित विधियो में असगति

२३१. (१) किसी राज्य के विधान-मडल द्वारा बनाई हुई विधि का कोई प्रावधान यदि, ससद् द्वारा बनाई हुई विधि के, जिसे ससद् अधिनियमित करने को समर्थ है, किसी प्रावधान के, अथवा किसी ऐसे विषय की वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के विरुद्ध है जिसके संबध में विधि बनाने की शक्ति ससद् को है, तो इस अनुच्छेद के खड(२)के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, ससद् द्वारा बनाई हुई विधि, चाहे वह उस राज्य के विधान-मडल द्वारा बनाई हुई विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि, जैसी भी स्थिति हो, अभिभावी होगी, और उस राज्य के विधान-मडल द्वारा बनाई हुई विधि प्रतिविरोध-मात्रा तक शून्य होगी.

(२) जहा, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मडल द्वारा निर्मित, विधि में जिसका संबध "समवर्ती सूची" में अंकित विषयो में से एक के साथ है, कोई ऐसा प्रावधान हो जो ससद् द्वारा निर्मित पूर्वतन विधि के, या उस विषय से सम्बद्ध किसी वर्तमान विधि के, प्रतिविरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि अभिभावी होगी यदि वह प्रधान के विचारार्थ आरक्षित की गई हो और उसकी सम्मति प्राप्त कर चुकी हो :

पर इस खंड की कोई बात, ससद् को, किसी समय उसी विषय के सबध में विधि बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें ऐसी किसी विधि का भी समावेश है जो राज्य के विधान-मडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का सशोधन, परिवर्तन या विखडन करे.

विधायिनी शक्तियो पर आयत्रण

अभिस्तावो की अपेक्षाओं को केवल कार्य-प्रणाली के विषय मानना

२३२ ससद् का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल का कोई अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई प्रावधान, केवल इस कारण से कि इस सविधान द्वारा अपेक्षित कोई अभिस्ताव नहीं दिया गया था, अमान्य न होगा यदि उस अधिनियम को सम्मति दी जा चुकी हो—

(क) शासक अथवा प्रधान द्वारा, जहा अपेक्षित अभिस्ताव शासक का इष्ट था ,

(ख) प्रधान द्वारा, जहा अपेक्षित अभिस्ताव प्रधान का इष्ट था.

अध्याय २—प्रशासन सम्बन्ध

सामान्य

सघ और राज्यो के कर्त्व

२३३. प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संसद् द्वारा निर्मित विधियो का तथा उस राज्य में लागू सभी वर्तमान विधियो का पालन सुनिश्चित रहे और सघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो कि भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक दीखे.

सघ के प्राधिकार पर रुकावट अथवा उनका विरोध न करने का राज्यो का कर्तव्य

२३४. (१) प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे सघ की अधिशासी शक्ति के प्रयोग में कोई रुकावट अथवा विरोध न हो और सघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक दीखे.

(२) संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, राज्य को किसी ऐसे संचार-साधनों की रचना तथा सधारण के लिये निदेश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो :

पर इस अनुच्छेद की कोई बात, राजमार्गों या जल मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की ससद् की शक्ति को, अथवा ऐसे घोषित राजमार्ग या जल-मार्ग के सबध में संघ की शक्ति को, अथवा जलबल, थलबल और नभ-बल के कार्यों के सबध में सचार-साधनो को रचने और सधारण करने की सघ की शक्ति को नियन्त्रण करने वाली नही मानी जायेगी.

विशेष अवस्थाओ मे राज्यो को अधिकार-प्रदान की ससद् की शक्ति

२३५ (१) इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के शासन की अनुमति से प्रधान, उस शासन को अथवा उसके अधिकारियो को ऐसे विषय सबधी प्रकार्य, जो सघ की अधिशासी शक्ति में है, प्रतिबन्ध सहित अथवा विना प्रतिबन्ध के सौंप सकता है.

(२) ससद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जो किसी राज्य में लागू होती है, उस राज्य को, अथवा उसके अधिकारियो तथा प्राधिकारियो को, शक्तियो का प्रदान और उन पर कर्तव्यों का आरोपण कर सकेगी अथवा शक्ति-प्रदान तथा कर्तव्य-आरोपण करने का प्राधिकार दे सकेगी, चाहे वह विधि ऐसे विषय से सबध रखती हो जिसके बारे में विधि बनाने की शक्ति उस राज्य के विधान-मंडल को नही है.

(३) जहा इस अनुच्छेद के कारण किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियो या प्राधिकारियो को शक्तियो का प्रदान अथवा उन पर कर्तव्यो का आरोपण किया गया है, वहा उन अधिकारो और कर्तव्यो के पालन के सबध में उस राज्य का जो कुछ अधिक व्यय प्रशासन में हुआ हो, उसके लिये भारत-शासन उस राज्य को सविदानुसार धनराशि देगा और सविदा के अभाव में वह धनराशि देगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त विवाचक निश्चय करे.

किन्हीं राज्यो मे, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यो को ग्रहण करने की सघ की शक्ति

२३६ (१) भारत-शासन, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के साथ सविदा करके, परन्तु सघ और उस राज्य के बीच सबध के विषय में इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, उस राज्य मे निहित किन्हीं अधिशासी, वैधानिक, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण कर सकेगा.

(२) भारत शासन, प्रथम अनुसूची में उस समय अनुल्लिखित रहे किसी भारतीय राज्य के साथ भी उस प्रकार की सविदा कर सकेगा, परन्तु प्रत्येक ऐसी सविदा, उस समय प्रवर्तमान वैदेशिक अधिकारक्षेत्र के प्रयोग सबधी विधि के अधीन रहेगी तथा उससे शासित होगी

व्याख्या—इस अनुच्छेद में "भारतीय राज्य" का अर्थ है कोई राज्यक्षेत्र जिसे प्रधान ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार करता है परन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नही है.

(३) यदि इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार किसी राज्य के साथ की गई सविदा, किसी ऐसे विषय के लिये प्रावधान करती है, जिसके सबध में, उस राज्य के साथ इस सविधान के अनुच्छेद २३७ के अनुसार, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन द्वारा की गई सविदा में पहिले ही प्रावधान है तो पूर्वोल्लिखित सविदा के हो जाने की तिथि से उत्तरोल्लिखित सविदा जहा तक उसमें ऐसे विषय का प्रावधान है, खडित और प्रभावहीन मानी जायेगी.

(४) सघ और प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस अनुच्छेद के खड (१) के अनुसार सविदा हो जाने पर—

(क) सघ की अधिशासी शक्ति का प्रसार, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के लिये होगा,

(ख) ससद को, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के सबध में, विधि बनाने की शक्ति होगी; और

(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इस सविधान के अनुच्छेद ११४ के खड (२) के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, उस सविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के सबध में क्षेत्राधिकार होगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यो में, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यो को ग्रहण करने की, प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यो की शक्ति

२३७ (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के साथ तदर्थ की हुई सविदा द्वारा कोई वैधानिक, अधिशासी अथवा न्यायिक प्रकार्यों को, जो उत्तरोल्लिखित राज्य में निहित है, प्रधान के पूर्व सम्मोदन से, ग्रहण करने का सामर्थ्य होगा

(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य, और उस अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस अनुच्छेद के खड (१) के अनुसार सविदा हो जाने पर—

(क) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य की अधिशासी शक्ति का प्रसार, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के लिये होगा,

(ख) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य के विधानमडल को, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति होगी; और

(ग) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित राज्य के उच्च न्यायालय और अन्य उपयुक्त न्यायालयो को उस सविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार होगा.

सार्वजनिक क्रिया, उल्लेख-पत्र, तथा न्यायिक कार्यवाहिया

२३८. (१) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, संघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओ, उल्लेख-पत्रो, तथा न्यायिक कार्यवाहियो को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायेगी.

(२) इस अनुच्छेद के खड (१) में उल्लिखित कार्यों, उल्लेखपत्रो तथा कार्यवाहियो की सिद्धि की रीति और प्रतिबन्ध, तथा उनके प्रभाव का निश्चयन विधि के प्रावधानो के अनुसार होगा.

(३) भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में दीवानी अदालतो (व्यवहार-न्यायालयों) द्वारा दिये गए अन्तिम-न्यायनिर्णयो अथवा आदेशो का निष्पादन (हुकरसी) उस राज्यक्षेत्र के अन्दर कही भी विध्यनुसार हो सकेगा:

पर इस अनुच्छेद के खड (१) और (३) के प्रावधान, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसो राज्य के सार्वजनिक कार्यों, उल्लेखपत्रो, तथा न्यायिक कार्यवाहियो को, और उस राज्य के व्यवहार-न्यायालयो द्वारा दिये अथवा पारित किये गये अन्तिम न्यायनिर्णय अथवा आदेश को, लागू नही होगे जब तक कि सघ के साथ तदर्थ की गई उस राज्य की सविदा के पदो के अधीन संसद् को, समवर्ती सूची में अकित प्रविष्टि २, ४ और ५ के विषयो के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति न हो.

जल-प्रदाय में हस्तक्षेप

जल-प्रदाय म हस्तक्षेप की शिकायते (परिदेवना)

२३९. यदि प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन को यह दीखे कि, किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के विषय में—

(क) किसी अधिशासी कार्यवाही के किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण; अथवा

(ख) किसी अधिकारी के अपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के कारण,

उस राज्य के अथवा उसके निवासियो में से किसी के उस जल-प्रदाय संबंधी हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड चुका है या पड़ने की सभावना हो तो उस राज्य का शासन, प्रधान को शिकायत (परिदेवना) कर सकता है.

परिदेवनाओ के निर्णय

२४०. (१) यदि प्रधान के पास पूर्वोक्त परिदेवना आए और, यदि वह इस मत का नही है कि विवाद ऐसे महत्व का नही जिसके लिये इस प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित हो, तो वह, ऐसे व्यक्तियो का एक आयोग (कमीशन) नियुक्त करेगा जिन्हे भूसेचन, अभियन्त्रण, प्रशासन, अर्थ अथवा विधि का, जिसका वह उचित समझे, विशेष ज्ञान है और उस आयोग को, उसे अपने दिये हुए निदेशो के अनुसार अनुसंधान करने और परिदेवना संबंधी विषयो पर अथवा उनमें से किन्ही ऐसे विषयो पर जिन्हे वह उसे सौंपे, प्रतिवेदन करने के लिये, प्रार्थना करे.

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग, सौंपे हुए विषयो का अनुसंधान करेगा और उपलब्ध तथ्यो का वर्णन करते हुए तथा ऐसे अभिस्ताव करते हुए जिन्हे वह उचित समझे, प्रधान को प्रतिवेदन करेगा

(३) यदि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने पर, प्रधान को प्रतीत हो कि उस में निहित किसी बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अथवा आयोग को पहिले न सौंपी हुई किसी बात पर उसको पथप्रदर्शन की आवश्यकता है, तो वह आयोग को आगे अनुसधान और प्रतिवेदन के लिये, उस विषय को पुन सौंप सकता है

(४) इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त किसी आयोग को, उसे सौंपे हुए किसी विषय के अनुसधान में सहायता देने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय यदि आयोग उसे तदर्थ प्रार्थना करे तो, आयोग की कार्यवाहियो के लिये ऐसे आदेश निकालेगा जैसे वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिये निकाल सकता है

(५) आयोग के प्रतिवेदन में, यह अभिस्ताव सम्मिलित रहेगा कि आयोग के व्यय और आयोग के समुख उपस्थिति के कारण किसी राज्य अथवा किन्हीं व्यक्तियो के लगे हुए परिव्यय किस राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा दिये जायेंगे और इस प्रकार दिये जाने वाले व्यय और परिव्यय की राशि क्या होगी , और इस अनुच्छेद के अधीन प्रधान द्वारा दिए हुए आदेश का, जो व्यय और परिव्यय से सबध रखता है उसी प्रकार परिपालन किया जायगा मानो कि वह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है

(६) आयोग द्वारा दिये हुए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्रधान, अनुवर्ती प्रावधानो के अधीन रहते हुए, प्रतिवेदन के अनुसार आदेश देगा

(७) यदि आयोग के प्रतिवेदन का विचार करने पर प्रधान की यह मति हो कि उस में निहित किसी बात में सारवद् विधि-प्रश्न अन्तर्भूत है, तो वह, उस प्रश्न को इस सविधान के अनुच्छेद ११९ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भेज देगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त होने पर, आयोग के प्रतिवेदन से सर्वोच्च न्यायालय के सम्मत न होने की अवस्था में, उस मति के सहित प्रतिवेदन को आयोग के पास लौटायेगा और तब आयोग, उस प्रतिवेदन में ऐसे सपरिवर्तन करेगा जो उसे उस मति के अनुकूल करने में आवश्यक हो और उस प्रकार सपरिवर्तित प्रतिवेदन को प्रधान के समक्ष उपस्थापित करेगा.

(८) इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधान द्वारा दिये गये किसी आदेश को, प्रभावित होने वाले राज्य में कार्यान्वित किया जायेगा और किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो इस आदेश के प्रतिकूल है, प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगा.

(९) किसी प्रभावित राज्य के शासन द्वारा प्रधान को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, यदि पूर्वोक्त प्रकार से नियुक्त आयोग ऐसा अभिस्ताव करे तो प्रधान किसी भी समय इस अनुच्छेद के अनुसार दिये हुए आदेश में परिवर्तन कर सकेगा

प्रथम अनूसूची के भाग २ के राज्यो के जल-प्रदायो में हस्तक्षेप

२४१. यदि प्रधान को दीखे कि प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियत्रण के विषय में—

(क) किसी अधिशासी कार्यवाही के किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण , अथवा

(ख) किसी अधिकारी के अपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के कारण ;

प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अथवा ऐसे किसी राज्य के निवासियों में से किसी के उस जलप्रदाय सबन्धी हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड चुका है या पडने की सभावना है तो वह यदि उचित समझे, तो उस विषय को अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के प्रावधानो के अनुसार नियुक्त आयोग को सोप सकेगा और तब वे प्रावधान उस राज्य पर लागू होगे मानो कि वह राज्य प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहने के स्थान में भाग १ में उल्लिखित रहा हो और मानो कि उस विषय संबधी परिदेवना उस राज्य के शासन द्वारा प्रधान को की गई थी.

न्यायालयो के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन

२४२. इस सविधान में कुछ भी रहते हुए, न तो सर्वोच्च न्यायालय को और न किसी अन्य न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के सबध में कोई कार्यवाही करने अथवा व्यवहार-ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार होगा, जिस विषय के सबध में, अन्तिम पूर्वगामी तीन अनुच्छेदो में से किसी के अधीन कार्यवाही राज्य के शासन अथवा प्रधान द्वारा की जा सकी होती.

अन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य

व्यापार अथवा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को अधिमान देने अथवा विभेद करने पर प्रतिषेध

२४३. जल, थल अथवा वायु द्वारा किये जाने वाले व्यापार अथवा वाणिज्य संबंधी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को कोई अधिमान न दिया जायेगा और न ही राज्यो के बीच कोई विभेद किया जायेगा.

राज्यो के बीच व्यापार, वाणिज्य और यातायात पर आयन्त्रण

२४४. इस सविधान के अनुच्छेद १६ में अथवा अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के लिये यह वैध होगा कि वह——

(क) अन्य राज्यो से आई वस्तुओ पर कोई ऐसा कर लगावे, जो उस राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित उसी प्रकार की वस्तुओ पर लगता हो परन्तु जिससे इस तरह की प्रविष्ट वस्तुओ और इस प्रकार निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओ के बीच कोई विभेद न होता हो , और

(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य अथवा यातायात स्वातन्त्र्य पर विधि द्वारा ऐसे युक्तियुक्त आयन्त्रण लगाए जो लोक-हित के लिये अपेक्षित हो

पर इस सविधान के प्रारम्भ से पाच वर्ष की अवधि के भीतर इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) के प्रावधान इस सविधान के अनुच्छेद ३०६ के खण्ड (क) में वर्णित किन्ही वस्तुओ के व्यापार अथवा वाणिज्य पर लागू न होगे.

अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानो को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति

२४५ इस सविधान के अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये ससद् विधि द्वारा ऐसा प्राधिकारी नियुक्त करेगी जैसा वह उपयुक्त समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां और ऐसे कर्तव्य प्रदान करेगी, जैसे वह आवश्यक समझे

राज्यो के बीच सहयोग

अन्ताराज्य परिषद् विषयक प्रावधान

२४६ यदि किसी समय प्रधान को यह दीखे कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हितो की सेवा होगी, जिस पर —

(क) राज्यो के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हो उनकी जाच करने और उन पर परामर्श देने,

(ख) कुछ अथवा समस्त राज्यों के अथवा सघ और एक या अधिक राज्य के पारस्परिक हित से सबद्ध विषयो के अनुसधान तथा पर्यालोचन करने, अथवा

(ग) ऐसे किसी विषय पर अभिस्ताव करने, और विशेषत उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे सहयोग के हेतु अभिस्ताव करने,

का प्रभार हो तो प्रधान के लिये यह वैध होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद् के द्वारा सपादन किये जाने वाले कर्तव्यो के स्वरूप को और उसके सघटन और कार्य-प्रणाली को, आदेश द्वारा परिभाषित करे.

भाग १०

अर्थ, सम्पत्ति, प्रसंविदा और व्यवहार

अध्याय १.—अर्थ

संघ तथा राज्यों के बीच आगम-विभाजन

निर्वचन.

२४७ इस भाग में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अर्थायोग" से इस संविधान के अनुच्छेद २६० के अनुसार संघटित अर्थायोग अभिप्रेत है ;

(ख) "राज्य" में प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का समावेश नही है ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज निर्देशो में प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी क्षेत्र के निर्देशो का, तथा किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के ि का समावेश होगा जो भारत राज्यक्षेत्र के अन्तर्भूत तो हो, उस अनुसूची में उल्लिखित न हो.

"भारत के आगमो" तथा "राज्य के आगमो" का अर्थ

२४८. राज्यो को पूर्णत अथवा अंशतः नियोजित किये हुए कुछ करो ' बलियो के शुद्ध उदय के बारे में इस अध्याय के निम्न प्रावधानों के अधीन रहते "भारत के आगमो" इस पद में भारत-शासन द्वारा एकत्रित अथवा प्राप्त, स आगमो और लोक मुद्राओ का समावेश है और "राज्य के आगमो" इस पद में र के शासन द्वारा एकत्रित अथवा प्राप्त समस्त आगमो और लोक-मुद्राओ का समा है.

सघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यो द्वारा सगृहीत तथा आत्मसात्कृत बलियाँ

२४९. (१) संघसूची में वर्णित मुद्रांक बलिया, तथा भैषजीय और प्रसाधन निर्मितियो पर उत्पाद बलियां भारत-शासन द्वारा आरोपित की जावेगी, परन्तु—

(क) यदि ऐसी बलिया प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के भीतर आरोपणीय हो तो भारत-शासन द्वारा ; और

(ख) अन्य अवस्थाओ में जिन जिन राज्यो के भीतर ऐसी बलियां आरोपणीय हो, उन उन राज्यो द्वारा,

इकट्ठी की जाएगी.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में के, किसी ऐसी बलि के उदय, जो बलि उस वर्ष किसी राज्य के भीतर आरोपणीय है, भारत के आगमो के भाग न बनेंगे, किन्तु उस राज्य को नियोजित किये जायेंगे.

सघ द्वारा आरोपित तथा सगृहीत किन्तु राज्यो को नियोजित कर.

२५०. (१) निम्नलिखित बलिया तथा कर भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किये जाएँगे, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के अनुसार राज्यो को नियोजित किये जाएँगे, अर्थात् :—

(क) कृष्य भूमि को छोड कर अन्य सम्पत्ति की उत्तराधिकार विषयक बलियां ;

(ख) कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य भू-सम्पत्ति वलियां ;

(ग) अयोमार्ग (रेलवे) से अथवा विमान से वाहित वस्तुओ अथवा यात्रियो पर सीमा-कर ;

(घ) अयोमार्ग से मनुष्यो तथा वस्तुओ के भाडो पर कर.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में की किसी ऐसी वलि अथवा कर के शुद्ध उदय जहा तक कि वे उदय प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो में उपारोपणीय उदय न हो, भारत के आगमो का भाग न बनेंगे, परन्तु उन राज्यो को नियोजित किये जायेंगे जिनके भीतर वह वलि अथवा कर उस वर्ष आरोपणीय हो और वे उदय विधि द्वारा ससद्-निर्मित विभाजन-सिद्धान्तो के अनुसार उन राज्यो में विभाजित किये जावेगे

सघ द्वारा आरो- ा सगृ- र सघ ज्यो के भाजित

२५१ (१) कृषि-आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा सगृहीत किये जायेंगे और इस अनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के अनुसार सघ और राज्यो के बीच विभाजित किये जायेंगे.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में के ऐसे किसी कर के शुद्ध उदय का वह प्रतिशत भाग जो कि नियत किया जाये, जहा तक कि वे उदय, प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो में उपारोपणीय उदय न हो अथवा सघ-परिलाभो के सम्बन्ध में देय कर न हो, भारत के आगमो का भाग न बनेगा, परन्तु उन राज्यो को नियोजित किया जायगा, जिनके भीतर वह कर उस वर्ष आरोपणीय है और वह उन राज्यो उस रीति और उस समय से विभाजित किया जायेगा, जो कि विनिहित किया जाये.

(३) इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक आर्थिक वर्ष में आय पर करो के उतने शुद्ध उदय का वह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जावे, जिसमें सघ परिलाभो के सम्बन्ध में शोध्य करो के शुद्ध उदय का समावेश नहीं, वैसा उदय समझा जायेगा, जो प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को उपारोपणीय है.

(४) इस अनुच्छेद में—

(क) "आय पर कर" में वह राशि सम्मिलित है, जिसे भारत-शासन ने इस सविधान के अनुच्छेद २६६ के परादिक के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी आय-कर के बदले में आरोपित किया हो, परन्तु उसमें निगम-कर सम्मिलित नहीं है ;

(ख) "विनिहित" का अर्थ है—

(१) जब तक कि अर्थायोग का सघटन न हो चुके, तब तक प्रधान से आदेश द्वारा विनिहित, और

(२) अर्थायोग के संघटन हो चुकने के पश्चात्, अर्थायोग के अभिस्तावों पर विचार कर के प्रधान से आदेश द्वारा विनिहित

(ग) "सघ-परिलाभों" में भारत के आगमो से दिये जाने वाले वे समस्त परिलाभ तथा उत्तर वेतन सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्ध में आय-कर लगना है.

संघ के प्रयोजनो के हेतु कतिपय बलियों तथा करो पर अधिभार.

२५२. इस संविधान के अनुच्छेद २५० तथा २५१ में किसी बात के होते हुए भी, ससद्, उन अनुच्छेदो में निर्दिष्ट किसी भी बलि अथवा कर में, किसी भी समय संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार द्वारा, वृद्धि कर सकेगी और ऐसे किसी अधिभार का समस्त उदय भारत के आगमो का भाग बनेगा.

कर जो सघ द्वारा आरोपित तथा सगृहीत है और जो सघ तथा राज्यो के बीच विभाजित हो सके

२५३. (१) लवण पर संघ कोई बलि न लगायेगा.

(२) भैषजीय तथा प्रसाधन निर्मितियो पर ऐसी उत्पादक बलियो को छोड कर जो सघ-सूची में वर्णित है, संघ-उत्पादक बलियां भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा संगृहीत की जायेंगी, परन्तु यदि संसद् विधि द्वारा यह प्रावहित करे, तो बलि आरोपक विधि जिन राज्यो को लागू होती हो उन राज्यो को भारत के आगमो में से, उस बलि के शुद्ध उदय के पूर्ण अथवा किसी अंश के बराबर राशि दी जायेगी, और वे राशियां, उन राज्यो के बीच विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तो के अनुसार विभाजित की जावेगी.

सन अथवा सन की बनी वस्तुओ की बलि का विभाजन

२५४. इस सविधान के अनुच्छेद २५३ में किसी बात के होते हुए भी, सन अथवा सन की बनी वस्तुओ की किसी निष्काम्य बलि के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध उदय का उतना अनुपात, जो संसद् विधि द्वारा निश्चित करे, भारत के आगमो का भाग न बनेगा किन्तु सन के उत्पादन करने वाले राज्यो को विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तो के अनुसार, नियोजित किया जायेगा :

पर जब तक संसद् इस प्रकार निश्चय न करे, तब तक उन राज्यो को, प्रत्येक वर्ष होने वाले उस बलि के शुद्ध उदय का उतना भाग उन अनुपातो से नियोजित किया जायेगा, जो भारत-शासन अधिनियम, १९३५, के अधीन बनाये हुए और इस सविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवृत्त किसी आदेश द्वारा निश्चित किया जा चुका हो.

कतिपय राज्यो को सघ से अनुदान

२५५. ऐसी राशिया, जो ससद् विधि द्वारा प्रावहित करे, उन राज्यो के आगमो के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमो पर प्रति वर्ष प्रभृत्त होगी, जिन राज्यो के विषय में ससद् यह निश्चित करे कि उन्हे सहायता की आवश्यकता है. भिन्न भिन्न राज्यो के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेगी :

पर प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के आगमो के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमो में से वैसी पूजी तथा आवर्त्तक राशिया दी जाएँगी, जैसी उस राज्य को उन विकास-योजनाओ के परिव्ययो के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, जो उस राज्य के अन्तर्गत, अनुसूचित वन-जातियो के कल्याण में अभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रो के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य ने भारत-शासन के अनुमोदन से आरम्भ की हो .

पर और भी यह कि, आसाम-राज्य के आगम के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमो में से वैसी पूजी तथा आवर्त्तक राशिया दी जाएँगी—

(क) जो षष्ठ अनुसूची की कण्डिका १९ से सलग्न सारणी के भाग १ में उल्लिखित वन-जाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे में इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व-तीन वर्ष के आगमो से अधिक जो व्यय उस के माध्य (औसत) के बराबर हो ; और

(ख) जो उक्त क्षेत्रो के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रो के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य द्वारा भारत-शासन के अनुमोदन से आरब्ध योजनाओ के परिव्यय के बराबर हो.

व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियो तथा सेवा-युक्तियों पर कर

२५६ (१) इस सविधान के अनुच्छेद २१७ में किसी बात के होते हुए भी, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) और (३) के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मण्डल को राज्य के, लाभार्थ अथवा उसके अन्तर्गत नगर समिति, मण्डल-गण, स्थानीय गण अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के लाभार्थ व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियो तथा सेवायुक्तियो पर करो के विषय में विधिया बनाने की शक्ति होगी

(२) किसी एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियो तथा सेवा-युक्तियो के बारे में उस राज्य को अथवा उसके अन्तर्गत किसी एक नगर-समिति, मण्डल-गण, स्थानीय-गण अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय करो की समस्त राशि प्रति वर्ष दो सौ पचास रुपये से अधिक न होगी .

पर यदि इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य पूर्व आर्थिक वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी नगर-समिति, गण अथवा प्राधिकारी में व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियो अथवा सेवायुक्तियो पर ऐसा कर लागू था जिसकी मात्रा अथवा जिसकी अधिकतम मात्रा दो सौ पचास रुपये से अधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक आरोपणीय रहेगा जब तक कि ससद् विधि द्वारा इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे, और ससद् द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यत. अथवा किन्हीं उल्लिखित राज्यो, नगर - समितियो, गणो या प्राधिकारी वर्गों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी

(३) व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियो तथा सेवायुक्तियो पर कर के विषय में उक्त प्रकार विधिया बनाने की राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति से यह अन्वयन न होगा, कि ससद् को व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियो तथा सेवायुक्तियो से उपार्जित अथवा उत्पन्न आय पर कर लगाने के लिये विधिया बनाने की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है

परित्राण

२५७ जो कर, बलियां, उपकर अथवा शुल्क, इस सविधान से सद्य पूर्व किसी राज्य के शासन द्वारा, अथवा किसी नगर-समिति अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा उस राज्य, नगर, मण्डल अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनार्थ विध्यनुकूल आरोपित किये जा रहे थे, वे कर, बलिया, उपकर अथवा शुल्क संघ-सूची में वर्णित होने पर भी आरोपणीय रह सकेगे और उन्ही प्रयोजनो के हेतु उपयोग में लाए जा सकेगे जब तक कि ससद् इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे

करो तथा बलियो के आरोपण, सग्रहण और विभाजन के विषय मे प्रथम अनुसूची के भाग ३ मे उल्लिखित राज्यो से सविदा

२५८ (१) इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए, पर इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, सघ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से उस राज्य के भीतर भारत-शासन द्वारा आरोपणीय किसी कर अथवा बलि के आरोपण तथा सग्रहण के विषय में और उसके उदय के विभाजन के लिये इस अध्याय के प्रावधानो से भिन्न सविदा कर सकेगा, और जब सविदा इस प्रकार कर ली जाय, तो इस अध्याय के प्रावधान ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसी सविदा के अभिसमयो के अधीन रह कर प्रभावी होगे

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुई सविदा इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि से अधिक के लिये प्रभावी न होगी .

पर प्रधान, ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय ऐसी किसी संविदा को समाप्त अथवा संपरिवर्तित कर सकेगा यदि अर्थायोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् वह ऐसा करना आवश्यक समझे.

"शुद्ध उदय", आदि का गणन

२५९. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में "शुद्ध उदय" से, किसी कर अथवा बलि के सम्बन्ध में, उस उदय से अभिप्राय है जो उसके संग्रहण के परिव्ययों को घटाने के पश्चात् बचे, और उन प्रावधानों के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र के भीतर अथवा उसको उपारोप्य किसी कर या बलि का अथवा किसी कर या बलि के किसी भाग का शुद्ध उदय भारत के महाकेक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिसका प्रमाणपत्र अन्तिम होगा.

(२) किसी अवस्था में जहां, इस संविधान के इस भाग के अधीन, किसी बलि अथवा कर के उदय किसी राज्य को नियोजित किये जाते हैं, अथवा किये जायें तो, उपर्युक्त प्रावधान के और इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान के अधीन रहते हुए, संसद् की बनाई कोई विधि अथवा प्रधान का कोई आदेश, इन बातों का प्रावधान कर सकेगा अर्थात् उदयों की गणना जिस रीति से की जानी है, जिस समय से अथवा जब कोई शोधन किया जाना है, जिस रीति से कोई शोधन किया जाना है, एक आर्थिक वर्ष और दूसरे आर्थिक वर्ष में समायोजन करने का और अन्य कोई आनुषंगिक तथा सहायक बातों का

अर्थायोग

२६०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर अथवा ऐसे अन्य समय पर जिसे प्रधान आवश्यक समझे, प्रधान आदेश द्वारा एक अर्थायोग संघटित करेगा जिसका एक सभापति और चार अन्य सदस्य होंगे, जिन्हे प्रधान नियुक्त करेगा.

(२) संसद् विधि द्वारा उन योग्यताओं का जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिसके अनुसार उनका चुनाव किया जावेगा, निश्चय कर सकेगी.

(३) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अध्याय के अधीन, संघ तथा राज्यों के बीच भाजित होने वाले अथवा हो सकने वाले, करों के शुद्ध उदय के विभाजन के विषय में, तथा ऐसे उदयों के राज्यों के बीच उनके भागों के वितरण के विषय में ;

(ख) भारत के आगमों में से राज्यों को सहायक अनुदान देने में जिन सिद्धान्तों का पालन होना चाहिये, उनके विषय में ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में भारत-शासन द्वारा आरोपणीय किसी कर अथवा बलि के आरोपण, संग्रहण तथा विभाजन के विषय में संघ तथा उस राज्य के बीच की गई किसी संविदा के अभिसमयों के चालू रखने अथवा संपरिवर्तन करने के विषय में ; और

(घ) सुस्थित अर्थ के हित में प्रधान द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में,

प्रधान को अभिस्तवन करे.

(४) आयोग अपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करेगा और अपने प्रकार्यों के पालन में, उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे.

अर्थायोग के अभिस्ताव

२६१. प्रधान, इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानो के आधीन अर्थायोग द्वारा किये गए प्रत्येक अभिस्ताव को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक विवरण के सहित, ससद् के समक्ष रखवायेगा.

प्रकीर्ण आर्थिक प्रावधान

भारत के आगमो में से शोध्य व्यय

२६२ सघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, यद्यपि वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में संसद् या उस राज्य का विधान-मण्डल, जैसी कि स्थिति हो, विधि बना सकता हो

लोक-मुद्रा के अभिरक्षण विषयक प्रावधान

२६३. (१) प्रधान तथा राज्य का शासक नियम बना सकेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो जाये कि भारत के अथवा राज्य के, जैसी कि स्थिति हो, आगमो के लेखे में प्राप्त समस्त मुद्राएँ, उन को छोड कर, यदि कोई हो, जिनका उन नियमो में अपवाद उल्लिखित हो, भारत अथवा उस राज्य के लोक-लेखाओ में पटाई जायेंगी और इस प्रकार बनाये हुए नियम विनिधान कर सकेंगे, अथवा विनिधान करनेका अधिकार किसी व्यक्ति को दे सकेंगे, जिससे, उक्त लेखे में मुद्राओ का शोधन, उसमें से मुद्राओ का प्रत्याहार, उसमें की मुद्राओ का अभिरक्षण और पूर्वोक्त बातो से सम्बद्ध अथवा सहायक कोई अन्य विषय के लिये, कार्य-प्रणाली का निर्धारण होगा

(२) इन अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा भारत के आगमो के बारे में प्राप्त मुद्राओ के अभिरक्षण का, भारत के लोक-लेखे में उनके शोधन का और ऐसे लेखे में से मुद्राओ के प्रत्याहार का, आनियमन, कर सकेगी, और किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के आगमो के बारे में प्राप्त समस्त मुद्राओ के अभिरक्षण का, उस राज्य के लोक-लेखे में उनके शोधन का, और ऐसे लेखे में से मुद्राओ के प्रत्याहार का, आनियमन कर सकेगा, और इस अनुच्छेद के अधीन बनाये हुए नियम, ऐसी विधि के प्रावधानो के आधीन रहते हुए प्रभावी होगे.

कतिपय लोक सम्पत्ति की करारोपण से मुक्ति

२६४. सघ की सम्पत्ति, जहा तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित न करे, किसी भी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा, आरोपित समस्त करो से मुक्त होगी .

पर जब तक कि ससद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित न करे, तब तक संघ की सम्पत्ति जो इस सविधान के सद्य पूर्व इस प्रकार के किसी कर देने के लिये, वाघ्य थी, अथवा वाध्य समभी गई थी, वह उस कर को देने के लिये वाध्य रहेगी अथवा वाध्य समभी जाएगी, जब तक कि वह कर चालू है.

विद्युत् पर कर से मुक्ति

२६५. जहा तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान करे उसको छोड कर ऐसी विद्युत् के उपयोग अथवा विक्री पर (चाहे विद्युत्, शासन द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित की जाए) किसी राज्य की कोई विधि कोई कर न लगाएगी और न कर लगाने का प्राधिकार देगी, जो विद्युत्—

(क) भारत-शासन द्वारा उपभोग में लाई जाती है, अथवा भारत-शासन के उपभोग के हेतु उस शासन को वेची जाती है , अथवा

(ख) किसी सघ अयोमार्ग (रेलवे) के निर्माण, सधारण, अथवा संचालन में, उस शासन द्वारा , अथवा उस अयोमार्ग को सचालन करने वाले किसी अयोमार्ग-प्रमण्डल द्वारा, उपयोग में लाई जाती हो अथवा उस शासन को अथवा वैसे किसी अयोमार्ग-प्रमण्डल को किसी सघ अयोमार्ग के निर्माण, सधारण, अथवा सचालन में उपभोग के लिये वेची जाती है,

और, विद्युत् की बिक्री पर करारोपण करने वाली अथवा करारोपण का प्राधिकार देने वाली ऐसी कोई विधि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत-शासन को उसके उपभोग के लिये, अथवा ऐसे किसी अयोमार्ग प्रमण्डल को किसी सघ अयोमार्ग के निर्माण, सधारण अथवा संचालन में उपभोग के लिये बेची जाने वाली विद्युत् का मूल्य, प्रचुर मात्रा में विद्युत् का उपभोग करने वालो से लिये जाने वाले मूल्य से उतना कम होगा जितनी कि कर को राशि है.

राज्य के शासनो की सघ-कर से मुक्ति

२८९ जो एतत्पश्चात् प्रावहित है उस के अधीन रहते हुए, भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत भूमियो अथवा भवनो के बारे में, अथवा भारत-राज्यक्षेत्र में उपार्जित, उत्पन्न अथवा प्राप्त आय के बारे में किसी राज्य के शासन पर कोई सघ-कर न लगाया जायगा ·

पर—

(क) जहा किसी राज्य के शासन द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार का वाणिज्य अथवा व्यापार किया जाता हो तो, इस अनुच्छेद की किसी बात से उस शासन को, उस वाणिज्य या व्यापार के बारे में, अथवा उससे सम्बद्ध किन्हीं सचालनो के बारे में, अथवा उसके सम्बन्ध से उत्पन्न किसी आय पर, अथवा उसके प्रयोजनो के हेतु धारण की हुई किसी सम्पत्ति पर, किसी सघ-कर से, अथवा उस कर के बदले आरोपित किसी राशि से, मुक्ति न मिलेगी ;

(ख) इस अनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के नरेश को, ऐसी भूमि, भवन या आय के बारे में जो उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति है, अथवा वैयक्तिक आय के बारे में किसी सघ-कर से मुक्ति न मिलेगी

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी राज्य के शासन के साधारण प्रकार्यों के आनुषगिक संचालनो को, जैसे कि किसी राज्य-शासन के नियन्त्रणाधीन वन की वनोत्पत्ति की विक्री अथवा किसी राज्य के अन्तर्गत किसी कारागार में उत्पादित किसी वस्तु की विक्री को, उस राज्य के शासन द्वारा अथवा उसकी ओर से चलाया गया वाणिज्य अथवा व्यापार न समझा जाएगा.

कतिपय व्ययो तथा उत्तर वेतनो के विषय में समायोजना

२९० जहा इस सविधान के प्रावधानो के अधीन किसी न्यायालय अथवा आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व, भारत में ब्रिटिशसम्राट् के अधीन सेवा की है, उसे अथवा उसके बारे में दिये जाने वाले उत्तर वेतन, भारत के आगमो पर अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के आगमो पर प्रभार है, तो—

(क) भारत के आगमो पर प्रभार होने की अवस्था में, यदि वह न्यायालय अथवा आयोग इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य की किन्हीं पृथक् आवश्यकताओ की पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्ति ने ऐसे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णत अथवा अंशत सेवाएँ की हो ; अथवा

(ख) इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य के आगमो पर प्रभार होने की अवस्था में, यदि वह न्यायालय अथवा आयोग, संघ की अथवा इस प्रकार उल्लिखित किसी अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओ की पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्ति ने सघ अथवा ऐसे अन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णत अथवा अंशतः सेवाएँ की हो,

तो, यथास्थिति उस राज्य के आगमो पर अथवा, भारत के या अन्य राज्य के आगमो पर, व्यय-सम्बन्धी या उत्तर वेतन सम्बन्धी उतना अशदान, प्रभृत्त होगा और उन आगमो से दिया जायगा जितना कि समझौता हो, अथवा सविदा के अभाव में उतना अशदान जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त विवाची निश्चित करे

अध्याय २.—उद्धारग्रहण

भारत-शासन द्वारा उद्धार-ग्रहण

२६८ सघ की अधिशासी शक्ति, भारत के आगमो की प्रतिभूति पर, यदि कोई सीमाएँ हो तो उन सीमाओ के भीतर, उद्धारग्रहण तक विस्तृत है जिन्हे ससद् समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सीमाओ के भीतर, यदि कोई सीमाएँ हो, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत है जिन्हे इस प्रकार नियत किया जाये

राज्यो द्वारा उद्धारग्रहण

२६९ (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की अधिशासी शक्ति, उस राज्य के आगमो की प्रतिभूति पर, यदि कोई सीमाएँ हो तो, उन सीमाओ के भीतर, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उद्धारग्रहण तक विस्तृत है, जिन्हे ऐसे राज्य का विधान-मण्डल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सीमाओ के भीतर यदि कोई सीमाएँ हो, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत है जिन्हे इस प्रकार नियत किया जाए

(२) भारत-शासन, उन प्रतिबन्धो के साथ, यदि कोई हो, जिन्हे लगाना वह उचित समझे, प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को उधार दे सकता है, अथवा जहा तक अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अनुसार निश्चित किन्ही सीमाओ का उल्लघन न होता हो वहा तक, ऐसे किसी राज्य के द्वारा उठाये गये ऋण के बारे में प्रत्याभूति दे सकता है और जो राशिया ऐसे उधार देने के हेतु आवश्यक हो, वे भारत के आगमो पर प्रभृत होगी.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य, भारत-शासन की सहमति के बिना कोई ऋण न उठा सकेगा, यदि भारत-शासन द्वारा अथवा उसके पूर्वाधिकारी शासन द्वारा, दिये हुए अथवा प्रत्याभूत किये हुए उस राज्य के किसी ऋण का कोई अश उस समय तक देना रहा है

इस खण्ड के अनुसार सहमति उन प्रतिबन्धो के साथ, यदि कोई हो, दी जा सकेगी जिन्हे भारत-शासन आरोपण करना उचित समझे

अध्याय ३ —सम्पत्ति, प्रसविदा, देय और व्यवहार

परिसम्पत्तियो तथा ऋणो, अधिकारो तथा देयो पर उत्तराधिकार

२७० इस सविधान के प्रारम्भ काल से, भारत-शासन, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य का शासन, क्रमश भारत-अधिराज्य शासन की, और तत्स्थानी शासको के प्रान्तो की, समस्त सम्पत्ति, परिसम्पत्ति और देयो के, उत्तराधिकारी किसी ऐसी समायोजना के प्रतिबन्ध के साथ, होगे, जैसी कि इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व, पाकिस्तान अधिराज्य के बनने अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बगाल, पश्चिमी पजाब और पूर्वी पजाब के बनने के कारण की गई हो, अथवा की जाने वाली हो.

उत्तराधिकारी के अभाव, व्यपगम अथवा स्वामिहीनत्व से उद्भूत सम्पत्ति.

२७१. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़ कर, भारत के राज्यक्षेत्र में जो कोई सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में व्यपगम से अथवा वैधस्वामी के अभाव में सम्राट् को प्राप्त हुई होती यदि यह संविधान प्रवर्त्तन में न आया होता, तो एतत्पश्चात् आने वाले परादिक के अधीन रहते हुए वह सम्पत्ति यदि प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में स्थित हो तो वह उस राज्य के प्रयोजनार्थ ऐसे राज्य के शासन में, और किसी अन्य अवस्था में संघ के प्रयोजनार्थ भारत-शासन में, निहित होगी :

पर यदि कोई सम्पत्ति, जो उस तिथि को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट् को प्राप्त हुई होती भारत-शासन के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के धारण अथवा नियन्त्रण में थी, तो यदि उसका जिन प्रयोजनों के लिये उस समय धारण अथवा नियन्त्रण किया जाता था, वे प्रयोजन संघ सम्बन्धी थे तो वह भारत-शासन के प्रयोजनार्थ संघ में निहित होगी और यदि वे प्रयोजन वैसे उल्लिखित किसी राज्य सम्बन्धी थे तो वह उस राज्य के शासन के प्रयोजनार्थ उस राज्य मे निहित होगी

सम्पत्ति के अवापन की शक्ति

२७२. (१) संघ की, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की, अधिशासी शक्ति, समुचित विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए, स्थिति के अनुसार, सघ अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनार्थ धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, बिक्री, व्यवस्थाकरण अथवा प्राधि तक विस्तृत होगी, और क्रमशः उन प्रयोजनो के लिये सम्पत्ति के क्रय अथवा अवाप्ति, तथा प्रसंविदाकरण तक, विस्तृत होगी.

(२) सघ के, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के, प्रयोजनार्थ अवाप्त समस्त सम्पत्ति, स्थिति के अनुसार, सघ में अथवा ऐसे किसी राज्य में निहित होगी.

प्रसविदाएँ

२७३. (१) संघ की, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य की अधिशासी शक्ति के पालन में की गई समस्त प्रसविदाएँ, स्थिति के अनुसार, प्रधान द्वारा अथवा उस राज्य के शासक द्वारा की गई कही जावेगी और वे समस्त प्रसंविदाएँ तथा सम्पत्ति के प्रगोप, जो उस शक्ति के पालन में किये जाएँ, प्रधान अथवा शासक की ओर से उन व्यक्तियो द्वारा और उस रीति के अनुसार लिखे जाएँगे जैसा वह निदेश दे अथवा अधिकार दे.

(२) न तो प्रधान और न किसी राज्य का शासक इस संविधान के प्रयोजनो के हेतु, अथवा भारत-शासन विषयक एतत्पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियम के प्रयोजनो के हेतु, की अथवा लिखी गई किसी प्रसविदा अथवा प्रगोप के बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इसके बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की ओर से ऐसी प्रसविदा अथवा प्रगोप किया अथवा लिखा हो.

व्यवहार तथा कार्यवाहिया.

२७४. (१) भारत-शासन के नाम से, भारत-शासन व्यवहार ला सकेगा अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन के नाम से, वह राज्य-शासन व्यवहार ला सकेगा अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा, और इस संविधान से प्रदत्त शक्तियो के आधार पर , संसद् द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा,

जो अधिनियम बनाया जाय उस के प्रावधानो के अधीन रहते हुए वे अपने अपने कारबार के बारे में, उसी प्रकार व्यवहार ला सकेंगे अथवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत-अधिराज्य तथा तत्स्थानी प्रान्त व्यवहार ला सके होते अथवा उनके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सका होता, यदि इस सविधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता।

(२) यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि को—

(क) कोई ऐसी वैध कार्यवाहिया लम्बित हे जिनमें भारत-अधिराज्य, एक पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियो में उक्त अधिराज्य के स्थान में भारत-शासन समझा जावेगा ;

(ख) कोई ऐसी वैध कार्यवाहिया लम्बित है जिनमें कोई प्रान्त एक पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियो में उस प्रान्त के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जावेगा

भाग ११

सद्यस्कृत्यस्थिति प्रावधान

सद्यस्कृत्य-स्थिति की उद्घोषणा.

२७५. (१) यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि गम्भीर सद्यस्कृत्य-स्थिति विद्यमान है, जिससे भारत की निश्शकता सकट में है चाहे युद्ध से चाहे आन्तरिक हिंसा से, तो वह उद्घोषणा द्वारा तदर्थ घोषणा कर सकेगा.

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार निकाली गई उद्घोषणा (जिसे इस संविधान में "सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा" नाम से निर्देश किया है)—

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा खण्डित की जा सकेगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखी जाएगी ;

(ग) छः मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जायेगी, यदि वह उस अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद् के दोनो आगारो के सकल्पो द्वारा अनुमोदित न की जा चुकी हो.

(३) सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा, जो घोषित करती है कि भारत की निश्शंकता पर युद्ध अथवा आन्तरिक हिंसा से आशंका है, वह, वास्तविक युद्ध अथवा ऐसी किसी हिंसा के होने से पूर्व भी की जा सकेगी, यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि युद्ध अथवा हिंसा का भय तुरन्त है

सद्यस्कृत्य-स्थिति की उद्घोषणा का प्रभाव

२७६. जब सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) संघ की अधिशासी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश देने तक विस्तृत होगी कि उस की अधिशासी शक्ति किस रीति से प्रयुक्त की जानी है ;

(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में संसद् के विधि बनाने की शक्ति में वैसी विधिया वनाने की शक्ति का भी समावेश होगा जिसके अनुसार उस विषय के सम्बन्ध में भारत-शासन को अथवा भारत-शासन के अधिकारियो और प्राधिकारियो को, शक्तियां दी जाएँ और उन पर कर्तव्य लगाए जाएँ, अथवा शक्ति देने और कर्तव्य लगाने का प्राधिकार दिया जाए.

जिस कालावधि मे सद्यस्कृत्य-स्थिति की घोपणा प्रवर्तन मे है, उसमे आगम-विभाजन सम्बन्धी प्रावधानो का प्रयोग

२७७. सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में प्रधान, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि, उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्घोपणा के प्रवर्तनशून्य होने वाले आर्थिक वर्ष की समाप्ति से, किसी अवस्था में, परे विस्तृत न हो और जो उस आदेश में उल्लिखित की जाए, इस सविधान के अनुच्छेद २४९ से २५९ के समस्त अथवा कोई प्रावधान ऐसे अपवादो अथवा संपरिवर्तनो के साथ प्रभावी होंगे, जिन्हे प्रधान उचित समझे

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यो में सांवैधानिक तन्त्र के असफल हो जाने की अवस्था में प्रावधान

२७८ (१) इस सविधान के अनुच्छेद १८८ के अनुसार किसी राज्य के शासक द्वारा निकाली गई उद्घोषणा के प्राप्त होने पर, यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, जिसमें उस राज्य का शासन इस सविधान के प्रावधानानुसार नहीं चलाया जा सकता तो प्रधान उद्घोषणा द्वारा—

(क) उस राज्य के शासन के समस्त अथवा किसी प्रकार्य को तथा उस राज्य के शासक में निहित अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल से भिन्न किसी निकाय अथवा प्राधिकारी में निहित, अथवा उनके द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी शक्ति को स्वय धारण कर सकेगा ;

(ख) घोषित कर सकेगा कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां केवल ससद् द्वारा ही प्रयोज्य होंगी ;

और ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे आनुषगिक और समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो उस उद्घोषणा के उद्देश्यो को प्रभावी बनाने के लिये प्रधान को आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीखें इनमें वे भी प्रावधान सम्मिलित होंगे जो उस राज्य के किसी निकाय अथवा प्राधिकारी सम्बन्धी इस सविधान के प्रावधानो के प्रवर्तन को पूर्णतः अथवा अशत निलम्बन करे·

पर इस खण्ड की कोई बात प्रधान को यह प्राधिकार न देगी कि वह किसी उच्च न्यायालय में निहित अथवा उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति को स्वय धारण कर ले अथवा उच्च न्यायालय-विषयक इस सविधान के किसी प्रावधान के प्रवर्तन को या तो पूर्णत या अशतः निलम्बन करे

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा खडित अथवा परिवर्तित की जा सकेगी

(३) इस अनुच्छेद के अनुसार की हुई उद्घोषणा—

(क) ससद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखी जाएगी ;

(ख) पूर्ववर्ती उद्घोषणा को खण्डित करने वाली उद्घोषणा यदि नहीं है तो, छ मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जाएगी .

पर, यदि और जब जब, ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन को चालू रखने का अनुमोदन करने वाला सकल्प, ससद् के दोनो आगारो से पारित किया जाता है, तो और तब तब वह उद्घोषणा, यदि खडित न हो गई हो तो, उस तिथि से आगे बारह मास की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी, जब कि इसके अभाव में, वह इस खण्ड के अनुसार प्रवर्तनशून्य हो जाती, परन्तु ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी अवस्था में तीन वर्ष से अधिक के लिये प्रभावी न रहेगी

(४) जहा, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तिया केवल संसद् द्वारा ही प्रयोज्य होगी तो—

(क) ससद् को क्षमता होगी कि वह विधि बनावे जिससे भारत-शासन को अथवा भारत-शासन के अधिकारियो और प्राधिकारियो को शक्तिया प्रदान की जायें और कर्तव्य लगाए जावे, अथवा शक्ति प्रदान करने और कर्तव्य के लगाने का प्राधिकार प्रदान किया जाए

(ख) प्रधान को क्षमता होगी कि वह, उस समय को छोड कर जब कि संसद् के दोनो आगारो का सत्र चालू है, इस संविधान के अनुच्छेद १०२ के अधीन अध्यादेशों का प्रवर्तन करे.

(५) संसद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे बनाने की क्षमता संसद् को न हुई होती यदि इस अनुच्छेद के अनुसार उद्घोषणा न हुई होती, उस उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातो को छोड कर प्रभावशून्य होगी जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व की गई थी अथवा जिनका करना छोडा गया था, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि इस प्रकार प्रभावशून्य होने वाले प्रावधानो को पहिले से ही उस राज्य के विधान-मडल के अधिनियम द्वारा विखंडित, अथवा परिवर्तन कर के या बिना परिवर्तन के पुनरधिनियमित, किया जा चुका हो.

सद्यस्कृत्य-स्थिति की अवधि में अनुच्छेद १३ के प्रावधानो का निलम्बन.

२७९. जब तक सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब तक इस संविधान के भाग ३ के अनुच्छेद १३ की किसी बात से, उस भाग में परिभाषित राज्य की, किसी ऐसी विधि बनाने अथवा अधिशासी कार्यवाही करने की शक्ति पर, संकोचन न होगा जिसे वह राज्य बनाने अथवा करने के लिये अन्यथा क्षम था.

सद्यस्कृत्य-स्थिति की अवधि मे अनुच्छेद २५ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारो का निलम्बन.

२८०. जहां सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, वहां प्रधान आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २५ के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार ऐसे आदेश में उल्लिखित ऐसी अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे, जो उस उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात् छः मास की अवधि से परे विस्तृत न हो सकेगी.

भाग १२

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय १.—सेवाएं

निर्वचन

२८१. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" शब्द से अभिप्राय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य से है.

संघ अथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियो की भर्ती और सेवाओ के प्रतिवन्ध

२८२. (१) इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मडल के अधिनियमो द्वारा सघ अथवा किसी राज्य के प्रकार्यों से सबद्ध लोकसेवाओ और पदो पर नियुक्त व्यक्तियो की भर्ती का और सेवा के प्रतिवन्धो का, आनियमन किया जा सकेगा.

(२) जो व्यक्ति किसी असैनिक सेवा को करता हो, या भारत-शासन अथवा किसी राज्य के प्रकार्यों से सम्वद्ध किसी असैनिक पद पर हो, वह निकाला, हटाया अथवा अपने पद से उतारा न जाएगा, जब तक कि उसे अपने वारे में की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण वताने का उचित अवसर न दिया जा चुका हो ·

पर यह खण्ड लागू न होगा—

(क) यदि कोई व्यक्ति वैसे आचरण के आधार पर निकाला, हटाया या अपने पद से उतारा गया हो, जिसके फलस्वरूप उसे दण्डारोप में दोष प्रमाणित किया गया हो, अथवा

(ख) जिस प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति के निकालने, हटाने अथवा पद से उतारने का प्राधिकार प्राप्त हो, उसे यदि किसी कारण से, जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जावे कि यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नही कि उस व्यक्ति को कारण वताने का अवसर दिया जाए.

अन्तर्वर्ती प्रावधान

२८३. जब तक इस सविधान के अधीन कोई दूसरा प्रावधान न किया जाए, तब तक जो नियम, इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य. पूर्व प्रवर्तमान थे और किसी ऐसी लोकसेवा अथवा पद के लिये लागू थे जो इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् सघ अथवा किसी राज्य के अधीन सेवा अथवा पद के रूप में विद्यमान हो, तो वे नियम वहा तक प्रवर्तमान रहेगें जहा तक कि इस सविधान के प्रावधानो से वे सगत हो.

अध्याय २.—लोक-सेवा-आयोग

सघ और राज्यो के लिये लोक-सेवा-आयोग

२८४. (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहते हुए सघ के लिये एक लोक-सेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा.

(२) दो अथवा अधिक राज्य यह सविदा कर सकेगे—

(क) कि राज्यो के उस समूह के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा ; अथवा

(ख) कि उनमें से एक राज्य का लोक-सेवा-आयोग उन सब राज्यो की आवश्यकताओ की पूर्ति करेगा ;

और ऐसी किसी संविदा में वैसे आनुषंगिक और समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो उस संविदा के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के हेतु आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीखें, और ऐसी संविदा होने की अवस्था में कि राज्यो के किसी समूह के लिये एक आयोग हो तो, संविदा में यह भी उल्लेख रहेगा कि, इस संविधान के इस भाग के अनुसार किसी राज्य के शासक द्वारा,किये जाने वाले प्रकार्यो का सम्पादन किस शासक अथवा किन शासको द्वारा किया जायेगा.

(३) यदि किसी राज्य का शासक, संघ के लोक-सेवा-आयोग से इस प्रकार प्रार्थना करे तो वह सेवा-आयोग प्रधान के अनुमोदन से उस राज्य की समस्त अथवा किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये राजी हो सकेगा.

(४) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तो इस संविधान में संघ के लोक-सेवा-आयोग के अथवा किसी राज्य के लोक-सेवा-आयोग के निर्देशो में उस आयोग का अन्वयन किया जायेगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में संघ की अथवा उस राज्य की आवश्यकताओ की पूर्ति करता हो.

आयोगो की रचना और कर्मचारि-वर्ग

२८५. (१) संघ के लोक-सेवा-आयोग के सभापति और अन्य सदस्यो को प्रधान स्वविवेक से नियुक्त करेगा, और किसी राज्य के लोक-सेवा-आयोग के सभापति और अन्य सदस्यो को उस राज्य का शासक स्वविवेक से नियुक्त करेगाः

पर प्रत्येक लोक-सेवा-आयोग के कम से कम आधे सदस्य वैसे व्यक्ति होगे, जो अपनी अपनी नियुक्ति की तिथियो को या तो भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन किसी पद पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हो और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना में, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की वह अवधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें कोई व्यक्ति राजसत्ता के अधीन किसी पद पर रह चुका हो.

(२) संघ के आयोग के लिये प्रधान और किसी राज्य के आयोग के लिये उस राज्य का शासक स्वविवेक से आनियम द्वारा—

(क) आयोग के सदस्यो की संख्या, उनके पद के कार्यकाल तथा सेवा के प्रतिबन्ध निश्चित कर सकेगा ; और

(ख) आयोग के कर्मचारियो की संख्या तथा उनकी सेवा के प्रतिबन्धो के विषय में प्रावधान बना सकेगा.

(३) पद से अलग हो जाने पर—

(क) संघ के आयोग का सभापति न तो भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन आगे और नियुक्ति का पात्र होगा ;

(ख) किसी राज्य के आयोग का सभापति, संघ के आयोग का सभापति अथवा सदस्य, अथवा अन्य राज्य के आयोग का सभापति नियुक्त होने का पात्र होगा, परन्तु न तो वह भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन किसी अन्य नियुक्ति का पात्र होगा ;

(ग) संघ के अथवा किसी राज्य के आयोग का कोई अन्य सदस्य, राज्य के प्रकार्यों-सम्बन्धी किसी नियुक्ति के लिये उस राज्य के शासक के, और किसी अन्य नियुक्ति के लिये प्रधान के, अनुमोदन के बिना, न तो भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन किसी अन्य नियुक्ति का पात्र होगा.

लोक-सेवा-आयोगो के प्रकार्य

२८६. (१) सघ के तथा राज्य के लोक-सेवा-आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह क्रमश: सघ-सेवाओ और राज्य-सेवाओ में नियुक्तियो के लिये परीक्षाओ का सचालन करे

(२) यदि कोई दो अथवा अधिक राज्य-संघ लोक-सेवा-आयोग से ऐसी प्रार्थना करे, तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यो को किन्ही ऐसी सेवाओ के लिये सयुक्त भर्ती की योजनाएँ बनाने और प्रवर्तन करने में सहायता दे, जिनके लिये विशेष योग्यताओ वाले अभ्यर्थी अपेक्षित है.

(३) प्रधान, अखिल भारतीय सेवाओ के बारे में तथा सघ के प्रकार्यों से सम्बद्ध अन्य सेवाओ और पदो के बारे में भी, और शासक राज्य के प्रकार्यो से सम्बद्ध अन्य सेवाओ और पदो के बारे में ऐसे आनियम बना सकेगा जिनमें उन विषयो का निर्देश होगा जिनमें या तो सामान्यत:, अथवा जिनके किसी विशेष वर्ग अथवा किसी विशेष परिस्थिति में, लोक-सेवा-आयोग से परामर्श लेना आवश्यक न होगा, परन्तु इस प्रकार बनाये हुए आनियमो के और अगले उत्तरवर्ती खण्ड के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, सघायोग से, अथवा स्थिति के अनुसार, उस राज्यायोग से—

(क) असैनिक सेवाओ और पदो की भर्ती की रीतियो से सम्बद्ध समस्त विषयो पर ,

(ख) असैनिक सेवाओ और पदो पर नियुक्ति करने, पदोन्नति करने, एक सेवा से दूसरी सेवा में परिवर्तन करने, और अभ्यर्थियो की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा परिवर्तन की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तो पर ;

(ग) भारत-शासन अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन असैनिक पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासन-विषयो पर, जिनमें ऐसे विषयो से सम्बद्ध प्रार्थना-पत्र अथवा याचना-पत्र भी सम्मिलित है ,

(घ) जो व्यक्ति भारत-शासन या किसी राज्य-शासन के अधीन या सम्राट के अधीन असैनिक पद पर सेवा कर रहा हो अथवा कर चुका हो, उसने अपने कर्तव्य पालन में, या कर्तव्य पालन के अभि-प्राय से जो कार्य किये उनके बारे में उसके विरुद्ध जो वैधिक कार्यवाहिया की गईं उनके प्रतिकार में उसको जो व्यय हुआ वह व्यय भारत के आगमो से अथवा, स्थिति के अनुसार, उस राज्य के आगमो से दिया जाना चाहिये इस प्रकार के दावे पर जो उसने किया है या उसके सम्बन्ध में किया गया है ;

(ङ) भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के अधीन अथवा सम्राट के अधीन असैनिक पद पर सेवा करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने के बाबत उत्तर-वेतन मिलने के दावे पर, और इस प्रकार दी जाने वाली राशि के किसी प्रश्न पर ,

परामर्श करना होगा और लोक-सेवा-आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार निर्दिष्ट किसी विषय पर अथवा किसी ऐसे अन्य विषय पर परामर्श दे जिसे प्रधान अथवा, स्थिति के अनुसार, शासक सेवा आयोग को भेजे.

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात इसके लिये बाध्य न करेगी कि, संघ अथवा किसी राज्य के भिन्न भिन्न समुदायो के बीच नियुक्तियो और पदो का विभाजन किस रीति के अनुसार किया जाये, इसके बारे में लोक-सेवा-आयोग से, परामर्श किया जाय.

लोक-सेवा-आयोग के प्रकार्यों मे विस्तार करने की शक्ति

२८७. इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, संसद् द्वारा अथवा किसी राज्य के विधान-मडल द्वारा बनाये अधिनियम में यह प्रावधान हो सकेगा कि संघ-लोक-सेवा-आयोग अथवा स्थिति के अनुसार उस राज्य का लोक-सेवा-आयोग किसी और भी प्रकार्यों को करे :

पर जब अधिनियम किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया जाता है तो उस अधिनियम में यह बात होगी कि उसके द्वारा प्रदत्त प्रकार्य, प्रधान की सहमति के बिना, किसी वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य न होगे जो उस राज्य की सेवाओ में से एक का भी सदस्य नहीं.

लोक-सेवा-आयोगो के व्यय.

२८८. सघ के अथवा राज्य के लोक-सेवा आयोग के व्यय जिसमें उस आयोग के सदस्यो अथवा कर्मचारी वर्ग को अथवा उनके विषय में दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित है, भारत के आगमो पर अथवा, स्थिति के अनुसार, उस राज्य के आगमो पर, प्रभत्त होगे.

भाग १३
निर्वाचन

निर्वाचनो का अधीक्षण, सचालन और नियन्त्रण निर्वाचन-आयोग मे निहित होगे

२८९. (१) इस सविधान के अधीन किये गये, संसद् के समस्त निर्वाचनो का और प्रधान और उपप्रधान के पदो के निर्वाचनो का अधीक्षण, सचालन और नियन्त्रण, जिसमें ससद् के निर्वाचनो से उद्‌भूत अथवा सम्बद्ध सन्देहो तथा विवादो के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, प्रधान द्वारा नियुक्त किये जाने वाले आयोग को सौंपा जायेगा.

(२) इस सविधान के अधीन किये गये, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल के समस्त निर्वाचनो का और उस राज्य के शासक के पद के निर्वाचनो का (उस राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ तालिका बनाने के निर्वाचनो का), अधीक्षण, सचालन और नियन्त्रण, जिसमें उस राज्य के विधान-मडल के निर्वाचनो से उद्‌भूत अथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादो के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, (उस राज्य के शासक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले) आयोग को सौंपा जायेगा.

ससद् के लिये निर्वाचन

२९० इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, ससद् समय समय पर विधि द्वारा ससद् के प्रत्येक आगार के निर्वाचनो के बारे में अथवा उनसे सम्बद्ध समस्त विषयो के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित है जो ससद् के दोनो आगारो के उचित संघटन और निर्वाचन-क्षेत्रो के परिसीमन करने के लिये आवश्यक हो

राज्यो के विधान-मडलो के निर्वाचन

२९१. इस सविधान के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधान-मडल के आगार अथवा आगारो के निर्वाचनो के बारे में अथवा उन से सम्बद्ध, समस्त विषयो के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित है जो ऐसे आगार अथवा आगारो के उचित सघटन और निर्वाचन क्षेत्रो के परिसीमन करने के लिये आवश्यक हो

भाग १४

अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान

लोकसभा मे अल्प सख्यको के लिये स्थानो का आरक्षण.

२९२. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ के खंड (५) के उपखंड (ख) में विनिहित श्रेणी के अनुसार—

(क) मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जातियो ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की अनुसूचित वनजातियो; और

(ग) मद्रास और बम्बई राज्यो के भारतीय ईसाई समुदाय,

के लिये लोक-सभा में स्थान आरक्षित रहेगें.

लोकसभा मे आग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान

२९३. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ में कुछ भी रहते हुए प्रधान, यदि वह इस मत का है कि लोक-सभा में आग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही तो लोकसभा में उस समुदाय के अधिक से अधिक दो सदस्य मनोनीत कर सकेगा.

राज्यो की विधान सभाओ मे अल्प सख्यको के लिये स्थानो का आरक्षण.

२९४. (१) इस संविधान के अनुच्छेद १४९ के खड (३) में विनिहित श्रेणी के अनुसार –

(क) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जातियो और (आसाम के स्वायत्तशासी जिलो की अनुसूचित वनजातियो को छोडकर) अनुसूचित वनजातियों ; और

(ख) मद्रास और बम्बई राज्यो की विधान-सभाओ में भारतीय ईसाई-समुदाय,

के लिये स्थान आरक्षित रहेगें.

(२) आसाम-राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलो के लिये भी स्थान आरक्षित रहेगें.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की विधान-सभा मे किसी समुदाय के लिये आरक्षित स्थानो का उस विधान-सभा के सम्पूर्ण स्थानो से यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जो उस राज्य में उस समुदाय की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है.

व्याख्या—इस खंड के लिये किसी राज्य की समस्त अनुसूचित जातिया एक ही "समुदाय" मानी जायेंगी और इसी प्रकार किसी राज्य की समस्त अनुसूचित वनजातिया भी.

(४) आसाम-राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये आरक्षित स्थानो का उस विधान-सभा के सम्पूर्ण स्थानो से वह अनुपात होगा जो उससे न्यून नहीं जो उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है.

(५) आसाम-राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के आरक्षित स्थानो के निर्वाचन-क्षेत्रो में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा.

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की अनुसूचित वनजाति का अंग नही है, आसाम राज्य की विधान-सभा के लिये, (शिलाग छावनी और नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोडकर) उस जिले के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा.

राज्यो कीविधान-सभाओ मे आँग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान.

२९५. इस सविधान के अनुच्छेद १४९ में कुछ भी रहते हुए, किसी राज्य का शासक, यदि वह इस मत का है कि उस राज्य की विधान-सभा में आग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह उपयक्त समझे मनोनीत कर सकेगा.

सेवाओ और पदो के लिये अल्प सख्यक समुदायो के दावे

२९६ अगले आगामी अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहते हुए संघ के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली सेवाओ या पदो के लिये नियुक्तियो में, प्रशासन-दक्षता के सधारण का ध्यान रखते हुए सब अल्पसख्यक समुदायो के दावो पर ध्यान रखा जायेगा.

विशेष सेवाओ मे आग्ल भारतीय समुदाय के लिये विशेष प्रावधान

२९७. (१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम दो वर्षों में रेल, निराक्राम्य कर (कस्टम), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओ के पदो के लिये आग्ल-भारतीय समुदाय के जनो की नियुक्तिया उसी आधार पर की जायेंगी जैसे कि १५ अगस्त १९४७ के तुरन्त पूर्व

प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्षों की अवधि में उक्त समुदाय के जनो के लिये, उक्त सेवाओ में, आरक्षित पदो की सख्या में सद्य पूर्वगामी दो वर्षों की अवधि में इस प्रकार आरक्षित सख्या की अपेक्षा दस प्रतिशत कमी की जायेगी:

पर इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब आरक्षणो का अन्त हो जायेगा.

(२) खड (१) के अनुसार आरक्षित पदो के अतिरिक्त, अथवा उनसे अधिक पदो पर आग्ल-भारतीय समुदाय के जनो की नियुक्तियो पर इस खड की किसी बात से रुकावट न होगी यदि ऐसे जन अन्य समुदायो के जनो की तुलना में योग्यता के कारण नियुक्ति के लिये योग्य पाये जाए

आग्ल भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष प्रावधान

२९८ इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम तीन आर्थिक वर्षों में, आग्ल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षा के सम्बन्ध में वही अनुदान, यदि कोई रहे हो तो, सघ तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य द्वार, दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई को अन्त होने वाले आर्थिक वर्ष में दिये गये थे.

प्रत्येक उत्तरवर्त्ती तीन वर्ष की अवधि में, अनुदान सद्य पूर्ववर्त्ती तीन वर्ष की अवधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेगे

पर इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक ये आग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष दान थे उस मात्रा तक बन्द हो जायेंगे:

पर यह और भी कि, इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी शैक्षिक सस्था अनुदान पाने की अधिकारी न होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेशो में न्यून से न्यून चालीस प्रतिशत प्रवेश आग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायो के जनो के लिये प्राप्त न हो.

सघ और राज्यो में अल्प सख्यको के लिये विशेष अधिकारी

२९९ (१) सघ में अल्प सख्यको के लिये विशेष अधिकारी होगा जिसको प्रधान नियुक्त करेगा, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य में अल्प सख्यको के लिये विशेष अधिकारी होगा जिसको उस राज्य का शासक नियुक्त करेगा.

(२) सघ के कार्यों के सम्बन्ध में अल्प सख्यको के लिये इस सविधान के अधीन प्रावहित अभिरक्षणो (सेफगार्ड) के सम्बन्ध के सब विषयो का अनुसधान करना, और ऐसे अवधि-अन्तरो में, जिनका प्रधान निदेश करे, अभिरक्षणो के कार्यवाहन पर प्रधान को प्रतिवेदन करना, सघ के विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा और प्रधान ऐसे सब प्रतिवेदनो को ससद् के समक्ष रखवायेगा

(३) एवं उल्लिखित राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में अल्प सख्यको के लिये इस सविधान के अधीन प्रावहित अभिरक्षणो के सम्बन्ध के सब विषयो का अनुसन्धान करना और ऐसे अवधि-अन्तरो में, जिनका उस राज्य का शासक निदेश करे, अभिरक्षणो के कार्यवाहन पर शासक को प्रतिवेदन करना, उस राज्य के विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा, और राज्य का शासक ऐसे सब प्रतिवेदनो को उस राज्य के विधान-मडल के समक्ष रखवायेगा.

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यो के अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन पर तथा अनुसूचित वनजातियो के कल्याणार्थ सघ का नियत्रण

३००. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अनसूचित क्षेत्रो के प्रशासन और अनुसूचित वनजातियो के कल्याण पर प्रतिवेदन करने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा प्रधान किसी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर (तो) करेगा (ही).

आयोग की रचना, शक्तिया और कार्यप्रणाली आदेश में परिभाषित रह सकेगी और उसमें वे आनुषगिक और सहायक प्रावधान भी रह सकेगे जिन्हे प्रधान आवश्यक अथवा वाञ्छनीय समझे.

(२) सघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, ऐसे राज्य को उस प्रकार निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित वनजातियो के कल्याण के लिये उस निदेश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओ के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता हो.

पिछड़ी हुई जातियो की अवस्थाओ के अनुसन्धान के लिये आयोग की नियक्ति

३०१. (१) प्रधान, ऐसे व्यक्तियो का बना हुआ आयोग आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा जिन्हे वह भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की अवस्थाओ के और उनकी कठिनाइयो के अनुसन्धान के लिये योग्य समझे, और जिन्हे वह उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये और उनकी अवस्था को उन्नत करने के लिये जो उपाय संघ अथवा किसी राज्य को करने चाहियें उनके बारे में, और इस प्रयोजन के लिये कितना अनुदान सघ अथवा किसी राज्य द्वारा दिया जाना चाहिये और किन प्रतिबन्धो के साथ ऐसा अनुदान देना चाहिये उनके बारे में अभिस्तावो के करने के लिये योग्य समझे और ऐसे आयोग की नियुक्ति के आदेश में वह कार्य प्रणाली निर्धारित रहेगी जिसका अनुसरण उस आयोग को करना होगा.

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयो का अनुसन्धान करेगा और प्रधान को प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा जिसमें उपलब्ध तथ्यो का समावेश होगा और जिसमें ऐसे अभिस्ताव किये जावेगे जिन्हे आयोग उचित समझे.

(३) प्रधान, इस प्रकार उपस्थापित प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्यवाही की सक्षिप्त व्याख्या सहित, संसद् के समक्ष रखवायेगा.

भाग १५

प्रकीर्ण

प्रधान और शासको की रक्षा

३०२ (१) प्रधान अथवा राज्य का शासक अपने पद की शक्तियो के प्रयोग और कर्तव्यो के पालन के लिये अथवा उन शक्तियो के प्रयोग और कर्तव्यो के पालन में किये हुए अथवा किये जाने का अभिप्राय रखने वाले अपने किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के समक्ष उतरदायी न होगा ·

पर, प्रधान के आचरण का निरीक्षण, इस सविधान के अनुच्छेद ५० के अधीन दोषारोप के अनुसधान के लिये ससद् क किसी आगार द्वारा नियुक्त अथवा नामोद्दिष्ट किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा निकाय द्वारा किया जा सकेगा

पर यह और भी कि इस खड की किसी बात का यह अर्थ न होगा कि किसी व्यक्ति के, भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के विरुद्ध उन कार्यवाहियो के लाने के अधिकार में कोई रुकावट होगी जो इस सविधान के भाग १० के अध्याय ३ में वर्णित है

(२) किसी भी प्रकार की दण्ड-कार्यवाही प्रधान के विरुद्ध अथवा किसी राज्य के शासक के विरुद्ध उसके पदकाल में किसी न्यायालय में न तो लाई जायेगी और न चालू रखी जायेगी

(३) किसी न्यायालय से, प्रधान अथवा किसी राज्य के शासक को पकडने अथवा कारावास देने के लिये, कोई आदेशक (प्रॉसेस) न निकलेगा.

(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें प्रधान अथवा किसी राज्य के शासक के विरुद्ध कोई अभ्यर्थना की गई हो, जो उसके अपने वैयक्तिक रूप में किये गये अथवा किये जाने का अभिप्राय रखने वाले किसी कार्य के बारे में हो, चाहे वह कार्य उसके प्रधान अथवा ऐसे राज्य के शासक के पद पर प्रवेश होने से पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, उसके पद-काल में किसी न्यायालय में उस समय तक न की जायेगी जब तक ऐसी लिखित सूचना प्रधान, अथवा स्थिति के अनुसार, शासक को दी जाकर अथवा उसके कार्यालय में छोडी जाकर दो मास न बीत चुके हो जिसमें कार्यवाही का स्वरूप, उसमें के दावे का कारण और कार्यवाही करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, तथा निवास स्थान दिये गये हो और उसकी अभ्यर्थना भी दी गई हो

निर्वचन, आदि

३०३ (१) इस सविधान में जब तक प्रसग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक निम्नलिखित पदो के वे अर्थ होगे जो क्रमानुसार नीचे नियत किये गये हैं, अर्थात्—

(क) "कृषि-आय" से अभिप्राय वह कृषि-आय है जो भारतीय आय-कर विषयक अधिनियमो के प्रयोजनो के लिये परिभाषित की गई है;

(ख) "आँग्ल भारतीय" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसका पिता अथवा पितृ परम्परा में कोई अन्य पुरुष जनक योरोपीय वश का है या था परन्तु जो भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासित है और जो इस राज्य-क्षेत्र में ऐसे मातापिता से जन्मा है जो वहा साधारणतया निवास करते रहे है और केवल अस्थायी प्रयोजनो के लिये नही ठहरे है ,

(ग) "भारतीय ईसाई" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी भी प्रकार के ईसाई धर्म को मानता है और जो योरोपीय अथवा आग्ल-भारतीय नहीं है ,

(घ) "उधार-ग्रहण" में वार्षिकी के अनुदान द्वारा धन लेना भी सम्मिलित है, और "उधार" का अन्वयन तदनुसार किया जाएगा ;

(ङ) उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में "मुख्य न्यायाधीश" म मुख्य न्यायाधिकारी (चीफ जज) भी सम्मिलित है ;

(च) "निगम-कर" से अभिप्राय आय पर उस कर से है जो प्रमण्डलो द्वारा देय हो और जिसके बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्धो की पूर्ति की जाती हो—

[१] कि वह कृषि-आय के विषय में देय न हो ;

[२] कि उस कर पर लागू होने वाले किन्हीं अधिनियम के अनुसार, प्रमण्डलो द्वारा दिये जाने वाले कर के विषय में उन प्रमण्डलो द्वारा, व्यक्तियो को दिये जाने वाले लाभांश से कोई कमी करने का प्राधिकार न हो ;

[३] कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनो के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले व्यक्तियो की समस्त आय की संगणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियो द्वारा दिये जाने वाले अथवा ऐसे व्यक्तियो को लौट कर मिलने वाले भारतीय आय-कर को सगणना में, इस प्रकार दिये हुए कर को लेखे में लेने का कोई प्रावधान न हो ;

(छ) सन्देह की अवस्था में "तत्स्थानी प्रान्त" अथवा "तत्स्थानी राज्य" से अभिप्राय वैसे प्रान्त अथवा राज्य से ह जिसे प्रधान, विवादास्पद किसी विशेष प्रयोजन के हेतु तत्स्थानी प्रान्त अथवा, स्थिति के अनुसार, तत्स्थानी राज्य निश्चित करे ;

(ज) वार्षिक वृत्ति के रूप में पुंजी राशियो की देनगी की उत्तरदायिता के विषय में किसी देय और किसी प्रत्याभूति के अधीन किसी देय का समावेश "ऋण" में है और "ऋण-प्रभार" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा ;

(झ) "वर्तमान विधि" से अभिप्राय किसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा आनियम से है जिसे इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी विधान-मण्डल, प्राधिकारी अथवा व्यक्ति ने बनाया था जिसे ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा आनियम के बनाने की शक्ति रही हो परन्तु जिसमें यूनाइटेड किंगडम की संसद् के किसी अधिनियम का अथवा उसके अधीन बनाये हुए परिषत्स्थित आदेश (आर्डर-इन-काउंसिल) का समावेश नहीं,

(ञ) "संघान न्यायालय" से अभिप्राय भारत-शासन अधिनियम, १९३५, के अनुसार सघटित संघान न्यायालय से है ;

(ट) "वस्तुओ" में समस्त सामग्रियो, पदार्थों और वस्तुओ का समावेश है ;

(ठ) "प्रत्याभूति" में किसी ऐसी उत्तरदायिता का समावेश है जो किसी उपक्रमण के लाभो के उल्लिखित राशि से न्यून होने की अवस्था म, देने के हेतु इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व उठाई गई हो ;

(ड) "उत्तर वेतन" से अभिप्राय किसी व्यक्ति को अथवा उसके बारे में दिये जाने वाले किसी प्रकार के उत्तर वेतन से है चाहे वह अंशदायी हो या न हो और इसमें इस प्रकार दिये जाने वाले सेवा-निवृत्त वेतन, इस प्रकार दिये जाने वाले आनुतोषिक और इस प्रकार दी जाने वाली किसी ऐसी राशि अथवा राशियो का समावेश है जो (प्रावधायी प्रणीवि) प्राविडेन्ट फड के चन्दे को वापिस देने के रूप में दी जाने वाली हो चाहे वह ब्याजसहित हो अथवा ब्याजरहित अथवा उसमें कोई अन्य बढती हो ,

(ढ) "लोक-अधिसूचना" से अभिप्राय भारतीय सूचनापत्र (गजट आफ इण्डिया) में, अथवा स्थिति के अनुसार, किसी राज्य के राजकीय सूचनापत्र में दिये अधिसूचन से है ;

(ण) "प्रतिभूतियो" में स्कन्ध का समावेश है ,

(त) "करारोपण" में किसी कर अथवा प्रवेश्य कर का समावेश है, चाहे वह सामान्य अथवा स्थानीय अथवा विशेष हो, और "कर" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;

(थ) "आय पर कर" में अतिरिक्त लाभ कर के स्वरूप के कर का समावेश है ,

(द) "अयोमार्ग" (रेलवे) में पूर्णतया किसी नगर समिति के भीतर ही न होने वाले रथ्यायान (ट्रामवे) का समावेश है ,

(ध) "सघ-अयोमार्ग" (सघ रेलवे) में इण्डियन स्टेट रेलवे (देशी राज्य अयोमार्ग) का समावेश नहीं है परन्तु पूर्वोक्त को छोडकर जो गौण अयोमार्ग (माइनर रेलवे) नहीं है, उन सब अयोमार्गों का समावेश है ;

(न) "देशी राज्य अयोमार्ग" (इडियन स्टेट रेलवे) से अभिप्राय उस अयोमार्ग का है जिस का स्वामी प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य है और जो या तो ऐसे राज्य द्वारा या ऐसे राज्य की ओर से उस सविदा का अनुसरण न करते हुए चालित है जो सविदा उस राज्य के साथ भारत-शासन ने की हो अथवा भारत-शासन की ओर से की गई हो अथवा उस राज्य के साथ संघ अयोमार्ग चलाने वाले किसी प्रमण्डल ने की हो ;

(प) "गौण अयोमार्ग" (माइनर रेलवे) से अभिप्राय उस अयोमार्ग से है जो एक ही राज्य में पूर्णतया स्थित हो और समान चौडाई या असमान चौडाई के सघ अयोमार्ग से लगातार यातायात-पक्ति न बनाता हो ;

(फ) "अनुसूची" से इस सविधान की अनुसूची का अभिप्राय है ;

(ब) "अनुसूचित जातियो" से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसी जातियों, प्रजातियो या बनजातियो से अथवा जातियो, प्रजातियो या वन-जातियो के भागो अथवा उन में के समूहो से अभिप्राय है जो भारत-शासन (अनुसूचित जाति) आदेश, १९३६, में भारत शासन अधिनियम, १९३५, की पंचम और षष्ठ अनुसूचियो के प्रयोजनार्थ तत्स्थानी प्रान्त के लिये अनुसूचित जातियाँ उल्लेख की गई है ;

(भ) "अनुसूचित वन-जातियो" से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को अष्टम अनुसूची के भाग १ से ९ के जो भाग क्रमश. लागू होते हो उनमें उल्लिखित वन-जातियो अथवा समुदायो का अभिप्राय है.

(२) जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस सविधान के निर्वचन के हेतु सामान्य-परिभाषा-अधिनियम (जनरल क्लाजेज एक्ट), १८९७ (संख्या १०, १८९७ ई.) लागू होगा.

(३) इस सविधान में ससद् के, या संसद् द्वारा निर्मित, अधिनियमो या विधियो के किसी निर्देश में, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के या विधान-मण्डल द्वारा निर्मित अधिनियमो या विधियो के किसी निर्देश में, प्रधान द्वारा या स्थिति के अनुसार शासक द्वारा बनाये हुए अध्यादेश के निर्देश का अन्वयन सम्मिलित समझा जायेगा.

भाग १६

संविधान का संशोधन

सविधान के सशोधन की कार्यप्रणाली

३०४. (१) ससद् के किसी आगार में तदर्थ विधेयक पुरःस्थापित करके सविधान के सशोधन का सूत्रपात किया जा सकेगा, और जब प्रत्येक आगार में, उस आगार की समस्त सदस्य-सख्या के बहुमत से तथा उस आगार में उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यो के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, वह विधेयक पारित हो जाये तो वह प्रधान के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयो के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा:

पर यदि ऐसे सशोधन से—

(क) सप्तम अनुसूची की सूचियो में से किसी में ;

(ख) संसद् में राज्यो के प्रतिनिधान में ; अथवा

(ग) सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियो में ,

कोई परिवर्तन इष्ट हो तो प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के कम से कम आधे राज्यो के विधान-मण्डलो द्वारा और उस अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के कम से कम एक-तिहाई के विधान मण्डलो द्वारा उस संशोधन का उपोद्बलन (रॅटिफिकेशन) भी अपेक्षित होगा

(२) अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, (शासक को चुनने की पद्धति सम्बन्धी या) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के आगारो की सख्या सम्बन्धी इस सविधान के प्रावधानों में कोई परिवर्तन चाहने वाले सशोधन का सूत्रपात, उस राज्य की विधान-सभा में अथवा जिस राज्य में विधान-परिषद् है वहा राज्य के विधान-मण्डल के किसी आगार में, तदर्थ विधेयक पुर स्थापित करके, किया जा सकेगा, और जब विधेयक विधान-सभा द्वारा या, जहा राज्य में विधान-परिषद् है वहा राज्य के विधान-मण्डल के दोनो आगारो द्वारा विधान-सभा या प्रत्येक आगार की, जैसी भी स्थिति हो, समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है तो, वह उपोद्बलन (रॅटिफिकेशन) के लिये ससद् के समक्ष रखा जायगा और जब वह ससद् के प्रत्येक आगार द्वारा, उस आगार की समस्त सदस्य-सख्या के बहुमत से उपोद्बलित हो जाय तो वह प्रधान के समक्ष स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयो के अनुसार सविधान सशोधित हो जायेगा

व्याख्या —जहा प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय राज्यो का कोई समूह उल्लिखित है, तो इस अनुच्छेद के खड (१) के परादिक के प्रयोजनार्थ, सारा समूह एक राज्य समझा जायेगा

अल्पसख्यको के लिये स्थानो का आरक्षण केवल दस वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसका प्रवर्तन सविधान के सशोधन से चालू न रखा जाये

३०५ इस सविधान के अनुच्छेद ३०४ में किसी बात के होते हुए भी, ससद् में या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल में मुसलमानो, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित वन-जातियों अथवा भारतीय ईसाइयो के स्थानो के आरक्षण-सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधान, इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि में, सशोधित न किये जायेंगे और दस वर्ष के अवसान पर, वे प्रावधान प्रभावी न रहेंगे जब तक कि सविधान के सशोधन द्वारा उनका प्रवर्तन चालू न रखा गया हो.

भाग १७

अस्थायी और अन्तर्वर्ती प्रावधान

राज्य सूची के कुछ विषयो के सम्बन्ध मे, ससद् को विधि वनाने का अस्थायी अधिकार मानो कि ये समवर्ती सूची के विपय हों

३०६. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, इस संविधान के प्रारम्भ से ५ वर्ष की अवधि तक निम्न विषयो के सम्बन्ध में, विधि बनाने का अधिकार होगा, मानो कि ये विषय समवर्ती सूची में अंकित हो, अर्थात् :—

(क) सूती और ऊनी वस्त्र, कागज (जिस में समाचार पत्र का कागज सम्मिलित है), खाद्य-पदार्थ (जिसमें खाने योग्य तैल-बीज और तैल सम्मिलित है), मिट्टी का तेल और उससे बनी हुई वस्तुएँ, यन्त्र द्वारा चलने वाले वाहनो के अतिरिक्त भाग (पुरजे), कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य और उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण ;

(ख) स्थानच्युत व्यक्तियो की सहायता और उनका पुनःप्रतिस्थापन ,

(ग) इस अनुच्छेद के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित विषयो से सम्बद्ध विधियो के विरुद्ध अपराध, उन विषयो में से किसी के प्रयोजनार्थ परिप्रश्न और समक (स्टैटिस्टिक्स), उन विषयो में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयो के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयो में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, किन्तु वे शुल्क नहो, जो किसी न्यायालय द्वारा लिये जायें;

किन्तु संसद् द्वारा वनाई हुई कोई विधि, जिसे संसद् इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अभाव में बनाने के लिये समर्थ न होती, उक्त कालावधि के अवसान पर, असमर्थता की मात्रा तक प्रभावी न रहेगी, उन वातो के विषय को छोड कर जो उस अवसान के पूर्व की हुई अथवा करने से छोडी हुई हों.

वर्तमान विधियो और उनके सशोधित रूपो का चालू रहना

३०७. (१) इस सविधान के अन्य प्रावधानो के अधीन रहते हुए इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य. पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधिया तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि समर्थ विधान मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा वे परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दी जायें.

(२) आदेश द्वारा प्रधान यह प्रावधान कर सकेगा कि ऐसी तिथि से, जो आदेश में उल्लिखित हो, भारत के राज्यक्षेत्र मे या उस के किसी भाग में कोई प्रवृत्त विधि, ऐसे उपयोजनो और सपरिवर्तनो के साथ, चाहे वे विखंडन या सशोधन के रूप में हो, जो कि उस विधि के प्रावधानो को इस सविधान के प्रावधानो से सुसगत करने के लिये उसको आवश्यक या उचित दीखें, प्रवृत्त रहेगी, जब तक विधान-मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी उसका विखण्डन अथवा संशोधन न करे और ऐसे उपयोजनो और सपरिवर्त्तनो पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायगी.

व्याख्या १ —इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" पद में वह विधि भी सम्मिलित होगी जो इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी ने पारण (पास) या निर्माण की हो और पूर्व विखण्डित न कर दी गई हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सर्वथा, या विशेष क्षेत्रो में, प्रवर्तन में न हो.

व्याख्या २.—भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी होने के साथ साथ बाह्य-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी है, पूर्वोक्त उपयोजनों और सपरिवर्तनों के साथ बाह्य-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी बनी रहेगी.

व्याख्या ३.—इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न होगा कि किसी अस्थायी अधिनियम का प्रवर्तन उसके अवसान की निर्धारित तिथि के पश्चात् चालू रहेगा

सघान न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाना और सघान न्यायालय में या सपरिषद् सम्राट के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों का सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जाना

३०८. (१) इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व पद धारण करने वाले सघान न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा निश्चय न किया हो, उस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे और तब वे ऐसे वेतनों और अधिदयों के, तथा अवकाश और उत्तरवेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जो इस संविधान के अनुच्छेद १०४ के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित हैं

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर सघान न्यायालय में लम्बित व्यवहार सम्बन्धी या दण्ड सम्बन्धी, सब मुकद्दमे, पुनर्विचार प्रार्थनाएँ तथा कार्यवाहियां सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय को उनके सुनने और निर्णय देने का क्षेत्राधिकार होगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ के पूर्व, सघान न्यायालय द्वारा दिये हुए निर्णयों और आदेशों को वैसा ही बल और प्रभाव प्राप्त होगा मानो कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हों.

(३) इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को और उसके पश्चात्, भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी न्यायालय के किसी प्रादेश और आदेश के विरुद्ध अथवा सम्बन्ध में पुनर्विचार प्रार्थनाओं और याचनाओं को सुनने और निर्णय करने का, सपरिषद् सम्राट् का क्षेत्राधिकार, जिस में सम्राट् के परमाधिकार के बल पर सम्राट् द्वारा दण्ड विषयक प्रयोक्तव्य क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, समाप्त हो जायेगा और उस दिन, सपरिषद् सम्राट् के सम लम्बित सब पुनर्विचार प्रार्थनाएँ और अन्य कार्यवाहियाँ सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय उनका निर्णय करेगा.

(४) इस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये संसद् विधि द्वारा प्रावधान बना सकेगी.

इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, इसके प्रावधानों के अधीन, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का अपने अपने प्रकार्यों को करते रहना.

३०९. भारत के समस्त राज्यक्षेत्र के व्यवहार, दण्ड और आगम क्षेत्राधिकारवाले सब न्यायालय तथा न्यायसम्बन्धी, अधिशासन सम्बन्धी और लिपिक सम्बन्धी सब प्राधिकारी और सब अधिकारी इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने अपने प्रकार्यों को करते रहेंगे.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो के विषय मे प्रावधान.

३१०. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपूर्व पद धारण करने वाले किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा निश्चय न किया हो, उस तिथि को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे और तब वे ऐसे वेतनो और अधिदयो के तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारो के अधिकारी होगे जो इस संविधान के अनुच्छेद १९७ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित है.

सघ के अस्थायी विधान-मडल तथा प्रधान आदि के विषय मे प्रावधान.

३११. (१) जब तक संसद् के दोनों आगार इस संविधान के अधीन यथा विधि संघटित न हो चुके हो और प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये न जा चुके हो, तब तक भारत के अधिराज्य (डोमीनियन) की सविधान-सभा, संसद् को दी हुई सब शक्तियो का प्रयोग और कर्तव्यो का पालन स्वयं करेगी और विशेषतः संसद् के दोनो आगारो का यथाविधि संघटन कराने के लिये, तथा संसद् के प्रत्येक आगार के निर्वाचन विषयक और उससे सम्बद्ध सब बातो के लिये प्रावधानार्थ, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन सम्मिलित है तथा ऐसे अन्य आनुषगिक और समनुवर्ती विषयो के लिये, जो इस सविधान के प्रावधानो को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक समझे जायें, विधि बना सकेगी.

व्याख्या.—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, भारत के अधिराज्य (डोमीनियन) की संविधान-सभा में, वे सदस्य सम्मिलित समझे जायेंगे जो आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिये, एतदर्थ सभा द्वारा निर्मित नियमानुसार चुने गये है परन्तु वे सदस्य सम्मिलित न समझे जायेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करते है जो प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नही.

(२) भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, के अनुसार, अधिराज्य के विधान-मण्डल के रूप में जब सविधान-सभा प्रकार्य करे तब उस सभा का अध्यक्ष हो वह इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अधीन प्रकार्य करने वाली सविधान सभा का अध्यक्ष बना रहेगा.

(३) जब तक इस संविधान के भाग ५ के अध्याय १ के प्रावधानो के अनुसार प्रधान निर्वाचित न हो जाय और अपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक, वह व्यक्ति जिसे भारत-अधिराज्य की संविधान सभा एतदर्थ निर्वाचित कर ले, भारत का अस्थायी प्रधान होगा.

(४) इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य.पूर्व भारत-अधिराज्य के मन्त्रियो के पद-धारण करने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् इस सविधान के अधीन अस्थायी प्रधान की मन्त्रि-परिषद के सदस्य हो जायेंगे.

प्रथम अनुसूची के भाग १ के प्रत्येक राज्य के अस्थायी विधान-मण्डल, था शासक आदि के विपय मे प्रावधान.

३१२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य के विधान-मडल के एक अथवा दोनो आगार इस संविधान के प्रावधानो के अधीन यथाविधि संघटित न हो चुके हो और प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये न जा चुके हो, तब तक, इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य.पूर्व प्रकार्य करने वाले तत्स्थानी प्रान्त के विधान-मण्डल के एक अथवा दोनो आगार, उन शक्तियो का प्रयोग और कर्तव्यो का पालन करेगे जो ऐसे राज्य के विधान-मण्डल के आगार या आगारो को इस संविधान के प्रावधानो द्वारा प्रदत्त है.

(२) इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य.पूर्व, किसी प्रान्त की, विधान-सभा के अध्यक्ष या विधान-परिषद् के प्रधान का पदधारण करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का अध्यक्ष या जैसी भी स्थिति हो, विधान-परिषद् का सभापति होगा, जब कि ऐसी सभा या परिषद्, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार प्रकार्य करेगी.

(३) जब तक कि इस संविधान के भाग ६ के अध्याय २ के प्रावधानों के अनुसार नया शासक निर्वाचित (नियुक्त) न हो जाय और अपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक वह व्यक्ति जो इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य पूर्व किसी प्रान्त में शासक का पद धारण कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य का अस्थायी शासक होगा.

(४) इस सविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व किसी प्रान्त में मन्त्रियों के पद-धारण करने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य के अस्थायी शासक की मन्त्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे

कठिनाइयो को दूर करने की प्रधान की शक्ति

३१३ (१) इस सविधान के अनुच्छेद ३११ के खण्ड (१) के अधीन रहते हुए प्रधान, किन्हीं कठिनाइयो को दूर करने के लिये, विशेषतः जिनका सबध भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, के प्रावधानो से इस सविधान के प्रावधानो में संक्रमण से है, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस कालावधि में जो आदेश में उल्लिखित हो, यह सविधान ऐसे उपयोजनो के सहित प्रभावी होगा, जिसे कि वह आवश्यक या उचित समझे, चाहे वे उपयोजना, परिवर्तन, परिवर्धन या विखण्डन के रूप के हों

पर इस सविधान के भाग ५ के अध्याय २ के अनुसार यथाविधि संघटित संसद् की पहली बैठक के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अधीन दिया हुआ प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखा जायगा.

भाग १८

प्रारम्भ और विखण्डन

प्रारम्भ.

३१४. यह संविधान . . . . को प्रवर्तमान होगा.

विखण्डन.

३१५. भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, (इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट), १९४७, तथा भारत शासन अधिनियम, (गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट), १९३५, भारत (केंद्रीय शासन और विधान-मडन) अधिनियम [इण्डिया (सेण्ट्रल गवर्नमेंट एण्ड लेजिसलेचर एक्ट], १९४६ के सहित, तथा भारत-शासन अधिनियम (गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट), १९३५, को संशोधन और अनुपूरण करने वाले अन्य सब अधिनियम प्रभावशून्य, हो जाएंगे.

प्रथम अनुसूची

(अनुच्छेद १ और ४)

भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र

भाग १

वे राज्यक्षेत्र जो इस सविधान के आरम्भ होने से सद्य पूर्व शासक के प्रातो के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात थे :—

१. मद्रास
२. बम्बई.
३. पश्चिमी बगाल
४. सयुक्त प्रात
५ विहार
६ पूर्वी पजाब.
७. मध्यप्रात और बरार
८. आसाम
९. उडीसा.

भाग २

वे राज्यक्षेत्र जो इस सविधान के आरम्भ होने से सद्य पूर्व मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर) के प्रातो के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात थे :—

१. दिल्ली.
२. अजमेर-मेरवाडा सहित पथ पिपलोदा के
३ कुर्ग

भाग ३

विभाग क

निम्नलिखित देशी राज्य —

१. मैसूर.
२. काश्मीर.
३. ग्वालियर.
४. बडौदा
५. त्रावणकोर.
६. कोचीन
७. उदयपुर.
८ जयपुर.

९. जोधपुर.
१०. बीकानेर.
११. अलवर.
१२. कोटा.
१३. इन्दौर.
१४. भोपाल.
१५. रीवा.
१६. कोल्हापुर.
१७. पटियाला.
१८. मयूरभंज.
१९. काठियावाड़ का संयुक्त राज्य.

विभाग ख

और सब दूसरे देशी राज्य जो इस संविधान के आरम्भ होने से सद्यःपूर्व भारत-अधिराज्य के अन्तर्गत थे.

भाग ४

अन्दमान और निकोबार द्वीप

द्वितीय अनुसूची

[अनुच्छेद ४८ (३), ६२ (६), ७९, १०४, १२४ (२), १३५ (३), १४५ (५), १६३ और १९७]

भाग १

प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ मे उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के शासकों के संबंध मे प्रावधान

१. प्रधान कोतथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के शासको को प्रतिमास निम्नलिखित परिलाभ दिये जायेंगे अर्थात :—

	रु.
प्रधान को	५,५००
राज्य के शासक को	४,५००

२. प्रधान को और शासको को अपनी अपनी पदावधि में प्रतिमास निम्नलिखित अधिदेय भी दिये जायेंगे जिससे कि वे सुविधा और गरिमापूर्वक अपने अपने पदो के कर्तव्यो का पालन कर सके :—

	रु
प्रधान को	.
राज्य के शासक को	...

३. अपने पद-ग्रहण करने के लिये , परिवार के साथ, यदि परिवार हो तो, तथा अपने और अपने परिवार के सभार सहित, यात्रा करने में प्रधान का और शासक का जो वास्तविक व्यय हो उसके बराबर अधिदेय उनको दिया जायगा

४. अपनी अपनी सपूर्ण पदावधि में प्रधान को तथा प्रत्येक शासक को बिना किराया या भाडा दिये अपने अपने उपयोग के लिए मिले हुए पदावासो, रेलवे सलूनो (अयोमार्ग विलासकोष्ठ), नदी-वाहनो, विमानो, मोटरगाडियो के उपयोग, का अधिकार होगा और इन सब के सधारण के सबध में उन पर कोई व्यक्तिगत प्रभार न पडेगा.

५ जब उपप्रधान या और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधान के प्रकार्यों का पालन करता हो या उसका स्थानापन्न हो अथवा जब कोई व्यक्ति शासक के प्रकार्यों का पालन करता हो तब वह कडिका (पैरा) १ और २ में दिए हुए उन्हीं वेतनो और अधिदेयो को पाने का अधिकारी होगा जिनका कि वह प्रधान या वह शासक अधिकारी था जिसके प्रकार्यों का, जैसी कि स्थिति हो, वह पालन करता है या जिसका वह स्थानापन्न होता है और इस अनुसूची की कडिका ४ के प्रावधान उसको तब तक लागू होगे जब तक कि वह इस प्रकार प्रकार्यों का पालन करता है या स्थानापन्न होता है परन्तु कडिका ३ के प्रावधान उसको लागू न होगे

भाग २

संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यो के मत्रियों के लिये प्रावधान

६. संघ के प्रधान मत्री को और प्रत्येक दूसरे मत्री को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व अधिराज्य के प्रधान मत्री तथा प्रत्येक मत्री को क्रमश: देय थे

७ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के मत्रियोको वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व तत्स्थानी प्रान्त के मत्रियो को देय थे.

भाग ३

लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्यपरिषद के सभापति तथा उपसभापति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति संबधी प्रावधान

८. लोक-सभा के अध्यक्ष और राज्यपरिषद् के सभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस सविधान के सद्य पूर्व भारत के अधिराज्य की सविधान-सभा के अध्यक्ष को देय थे तथा लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्यपरिषद् के उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो कि १५ अगस्त सन् १९४७ के सद्यपूर्व केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के उपप्रधान को और केंद्रीय राज्यपरिषद् (कौंसिल आफ स्टेट) के उपप्रधान को क्रमशः देय थे.

९. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद् के सभापति और उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व तत्स्थानी प्रांत की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को क्रमशः देय थे और जहा तत्स्थानी प्रान्त में कोई विधानपरिषद् नही थी तो उस राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो उस राज्य का शासक निश्चित करे.

भाग ४

सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो के लिये प्रावधान

१०. सर्वोच्च न्यायालय के तथा भारत राज्यक्षेत्र के अतर्गत, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को छोडकर, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को, उस समय के लिये जो वे वास्तविक सेवा में व्यतीत करे, निम्न दर से मासिक वेतन दिये जायेंगे, अर्थात् :—

	रु.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ...	५,०००
सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को	४,५००
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ...	४,०००
उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को	३,५००:

पर यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के समय भारत-शासन की या उसके किसी पूर्वगामी शासन की अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन की या उसके किसी पूर्वगामी शासन की सेवा के लिए (अयोग्य होने अथवा घायल होने के उत्तरवेतन से भिन्न) उत्तरवेतन पा रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवा के उसके वेतन में से उस उत्तर-वेतन की राशि घटा दी जायगी.

११. अपने कर्तव्यो के सबध में भारत-शासन-क्षेत्र में यात्रा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अथवा अन्य किसी न्यायाधीश का, तथा भारत-राज्य-क्षेत्र में, उन राज्यो को छोडकर जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित है, स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अथवा अन्य किसी न्याया-

धीश का जो व्यय लगे उसकी पूर्ति के लिए वे उचित अधिदेय दिये जायेंगे और यात्रा के संबंध में वे उचित सुविधायें दी जायेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशो के लिए प्रधान और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशो के लिये शासक समय समय पर विनिधान करे.

१२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी दूसरे न्यायाधीश के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन संबधी अधिकार उन प्रावधानो के द्वारा शासित होगे अथवा शासित होते रहेगे, जैसी कि स्थिति हो, जो संघान न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को छोडकर भारत के राज्य क्षेत्रमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी दूसरे न्यायाधीश के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन-संबधी अधिकार उन्हीं प्रावधानो के द्वारा शासित होगे अथवा शासित होते रहेगे, जैसी कि स्थिति हो, जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे.

(३) इस कडिका के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ पर एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में सेवा कर रहा था, केवल उसी अवस्था में न्यायाधीश के रूप में उस तिथि को सेवा करता हुआ समझा जावेगा जब कि एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उसकी न्यायाधीश के रूप में पीछे होने वाली स्थायी नियुक्ति तक विना व्यवधान के चालू रखा गया है

१३. इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य न्यायाधीश" पद में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश का समावेश है, और "न्यायाधीश" पद में एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश का समावेश है,

(ख) "वास्तविक सेवा" में निम्न बातो का समावेश है—

(१) न्यायाधीश के कर्तव्यो को पालन करने में, या ऐसे अन्य प्रकार्यों के, जो प्रधान अथवा शासक ने, जैसी भी स्थिति हो, या इस संविधान के अनुच्छेद २८६ के अधीन नियुक्त आयोग (कमीशन) ने, पूरे करने के लिये उसे दिये हो, निष्पादन में, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत किया गया समय,

(२) जिस समय में न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित रहा है उसको निकाल कर दीर्घकालीन अवकाश, और

(३) किसी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अथवा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को परिवर्तन होने पर कार्यग्रहण-काल.

भाग ५

भारत के महाकेक्षक के संबंध में प्रावधान

१४. भारत के महाकेक्षक को प्रति मास चार सहस्त्र रुपये की दर से वेतन दिया जायेगा.

१५. भारत के महाकेक्षक के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन-संबधी अधिकार उन प्रावधानो के द्वारा शासित होगे अथवा शासित होते रहेगे, जैसी भी स्थिति हो, जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व भारत के महाकेक्षक के लिये लागू थे और उन प्रावधानो में जहा जहा महाशासक को निर्देश है वहा वहा प्रधान को समझे जायेंगे.

तृतीय अनुसूची

[अनुच्छेद ६२ (४), ८१, १०३ (६), १४४ (२), १६५ और १६५]

घोषणा प्रपत्र

(१)

संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा, कि मैं संघ-मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक तथा अन्त.करण से पालन करूँगा और मैं भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष, के विना सब प्रकार के लोगो .के प्रति इस संविधान और विधिके अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा."

(२)

संघ-मंत्री के लिये गूढता की शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी बात को, जो संघ-मंत्री के रूप में मेरे सामने विचारार्थ लाई जायगी अथवा मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियो को, उस अवस्था को छोडकर जब मंत्रि-रूप में अपने कर्तव्यो के सम्यक् पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से संसूचित या प्रकट न करूँगा."

(३)

संसद्-सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, राज्य-परिषद् (अथवा लोक-सभा) का निर्वाचित (अथवा मनोनीत) सदस्य गंभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा और जिस कर्तव्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका भक्तिपूर्वक पालन करूँगा."

(४)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ मुख्य न्यायाधीश (अथवा न्यायाधीश) गंभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा और मैं यथोचितरूप तथा, सच्ची भक्ति से और अपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यो का पालन भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना करूँगा और इस संविधान तथा विधियो को ऊंचे उठाये रखूंगा."

(५)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित राज्य के मन्त्री के लिये शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, गभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-सविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूगा, कि मैं ... ...राज्य के मत्री के रूप में अपने कर्तव्यो का भक्तिपूर्वक तथा अन्तःकरण से पालन करूँगा और मैं भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के विना सब प्रकार के लोगो के प्रति इस सविधान और विधि के अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा."

(६)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के मत्री के लिये गूढता की शपथ का प्रपत्र —

"मैं, अमुक, गभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी बात को, जो ... ...के मत्री के रूप में, मेरे सामने विचारार्थ लाई जायगी, अथवा मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियो को, उस अवस्था को छोडकर जब ऐसे मत्रि-रूप में अपने कर्तव्यो के सम्यक् पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो अथवा शासक स्वविवेक से प्रयोक्तव्य प्रकार्यों से सवद्ध किसी वात के बारे में ऐसा करने की विशेष अनुमति दे मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ससूचित अथवा प्रकट न करूँगा."

(७)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, विधान-सभा (अथवा विधान-परिषद्) का निर्वाचित (अथवा मनोनीत) सदस्य गभीरतापूर्वक सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-सविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूगा और जिस कर्तव्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका भक्तिपूर्वकपालन करूँगा."

(८)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, . स्थित (अथवा के) उच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ मुख्य न्यायाधीश (अथवा न्यायाधीश) गभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-सविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूगा और मैं यथोचित रूप तथा सच्ची भक्ति से और अपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यो का पालन भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना करूँगा और इस सविधान तथा विधियो को ऊँचा उठाये रखूगा."

चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद १४४ (४)]

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के शासकों को निदेश

१. यदि प्रसग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इन निदेशो में "शासक" पद में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का समावेश होगा जो इस सविधान के प्रावधानो के अनुसार उस समय शासक के प्रकार्यों को कर रहा हो.

२. अपनी मन्त्रि-परिषद् के लिये नियुक्तियाँ करते समय शासक अपने मंत्रियो के चुनने में निम्नलिखित रीति के अनुसार भरसक प्रयत्न करेगा, अर्थात्, शासक उस व्यक्ति के परामर्श से जिसको उसके विचार में विधान-मण्डल में स्थायी बहुमत प्राप्त होने की सबसे अधिक सम्भावना है, उन व्यक्तियो को (जिनमें महत्वपूर्ण अल्प सख्यक समुदायो के सदस्यो का, जहाँ तक यह व्यवहार्य्य हो, समावेश होगा) नियुक्त करेगा जो उस विधान-मण्डल का सामूहिक रूप से विश्रम्भ प्राप्त करने में सबसे अधिक समर्थ हो. ऐसा करने में वह मन्त्रियो में परस्पर सयुक्त उत्तरदायित्व की भावना के पोषण की आवश्यकता को सदा ध्यान में रखेगा

३. इस सविधान के द्वारा अथवा इसके अधीन जिन प्रकार्यों के सम्बन्ध में शासक से स्वविवेक के प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है उनको छोडकर राज्य की अधिशासी शक्ति के क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य समस्त विषयो में शासक उन शक्तियों के प्रयोग में जो उसको दी गई है अपने मन्त्रियो की मन्त्रणा पर चलेगा.

४. अच्छे प्रशासन के स्तरो के सधारण के हेतु, आचारिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के पोषण करने वाले और जनता के समस्त वर्गो को सार्वजनिक जीवन तथा राज्य के शासन में यथोचित भाग लेने के लिये योग्य बनाने वाले समस्त उपायो की वृद्धि के हेतु, और समस्त वर्गों और पथो में सहकारिता, सद्भाव और धार्मिक विश्वासो और भावनाओं के प्रति परस्पर आदर उत्पन्न करने के हेतु, शासक भरसक उद्योग करेगा.

पंचम अनुसूची

[अनुच्छेद १८९ (क) और १९० (१)]

अनुसूचित क्षेत्रो तथा अनुसूचित वनजातियो के प्रशासन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रावधान

भाग १

सामान्य

१ अनुसूचित क्षेत्रो में राज्य की अधिशासी शक्ति — इस अनुसूची के प्रावधानो के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य की अधिशासी शक्ति का विस्तार उसके अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रो तक होगा

२. अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन के सम्बन्ध में शासक द्वारा भारत-शासन को प्रतिवेदन — जिस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हो उस प्रत्येक राज्य का शासक प्रति वर्ष, अथवा जब कभी भी भारत-शासन ऐसी अपेक्षा करे, भारत-शासन को अपने अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन के विषय में प्रतिवेदन करेगा और सघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रो के प्रशासन के विषय में उस राज्य को निदेश देने तक होगा

भाग २

मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बगाल, विहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उडीसा राज्यो के सम्बन्ध में प्रावधान

३ भाग २ की प्रयुक्ति —इस भाग के प्रावधान मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बगाल, विहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उडीसा के राज्यो को लागू होगे

४ वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् —(१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बगाल, विहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उडीसा में दस से अन्यून और पच्चीस से अनधिक सदस्यो की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् स्थापित की जाएगी जिनमें से यथाशक्य तीन-चौथाई के समीप सदस्य उनमें से होगे जो उस राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित वन जातियो के निर्वाचित सदस्य है

(२) राज्य में, यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र हो तो, उनके प्रशासन से, और राज्य में अनुसूचित वन-जातियो के कल्याण से, सम्बद्ध समस्त विषयो पर उस राज्य के शासन को सामान्यत मत्रणा देना वन-जाति मत्रणा परिषद् का कर्तव्य होगा.

(३) शासक—

(क) परिषद् के सदस्यो की सख्या और उनकी नियुक्ति की रीति का तथा परिषद् के सभापति और उसमें अधिकारियो और सेवको की नियुक्ति का ,

(ख) उसके अधिवेशन सचालन और सामान्यत . कार्य-प्रणाली का,

(ग) राज्य में अधिकारियो और स्थानीय निकायो के साथ उसके सम्बन्ध का, और

(घ) अन्य दूसरे आनुषगिक विषयो का,

विनिधान अथवा आनियम करने के लिये, जैसी कि स्थिति हो, नियम बना सकेगा.

५. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य विधि.—(१) यदि राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् इस प्रकार मन्त्रणा दे, तो शासक लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ससद् का अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा अथवा उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादो और संपरिवर्तनो के साथ लागू होगा जैसे वह उक्त परिषद् के अनुमोदन से उस अधिसूचना में उल्लिखित करे:

पर यदि ऐसा अधिनियम निम्नलिखित विषयो में से किसी से भी सम्बद्ध हो, अर्थात्—

(क) विवाह ;

(ख) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ,

(ग) वन-जातियो का सामाजिक आचार ;

(घ) भारतीय वन-अधिनियम, १९२७, के अधीन अथवा विचाराधीन क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के अधीन जो भूमिया आरक्षितवन हैं उनको छोड कर अन्य भूमि, जिसमें कृषको के अधिकार, भूमि-आवटन और किसी प्रयोजन के हेतु भूमि-आरक्षण का भी समावेश है ,

(ङ) ग्राम प्रशासन से सम्बद्ध कोई विषय, और जिसमें ग्राम पचायतो की स्थापना का भी समावेश है,

तो शासक ऐसे निदेश तभी निकालेगा जब वन-जाति-मन्त्रणा परिषद ऐसी मन्त्रणा दे

(२) उस राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शासक उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में आनियम बना सकेगा जिसके लिये ऐसे क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी विधि में प्रावधान न किया गया हो.

(३) ऐसे अपराधो को छोडकर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी, अथवा पांच वर्ष या उससे अधिक का दण्ड दिया जाता है, अथवा ऐसे विवादो को छोडकर, जो ऐसे आनियमो में परिभाषित विधियो से पैदा होते हैं, अन्य अपराधो और विवादो से सम्बद्ध मुकद्दमो के वैधिक विचार के बारे में राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक आनियम भी बना सकेगा, और ऐसे आनियमो से मुखियो या पंचायतो को ऐसे मुकद्दमो के वैधिक विचार की शक्ति भी दे सकेगा.

(४) इस कडिका के अधीन बनाये हुए किन्ही भी आनियमो के शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मण्डल के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस संविधान द्वारा उस विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियो के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है.

६. वनजातियो से भिन्न व्यक्तियो को भूमियो का अन्यक्रामण और आवंटन.—(१) अनुसूचित वन-जातियो के किसी व्यक्ति को अनुसूचित क्षेत्र में किसी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना वैध न होगा जो अनुसूचित वन-जातियो में से नहीं है.

(२) अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत किसी भूमि को, जो उस राज्य में निहित है जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा-परिषद् के साथ परामर्श करके शासन द्वारा बनाये गये तद्विषयक नियमो का अनुसरण किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति को न तो आवटित किया जायेगा और न बन्दोबस्त पर दिया जायेगा जो अनुसूचित वनजातियो में से नही है

७ अनुसूचित क्षेत्रो में साहूकारी का आनियमन —शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा, और राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् के इस प्रकार मन्त्रणा देने पर लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश देगा, कि उस राज्य के शासन द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत पदधारी द्वारा दिये गये अनुज्ञापत्र के प्रतिबन्धो के अधीन अथवा उसके अनुसार ही और अन्यथा नही, कोई व्यक्ति साहूकारी के व्यवसाय को किसी अनुसूचित क्षेत्र में करेगा और ऐसे प्रत्येक निदेश में यह प्रावधान होगा कि उसका भग करना अपराध होगा और उसमें इसके लिये दिये जाने वाले दड का उल्लेख होगा.

८ अनुसूचित क्षेत्रो से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय का वार्षिक आर्थिक विवरण में अलग दिखाया जाना —राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय जो राज्य के आगमो में समाकलित की जाने वाली है या जिसकी उससे पूर्ति होनी है, उन्हे इस सविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाया जायेगा.

९ अनुसूचित क्षेत्रो को छोडकर अन्य क्षेत्रो पर भाग २ लागू करना —(१) शासक किसी भी समय लोक अधिसूचना द्वारा निदेश कर सकेगा कि इस भाग के समस्त अथवा कोई प्रावधान अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को छोडकर किसी अनुसूचित वन-जाति के व्यक्तियो से बसे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगे जैसे वे उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को लागू होते है, और ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि ये प्रावधान ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यथा नियम लगाये गए है

(२) शासक इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस भाग के समस्त अथवा कोई प्रावधान उस अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से उस राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू होने बन्द हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध में इस कंडिका की उपकडिका (१) के अधीन कोई अधिसूचना निकाली गई थी

भाग ३

संयुक्त प्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान

१० भाग ३ का लागू होना —इस भाग के प्रावधान केवल सयुक्त प्रान्त-राज्य को लागू होगे

११ अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति —(१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र शासक आदेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित वन-जातियो में से होगे ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तिया और कार्यप्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी और ऐसे आनुषगिक और सहायक प्रावधान अन्तर्घृत हो सकेगे जैसे शासक आवश्यक अथवा वाछनीय समझे

(२) राज्य में अनुसूचित क्षेत्रो के विकास से सम्बद्ध समस्त विषयो पर उस राज्य के शासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य होगा.

१२. कुछ अवस्थाओं में शासक की आनियम बनाने की शक्ति.—(१) ऐसे अपराधो को छोडकर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी, अथवा पाच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दड दिया जाता है, अन्य अपराधो से सम्वद्ध मुकद्दमो के वैधिक विचार के लिये या अल्प आर्थिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावो या मुकद्दमो के वधिक विचार के लिये, जो ऐसे आनियमो में उल्लिखित हो, राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक आनियम बना सकेगा, और ऐसे आनियमो द्वारा ऐसे मुकद्दमो अथवा दावो के वैधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में मुखियो अथवा पचायतो को भी दे सकेगा

(२) इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का, किसी अनुसूचित वन-जातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित वन-जातियो में से नहीं है, हस्तातरण रोकने के लिए शासक आनियम बना सकेगा.

(३) इस कडिका के अधीन बनाये हुए किन्ही भी आनियमो का, शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर, वही वल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मडल के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस सविधान द्वारा उस विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियो के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है.

१३. अनुसूचित क्षेत्रो से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय का वार्षिक आर्थिक विवरण में अलग दिखाया जाना.—इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय जो राज्य के आगमो में समाकलित की जाने वाली है अथवा जिसकी उससे पूर्ति होनी है, उन्हे इस सविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाया जाएगा

भाग ४

पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान

१४. भाग ४ का लागू होना.—इस भाग के प्रावधान केवल पूर्वी पंजाब राज्य को लागू होगे.

१५. अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति की नियुक्ति.—(१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र शासक आदेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रो के निवासी होगे. ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियाँ और कार्य-प्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी और ऐसे आनुषगिक और सहायक प्रावधान अन्तर्भूत हो सकेगे जैसे शासक आवश्यक अथवा वाछनीय समझे.

(२) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त विषयो पर राज्य के शासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य होगा.

१६. संसद् के अथवा उस राज्य के विधान-मडल के अधिनियमो की अनुसूचित क्षेत्रो पर प्रयुक्ति.—शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ससद् का अथवा उस राज्य के विधान-मडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादो और सपरिवर्तनो के साथ लागू होगा जैसा वह उस अधिसूचना में उल्लिखित करे.

१७. शासक की आनियम बनाने की शक्ति —(१) ऐसे अपराधो को छोडकर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी अथवा पाच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दड दिया जाता है, अन्य अपराधो से सम्बद्ध मुकद्दमो के वैधिक विचार के लिये, अथवा अल्प आर्थिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावो या मुकद्दमो के वैधिक विचार के लिये, जो ऐसे आनियमो में उल्लिखित हो, राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए शासक आनियम बना सकेगा, और ऐसे आनियमो द्वारा ऐसे मुकद्दमो अथवा दावो के वैधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में मुखियो अथवा पचायतो को भी दे सकेगा.

(२) उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का, किसी अनुसूचित वनजातियो के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित वनजातियो में से नहीं है, हस्तातरण रोकने के लिए शासक आनियम बना सकेगा

(३) इस कडिका के अधीन बनाये हुए किन्हीं भी आनियमो का, शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मडल के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस सविधान द्वारा उस विधानमण्डल को प्रदत्त शक्तियो के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है

भाग ५

अनुसूचित क्षेत्र

१८. अनुसूचित क्षेत्र —(१) निम्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित क्षेत्र इस सविधान के अर्थान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र होगे और उक्त सारणी में किसी विभाग, जिला (मडल), प्रशासी क्षेत्र, तहसील अथवा भूसम्पत्ति (एस्टेट) के विषय में किसी निर्देश का अर्थ यह होगा कि मानो वे इस सविधान के प्रारम्भ की तिथि पर वर्तमान विभाग (डिवीजन), जिला (मण्डल), क्षेत्र, तहसील अथवा भूसम्पत्ति के प्रति निर्देश है.

(२) प्रधान किसी भी समय आदेश द्वारा—

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई पूरा अनुसूचित क्षेत्र अथवा उसका कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा,

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, परिवर्तन कर सकेगा परन्तु, केवल सीमाओ के सशोधन के रूप मे ही ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की सीमाओ में परिवर्तन होने पर, अथवा सघ में प्रविष्ट किये गये अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी नए राज्य के उस अनुसूची के भाग १ में अन्तरावेशन होने पर, किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अथवा अनुसूचित क्षेत्र का भाग घोषित कर सकेगा जो इससे पूर्व इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य में समाविष्ट नही था,

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषगिक तथा तदनुवर्ती प्रावधान हो सकेगे जो प्रधान को आवश्यक और ठीक दीखें.

सारणी

१.—मद्रास

लकाद्वीप (जिसमें मिनीकाय का समावेश है) और अमीनदीवी द्वीप

पूर्वी गोदावरी एजेन्सी और विजगापट्टम एजेन्सी का उतना भाग जो भारत-शासन (उडीसा सघट) आदेश, १९३६, के प्रावधानो के अधीन उड़ीसा को हस्तान्तरित नही हुआ है.

२.—बम्बई

पश्चिमी खानदेश जिले में.—नवपुर पेठ, अक्रानी महाल और निम्नलिखित मेहवासी सरदारो के गांव : (१) काठी के पर्वी, (२) नल के पर्वी, (३) सिंहपुर के पर्वी, (४) गौहाली के वलवी, (५) चिखली के वसावा, और (६) नवलपुर के पर्वी.

पूर्वी खानदेश के जिले में.—सतपुडा पहाड के आरक्षित वन-क्षेत्र.

नासिक जिले में.—कल्वान तालुक और पेंट पेठ.

थाना जिले में.—दहानु और शाहपुर तालुके तथा मोखाडा और अम्बरगांव के पेठ.

३.—संयुक्त प्रान्त

देहरादून जिले का जौनसार-बावर परगना. मिर्जापुर जिले का भाग जो कैमूर पहाड़ी के दक्षिण में है.

४.—पूर्वी पजाब

काँगडा जिले में स्पीति और लाहौल.

५.—बिहार

राची और सिहभूम के जिले और छोटा नागपुर विभाग (डिवीजन) के पालामऊ जिले का लटेहार उपविभाग (सब डिवीजन).

गोड्डा और देवगढ उपविभागों (सब डिवीजन) को छोडकर सन्थाल परगनो का जिला.

६. मध्यप्रान्त और बरार

चादा जिले की, सिरोचा तहसील की अहेरी जमीदारी और गढचिरोली तहसील में धनोरा, दूधमाला, गेवर्धा, झरापापडा खुटगाव, कोटगाल, मुरमगाव, पलसगढ, रगी, सिर्सुन्डी सोन्सारी, चन्दाला, गिलगाव, पाइ-मुराण्डा और पोटेगांव जमींदारिया

छिंदवाडा जिले में हर्रई, गोरक घाट, गोडपानी, बटकागढ, बर्दागढ पर्ताबगढ (पगारा), अल्मोद और सोनपुर की जागीरे और पचमड़ी जागीर का भाग जो छिन्दवाडा जिले में है.

मडला जिला.

बिलासपुर जिले में पेन्ड्रा, केन्डा, मातिन, लाफा, उपरोडा, छुरी और कोर्वा जमींदारिया.

द्रुग जिले में औंधी, कोराचा, पानाबारस और आमागढ चौकी जमींदारिया.

बालाघाट जिले में बैहर तहसील.

अमरावती जिले में मेलघाट तालुक.

बैतूल जिले में भैंसदेही तहसील.

७.—उडीसा

गजाम माल-अचल एव कच्चमाल.

कोरापुट जिला.

छठी अनुसूची

[अनुच्छेद १८९ (ख) और १९० (२)]

आसाम के वन-जाति-क्षेत्रो के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान

१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी प्रदेश —(१) इस अनुसूची की कडिका १९ से सलग्न सारणी के भाग १ के प्रत्येक पद का वन-जाति-क्षेत्र जो प्रस्तुत समय में उस भाग में समाविष्ट हो स्वायत्तशासी जिला होगा

(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित वन-जातिया हो तो शासक, लोक-अधिसूचना द्वारा उनसे बसे हुए क्षेत्र अथवा क्षेत्रो को स्वायत्तशासी प्रदेशो में बाट सकेगा

(३) शासक लोक-अधिसूचना द्वारा—

(क) उक्त सारणी के भाग १ में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा,

(ख) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा,

(ग) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढा सकेगा,

(घ) उक्त सारणी के भाग १ से किसी क्षेत्र को निकाल सकेगा,

(ङ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा

पर इस अनुसूची की कडिका १४ की उपकडिका (१) के अनुसार नियुक्त आयोग (कमीशन) की रिपोर्ट पर विचार किये बिना इस उपकण्डिका के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन शासक कोई आदेश न देगा

पर यह और भी कि इस उपकडिका के खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ङ) के अधीन शासक कोई आदेश तब तक न देगा जब तक कि सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् द्वारा तदर्थ सकल्प पारित न किया जाए.

२. जिला परिषदो और प्रादेशिक परिषदो का सघटन.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये बीस से अन्यून और चालीस से अनधिक सदस्यो की जिला परिषद् होगी जिनमें से तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य प्रौढ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे.

(२) प्रत्येक जिला-परिषद् के निर्वाचनो के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो को इस प्रकार परिसीमित किया जाएगा कि उस जिले के भिन्न भिन्न अनुसूचित वन-जातियो से बसे हुए क्षेत्र और अन्य व्यक्तियो से बसे हुए क्षेत्र, यदि कोई हो, यथासम्भव अलग अलग निर्वाचन-क्षेत्र होंगे

पर कोई ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाएगा जिसकी समस्त जनसख्या पाच सौ से न्यून हो.

(३) इस अनुसूची की कण्डिका १ की उपकण्डिका (२) के अधीन स्वायत्त-शासी प्रदेश सघटित हुये प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग प्रादेशिक परिषद् होगी.

(४) प्रत्येक जिला परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमश. "(जिले का नाम)—की जिला परिषद्" और "(प्रदेश का नाम)—की प्रादेशिक परिषद्" के नाम से एक निगम होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक साधारण मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से दावा करेगी और उस पर उक्त नाम से दावा किया जाएगा.

(५) इस अनुसूची के प्रावधानो के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन, जहां तक वह इस अनुसूची के अधीन ऐसे जिले की किसी प्रादेशिक परिषद् में निहित न हो, वहा तक ऐसे जिले की जिला परिषद् में निहित होगा और स्वायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा.

(६) ऐसे स्वायत्तशासी जिले में, जिसमें प्रादेशिक परिषदें हैं, प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्रो के सम्बन्ध में जिला परिषद् की केवल ऐसी शक्तिया और होगी जो उसे इस अनुसूची से ऐसे क्षेत्रो के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियो के अतिरिक्त प्रादेशिक परिषद् द्वारा प्रदान की जायें.

(७) शासक सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलो अथवा प्रदेशो के अन्तर्गत विद्यमान वन-जाति परिषदो अथवा अन्य प्रतिनिधायी वन-जाति-संघटनो से परामर्श करके जिला परिषदो और प्रादेशिक परिषदो के प्रथम संघटन के लिये नियम बनाएगा और ऐसे नियमो में निम्नलिखित बातो के लिये प्रावधान होगा—

(क) जिला परिषदो और प्रादेशिक परिषदों की रचना और उसके आसनो (सीटो) का विभाजन ;

(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो का परिसीमन उन परिषदो के लिये निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ;

(ग) ऐसे निर्वाचनो में मतदान की योग्यताए और निर्वाचक-नामावलियो का बनाना ;

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदो के सदस्य चुने जाने की योग्यताएँ ;

(ङ) ऐसी परिषदो के निर्वाचन अथवा मनोनयन के बारे में अथवा उससे सम्बद्ध कोई अन्य विषय ;

(च) जिला और प्रादेशिक परिषदो में कार्य-प्रणाली और कार्य-सचालन ;

(छ) जिला और प्रादेशिक परिषदो के अधिकारियो और कर्मचारि-वर्ग की नियुक्ति.

(८) अपने प्रथम संघटन के पश्चात् जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् इस कडिका की उपकडिका (७) में उल्लिखित विषयो के बारे में नियम बना सकेगी और—

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदो अथवा गणो के निर्माण और उनकी कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन ; और

(ख) जिले अथवा प्रदेश, जैसी कि स्थिति हो, के प्रशासन से सम्बद्ध कार्य-सम्पादन के सामान्यत : समस्त विषयो ,

को आनियमित करने वाले नियम भी बना सकेगी :

पर जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् इस उपकडिका के अधीन नियम न बनाए तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद् के निर्वाचनो, अधिकारियो और कर्मचारि-वर्ग, तथा कार्य-प्रणाली और कार्य-सचालन के सम्बन्ध में इस कडिका की उपकडिका (७) के अनुसार शासक के बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे :

पर यह और भी कि इस अनुसूची की कडिका १९ से संलग्न सारणी के भाग १ के क्रमश. पद ५ और ६ में समाविष्ट क्षेत्रो के सम्बन्ध में मिकिर और उत्तर कछार पहाडियो का डिप्टी कमिश्नर या सब डिवीजनल आफिसर (उप-विभागीय अधि-कारी), जैसी कि स्थिति हो, जिला परिषद् का पदकारणात् सभापति होगा और जिला परिषद् के प्रथम सघटन के पश्चात् छ. वर्ष की अवधि तक, शासक के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, शक्ति होगी कि वह जिला परिषद् के किसी सकल्प या निर्णय को अभिशून्य अथवा सपरिवर्तन करे या जिला परिषद् को ऐसे निदेश देवे, जैसे वह उचित समझे, और जिला परिषद् ऐसे प्रत्येक दिये हुए निदेश का पालन करेगी.

३. जिला परिषदो और प्रादेशिक परिषदो की विधि बनाने की शक्ति —— (१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रो के सम्बन्ध में, और स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद् को, उस जिले के प्रादेशिक परिषदो, यदि कोई हो, के प्राधिकाराधीन क्षेत्रो को छोड कर, उस जिले के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रो के सम्बन्ध में, निम्नलिखित विषयो के बारे में विधिया बनाने की शक्ति होगी——

(क) किसी आरक्षित वन-भूमि को छोडकर अन्य भूमि का कृषि या चराई के प्रयोजन के लिये, अथवा रहने या अन्य कृपिभिन्न प्रयोजनो के लिये अथवा किसी ऐसे दूसरे प्रयोजन के लिये जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियो के हितो की वृद्धि सम्भावनीय हो, विभाजन, दखल या उपयोग अथवा अलग रखना :

पर ऐसी विधियो की किसी बात से आसाम-राज्य को, अवापन का प्राधिकार देने वाली, उस समय प्रवर्तमान विधि के अनुसार, किसी भूमि के, चाहे वह दखल या विना दखल की हुई हो, लोक प्रयोजनार्थ अनिवार्य अवापन में रुकावट न होगी ,

(ख) आरक्षित वन को छोड कर किसी अन्य वन का प्रबन्ध ,

(ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी कुल्या (नहर) अथवा जल-धारा का उपयोग ,

(घ) झूम की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारो के स्थानान्तरणशील कृषि का आनियमन ,

(ङ) ग्राम अथवा नगर समितियो अथवा परिषदो का स्थापन और उनकी शक्तियाँ ;

(च) ग्राम अथवा नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिसमें ग्राम अथवा नगर पुलिस और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता भी सम्मिलित है ;

(छ) प्रमुखो अथवा मुखियो की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार ;

(ज) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ;

(झ) विवाह ;

(ञ) सामाजिक रूढिया.

(२) इस कण्डिका में "आरक्षित वन" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो आसाम वन आनियम, १८९१ के अधीन, अथवा प्रश्नास्पद क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी दूसरी विधि के अधीन आरक्षित वन हो

४ स्वायत्तशासी जिलो और स्वायत्त शासी प्रदेशो में न्याय-प्रशासन——(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रो के सबध में और स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्, प्रादेशिक परिषदो, यदि कोई हो, के प्राधिकाराधीन क्षेत्रो को छोडकर, उस जिले के अतर्गत अन्य क्षेत्रो के सबध में, जिन दावो और मुकद्दमो के वैधिक विचार के लिये इस अनुसूची की कडिका ५ की उपकडिका (१) के प्रावधान लागू होते हो अथवा जो इस अनुसूची की कडिका ३ के अधीन बनाई हुई किसी विधि से उद्भूत हो उनको छोडकर, अन्य दावो और मुकद्दमो के वैधिक विचार के लिये, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके, गाम-परिषद् अथवा न्यायालय सघटित कर सकेगी, और उचित व्यक्तियो को ऐसी गाम-परिषदो के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयो के अध्यासी पदधारी नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची की कडिका ३ के अधीन बनाई हुई विधियो के प्रशासन के हेतु आवश्यक हो

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् अथवा उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद् न हो तो, ऐसे जिले की जिला-परिषद्, अथवा उस जिला-परिषद् द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के प्रावधान जिन दावो और मुकद्दमो को लागू होते हो उनको छोडकर ऐसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के, जैसी कि स्थिति हो, अन्तर्गत ऐसे समस्त दावो और मुकद्दमों में पुर्नविचार न्यायालय की शक्तियां प्रयोग में लाएगा जिनमें समस्त पक्ष उस प्रदेश या क्षेत्र, जैसी कि स्थिति हो, के अन्तर्गत अनुसूचित वनजातियो के सदस्य हो, और उस राज्य में किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे दावो अथवा मुकद्दमो में अपील का क्षेत्राधिकार न होगा और ऐसी प्रादेशिक अथवा जिला-परिषद् अथवा न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा.

५. व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८, तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, के अधीन कुछ दावो और अपराधो के वैधिक विचार के लिए प्रादेशिक और जिला-परिषदो और अन्य न्यायालयो और पदधारियो को शक्तियो का प्रदान — (१) शासक, किसी स्वायत्तशासी जिले या प्रदेश मे प्रवृत्त किसी ऐसी विधि से, जिसका उल्लेख शासक ने एतदर्थ किया है, पैदा हुए दावो या मुकद्दमो के वैधिक विचार के लिए, या भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) अथवा ऐसे प्रदेश या जिले में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या पांच वर्ष से अन्यून काल के लिये कारावास से दंडनीय अपराधो के वैधिक विचार के लिए, ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् को या ऐसी जिला परिषद् द्वारा स्थापित न्यायालयो को या शासक द्वारा एतदर्थ नियुक्त पदधारी को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८, के या, जैसी कि स्थिति हो, दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जैसी कि वह समुपयुक्त समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्, न्यायालय, या पदधारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग में दावो, मुकद्दमो या अपराधो का वैधिक विचार करेगा.

(२) शासक, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन किसी जिला परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या पदधारी को प्रदत्त शक्तियो में से किसी को वापिस ले सकेगा या संपरिवर्तन कर सकेगा.

(३) इस कंडिका में स्पष्टतया प्रावहित दशा के अतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया संहिता, १९०८, और दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, किसी स्वायत्तशासी जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में किन्ही दावो, मुकद्दमो, या अपराधो के वैधिक विचार पर लागू न होंगे.

६. प्राथमिक विद्यालयो आदि को स्थापित करने की जिला परिषद की शक्ति.—स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्, जिले में प्राथमिक विद्यालयो, औषधालयो, बाजारो, कांजीहौस, नौघाट, मत्स्यपालन, सडकें और जलमार्गों की स्थापना निर्माण और प्रबंधन कर सकेगी तथा विशेषतया प्राथमिक विद्यालयो में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा और रीति से दी जाय इसका विनिधान कर सकेगी.

७. जिला तथा प्रदेश की प्रणीवि (फंड).—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला प्रणीवि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक प्रणीवि संस्थापित की जायगी जिसमें क्रमश उस जिले की जिला-परिषद् को और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को इस संविधान के प्रावधानो के अनुसार उस जिले अथवा प्रदेश के, जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन करने में प्राप्त सब मुद्राओ को समाकलित किया जायेगा.

(२) जिला प्रणीवि (फड) या, जैसी कि स्थिति हो, प्रादेशिक प्रणीवि के प्रबन्धन के लिये जिला परिषद् तथा प्रादेशिक परिषद् शासक के अनुमोदन से नियम बना सकेगी, और इस प्रकार से बने हुये नियमो में, उक्त प्रणीवि में मुद्राओ के देने के, उसमें से मुद्राओ को निकालने के, उसमें मुद्राओ के अभिरक्षण (कस्टडी) के, तथा इन विषयो से सम्बद्ध या इनके सहायक किसी विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय कार्य-प्रणाली का विनिधान रह सकेगा

८. भूम्यागम (मालगुजारी) निर्धारण तथा सग्रह करने और कर लगाने की शक्ति — (१) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तर्गत सब भूमियो के सम्बन्ध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को तथा यदि जिलो में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रो में स्थित भूमियो को छोड कर जिलान्तर्गत अन्य सब भूमियो के सम्बन्ध में स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसी भूमियो के सम्बन्ध में, भूमि-आगम (मालगुजारी) को उन सिद्धान्तो के अनुसार निर्धारण और सग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यत आसाम राज्य में मालगुजारी के प्रयोजनार्थ भूमि के कर-निर्धारण के लिये आसाम-शासन द्वारा उस समय अनुसरण किये जा रहे हैं.

(२) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तर्गत क्षेत्रो के सम्बन्ध में प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रो को छोड कर जिलान्तर्गत अन्य सब क्षेत्रो के सम्बन्ध में जिले की जिला-परिषद् को भूमि तथा इमारतो पर करो को, और ऐसे क्षेत्रो में वास करने वाले व्यक्तियो पर जन-कर (टोल) को लगाने और सग्रह करने की शक्ति होगी.

(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसे जिले में निम्न करो में से सब या किसी को लगाने तथा सग्रह करने की शक्ति होगी, अर्थात्—

(क) व्यवसायो, व्यापारो, वृत्तियो, तथा सेवायुक्तियो पर कर,

(ख) पशुओ, वाहनो और नावो पर कर,

(ग) किसी बाजार में वहा बिकने के लिये वस्तुओ के प्रवेश पर कर तथा नावो में जाने वाले माल तथा व्यक्तियो पर मार्ग-कर (टोल),

(घ) पाठशालाओ, औषधालयो या मार्गों के सधारण के लिये कर

(४) इस कडिका की उपकडिका (२) और (३) में उल्लिखित करो के लगाने तथा सग्रह करने के लिये प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद्, जैसी कि स्थिति हो, आनियम बना सकेगी.

९. खनिज पदार्थों की खोज या निकालने के लिये अनुज्ञापत्र अथवा पट्टे.— (१) स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र में खनिज पदार्थों के खोजने या उसे निकालने के प्रयोजनार्थ आसाम-शासन कोई अनुज्ञापत्र या पट्टा, उस जिले की जिला-परिषद् से परामर्श किये बिना न देगा.

(२) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम-शासन द्वारा खनिज पदार्थ खोजने या निकालने के लिये दिये गये अनुज्ञापत्र या पट्टो से प्रति वर्ष मिलने वाले अधिकार-शुल्क का ऐसा अश जिला परिषद् को दे दिया जायेगा जैसा कि आसाम-शासन और जिला-परिषद् में सविदा द्वारा ठहर जाये.

(३) यदि जिला-परिषद् को दिये जाने वाले अधिकार-शुल्क के अश के बारे में कोई विवाद खडा हो तो वह शासक को निर्णय के लिये सौंपा जायेगा और स्वविवेक से शासक द्वारा निश्चित राशि इस कडिका की उपकडिका (२) के अधीन जिला परिषद् को देय राशि समझी जायेगी और शासक का निर्णय अन्तिम होगा

१०. वनजातियो से भिन्न लोगो की साहूकारी और वाणिज्य के आयत्रण के लिये जिला-परिषद् की आनियम बनाने की शक्ति.—(१) स्वायत्त शासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले में ऐसे लोगो की, जो उसमें निवास करने वाली वनजातियो से भिन्न हैं, साहूकारी और वाणिज्य के आनियमन और नियत्रण के लिये आनियम बना सकेगी.

(२) ऐसे आनियम—

(क) विनिधान कर सकेंगे कि तद्विषयक दिये गये अनुज्ञापत्र रखने वाले के अतिरिक्त और कोई साहूकारी का व्यापार न करेगा ;

(ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या ली जाने वाली अधिक से अधिक व्याज की दर नियत करने के लिय विनिधान कर सकेंगे,

(ग) साहूकारो द्वारा लेखा सधारण का तथा जिला परिषदो द्वारा एतदर्थ नियुक्त पदधारियो से ऐसे लेखे के निरीक्षण का, प्रावधान कर सकेंगे ;

(घ) विनिधान कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में रहनेवाली अनुसूचित वनजातियो में से नहीं है, जिला-परिषद् द्वारा तदर्थ दिये गये अनुज्ञापत्र के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर-व्यापार न करेगा :

पर इस कडिका के अधीन ऐसे आनियम तब तक न बन सकेंगे जब तक वे जिला-परिषद् की समस्त सदस्य सख्या के तीन-चौथाई से अन्यून बहुमत से पारण न किये जायें :

पर और भी यह कि ऐसे किन्ही आनियमो के अधीन यह सामर्थ्य न होगा कि जो साहूकार अथवा व्यापारी ऐसे आनियमो के बनने के समय से पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा हैं, उसको अनुज्ञापत्र देना अस्वीकृत कर दिया जाय.

११. इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियो, नियमो और आनियमो का प्रकाशन.—इस अनुसूची के अधीन जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई हुई सब विधिया, नियम, और आनियम राज्य के राजकीय सूचनापत्र (आफिशियल गजट) में तुरन्त ही प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधि-सम प्रभावी होंगे.

१२. स्वायत्तशासी जिलोऔर स्वायत्तशासी प्रदेशो पर ससद् और राज्य के विधान मडल के अधिनियमो का लागू होना —इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) राज्य-विधानमडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयो से सम्बद्ध है जिनको इस अनुसूची की कडिका ३ में ऐसे विषय का होना उल्लिखित किया गया है जिन पर जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधि बना सकेगी, और राज्य-विधानमडल का कोई अधिनियम, जो अनासुत सौषविक पेय (नानडिस्टिल्ड अल्कोहोलिक लिकर) के पीने का प्रतिपेध अथवा सकोचन करता है, किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक कि प्रत्येक दोनो स्थिति में जिला-परिषद् या ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद् लोक-अधिसूचना द्वारा इसके लिए निदेश न दे, और जिला-परिषद किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादो या संपरिवर्तनो के साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित समझे ;

(ख) शासक, लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि जिस संसद्-अधिनियम अथवा राज्य के विधानमडल के अधिनियम को इस कडिका के खड (क) के प्रावधान लागू न होते हो, वह किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लागू न होगे, अथवा ऐसे जिले अथवा प्रदेश अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादो अथवा सपरिवर्तनो के साथ लागू होगे जैसे शासक ऐसे जिले की जिला-परिषद् अथवा ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् के अनुमोदन से उस अधिसूचना में उल्लिखित करे, यदि ऐसे निदेश के निकालने का अभिस्ताव करने वाला सकल्प स्थित्यनुसार ऐसी जिला-परिषद् अथवा ऐसी प्रादेशिक परिषद् द्वारा पारित किया गया हो

१३. स्वायत्तशासी जिलो से सम्बद्ध प्रागणित आय और व्यय वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाए जायें —किसी स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध प्रागणित आय और व्यय, जो आसाम राज्य के आगमो में समाकलित किये जाने वाले है या उसमें से जिनकी पूर्ति होनी है, इस सविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन राज्य-विधान-मडल के सामने रखे जाने वाले राज्य के वार्षिक आर्थिक विवरण के पृथक् दिखाये जायेंगे

१४. स्वायत्त जिलो के प्रशासन की परिपृच्छा करने को और उसके विषय में प्रत्यावेदन करने को आयोग (कमीशन) की नियुक्ति —(१) आसाम का शासक राज्य में स्वायत्तशासी जिलो के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय की, जिसका उसने उल्लेख कर दिया है, परीक्षा करने के लिये और उस पर अपना प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) करने के लिये किसी समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में स्थित स्वायत्तशासी जिलो के प्रशासन के सम्बन्ध में और विशेषतया—

(क) ऐसे जिलो में शैक्षिक और चिकित्सा की सुविधाओ तथा सचार के प्रावधान,

(ख) ऐसे जिलो के बारे में किसी नये अथवा विशेष विधान की आवश्यकता,

(ग) जिला और प्रादेशिक परिषदो द्वारा बनाई गई विधियो, आनियमो और नियमो के प्रशासन,

के सम्बन्ध में समय समय पर परिपृच्छा और प्रत्यावेदन करने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा, और आयोग द्वारा अनुसरणीय कार्यप्रणाली का परिभाषण कर सकेगा

(२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रत्यावेदन को तत्सम्बद्ध शासक के अभिस्तावो के साथ सम्बन्धी मत्री, आसाम-शासन द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्याख्यात्मक स्मारपत्र के साथ, राज्य के विधान-मडल के सामने रखेगा

(३) राज्य-शासन के कार्य को अपने मन्त्रियो में विभाजन करते हुए आसाम का शासक अपने मन्त्रियो में से किसी एक को विशेषतया राज्य के स्वायत्तशासी जिलो के कल्याण का प्रभार दे सकेगा.

१५. जिला या प्रादेशिक परिषदो के कार्यों और सकल्पो का अभिशून्यन अथवा निलम्बन —(१) यदि किसी समय शासक को यह सतोष हो जाये कि प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् के किसी काम या सकल्प से भारत के क्षेम का सकट में पडना सभाव्य है तो वह ऐसे कार्य अथवा सकल्प का अभिशून्यन या निलम्बन कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही (जिसमें परिषद् का निलबन और परिषद् में निहित या उससे प्रयोक्तव्य शक्तियो में से सब या किन्ही को अपने हाथ में लेना भी सम्मिलित होगा) कर सकेगा जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से अथवा चालू रखे जाने से या ऐसे सकल्प को प्रभाव दिये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे.

(२) इस कंडिका की उपकडिका (१) के अधीन शासक द्वारा दिये गए आदेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधानमडल के सामने यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा और यदि आदेश को विधानमंडल खडित न कर दे तो वह उस तिथि से १२ मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को वह दिया गया था :

पर यदि और जितनी वार राज्य का विधानमडल ऐसे आदेश के प्रवर्तन को चालू रखने के लिये अनुमोदन का सकल्प पारण करता है तो आदेश, जब तक शासक उसे विलोपन न कर दे, उस तिथि से १२ मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को कि इस कडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवर्तनशून्य होता.

(३) इस कडिका के अधीन अपने प्रकार्यों को शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा

१६. जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् का विलयन.—इस अनुसूची की कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग के अभिस्ताव पर शासक, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी प्रादेशिक या जिला परिषद् का विलयन कर सकेगा और—

(क) परिषद् के पुन.सघटन के लिये तुरन्त ही नया सामान्य निर्वाचन करने के लिये निदेश दे सकेगा ; या

(ख) राज्य के विधानमडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्र के प्रशासन को शासक अपने हाथ में ले सकेगा या ऐसे क्षेत्र के प्रशासन को ऐसे कमीशन के, जो उक्त कडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे वह सनुपयुक्त सनभता है, हाथ में १२ से अनधिक मास के लिये दे सकेगा :

पर जब इस कंडिका के खड (क) के अधीन कोई आदेश दे दिया गया हो तब शासक, प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नये चुनाव पर परिषद् का पुन सघटन होने तक इस कण्डिका के खड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा :

पर यह और भी कि जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा सुने जाने का अवसर जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् को, जैसी कि स्थिति हो, न दिया जाय तब तक इस कडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी

१७. कडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित क्षेत्रो पर इस अनुसूची के प्रावधानो का लागू होना —(१) आसाम का शासक —

(क) प्रधान के पूर्वानुमोदन से लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुसूची के पूर्वगामी सब अथवा किन्ही प्रावधानो को कडिका १६ से सलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को लागू कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र अथवा भाग का प्रशासन ऐसे प्रावधानों के अनुसार होगा, और

(ख) इसी प्रकार के अनुमोदन से उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग को उक्त सारणी में से अपवर्जित कर सकेगा

(२) उक्त सारणी के भाग २ मे उल्लिखित किसी वनजातिक्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कडिका की उपकडिका (१) के अधीन अधिसूचना नही निकाली जाती तब तक ऐसे क्षेत्र अथवा उसके भाग का, जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन प्रधान, आसाम के शासक द्वारा, जो उसका (अभिकर्ता) एजेन्ट होगा, करेगा और इस सविधान के भाग ८ के प्रावधान वहां इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा क्षेत्र अथवा उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग ४ मे उल्लिखित क्षेत्र है

१८. अन्तर्वर्ती प्रावधान.—इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र आसाम का शासक, राज्य के प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जो इस अनुसूची में दिये है, जिला परिषद् के सघटन के लिये कार्यवाही करेगा, और जब तक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला परिषद् सघटित न हो तब तक ऐसे स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन स्वविवेक में कार्यकरते हुये शासक में निहित होगा और ऐसे जिले में स्थित क्षेत्रो के प्रशासन के लिये इस अनुसूची में दिये गये प्रावधानो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रावधान लागू होगे, अर्थात्—

(क) ससद् अथवा उस राज्य के विधानमडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि शासक लोक अधिसूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दें, और किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश भी दे सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उसके किसी उल्लिखित भाग को ऐसे अपवादो और सपरिवर्तनो सहित लागू होगा जिनको वह उचित समझे,

(ख) ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये शासक आनियम बना सकेगा और इस प्रकार बने आनियम ऐसे क्षेत्र में उस समय लागू होने वाले संसद्, अथवा उस राज्य के विधान-मडल के किसी अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि को विखडित अथवा सशोधित कर सकेगे इस खड के अधीन बने आनियम तुरन्त ही प्रधान के सामने रखे जायेंगे और जब तक वह उनको स्वीकृति न दे दे तब तक प्रभावी न होगे;

(ग) इस कडिका के खड (क) और (ख) के अधीन अपने प्रकार्यों को शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा.

१९. वनजाति क्षेत्र—निम्न सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखित क्षेत्र आसाम-राज्य के वनजाति क्षेत्र होगे, और उक्त सारणी में किसी जिले या प्रशासित क्षेत्र के प्रति निर्देश को इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर विद्यमान जिले या क्षेत्र के प्रति निर्देश समझा जायेगा.

सारणी

भाग १

१. शिलाग नगर को छोडकर खासी और जैन्तिया पहाडियो का जिला.

२. गारो पहाडियो का जिला.

३. लुशाई पहाड़ियो का जिला.

४. नागा पहाड़ियो का जिला.

५. कछार जिले का उत्तरी कछार उपविभाग (सब-डिवीजन)

६. बरपाथर और सरूपाथर मौजो को छोडकर नौगाव और शिवसागर जिलो का मिकिर पहाड़ी वाला भाग.

भाग २

१. सदिया और बालीपारा के सीमा-प्रदेश.

२. तीरप का सीमा-प्रदेश (लखीमपुर सीमा प्रदेश को छोडकर).

३. नागा वन-जाति-प्रदेश.

सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २१७)

(सूची १ संघसूची)

१. भारत-राज्य-क्षेत्र और उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा, और सामान्यतः प्रतिरक्षा के लिये सारी तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य जो युद्धकाल में युद्ध को सफलतापूर्वक चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सेना के सफल विसर्जन में सहायक हो.

२. केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग (इन्टेलीजेन्स ब्युरो).

३. प्रतिरक्षा, बहिर्देशीय कार्य अथवा भारत के क्षेम सम्बन्धी कारणो से भारत के राज्य-क्षेत्र में निवारक अवरोध.

४. संघ के जल, थल तथा नभ बलो का सग्रहण, प्रशिक्षण, संधारण और नियत्रण तथा उनकी सेवायुक्ति; प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो में सगृहीत तथा सेवायुक्त सशस्त्र बलो की संख्या, सघटन और नियंत्रण.

५. ऐसे उद्योग जिन्हे ससद् ने विधि द्वारा, प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ अथवा युद्धचालन के लिये आवश्यक घोषित किया है.

६. जल, थल तथा नभ बल की कर्मशालाएं.

७. सेनावास (छावनी) क्षेत्रो में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रो के अन्तर्गत, सेनावास-प्राधिकारी वर्ग की रचना तथा शक्तिया, ऐसे क्षेत्रो में गृह-व्यवस्था और ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन.

८. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, स्फोटवर्ग तथा उत्स्फोट.

९. परमाण्विक ऊर्जा तथा उसके उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज साधन.

१०. विदेशी कार्य; वे सब विषय जिनके द्वारा सघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता हो.

११. अन्ताराजनैतिक, वाणिज्यदूतीय तथा व्यापारीय प्रतिनिधान.

१२. संयुक्त राष्ट्र संघटन.

१३. अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनो, पार्षदो तथा अन्य निकायो में भाग लेना और उनमें किये गये निर्णयो की अभिपूर्ति.

१४. युद्ध तथा शान्ति.

१५. विदेशो के साथ सधिया और सविदायें करना तथा उनकी अभिपूर्ति.

१६. विदेशी क्षेत्राधिकार.

१७. विदेशो के साथ व्यापार और वाणिज्य.

१८. विदेशी ऋण.

१९. जानपदत्व, जानपद बनना, तथा अन्यदेशीय लोग.

२०. उदर्पण.

२१. पारपत्र तथा दृष्टाक (पासपोर्ट तथा वीजा).

२२. सामुद्रिक डकैतिया, घोरापराध अथवा राष्ट्रो की विधि के विरुद्ध किए हुए बाह्य समुद्र तथा वायु में अपराध.

२३. भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन तथा प्रनिष्कासन.

२४. भारत के बाहर स्थानो को तीर्थयात्रा.

२५. पत्तन निरोधा, सामुद्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय और पत्तन निरोधाओ से सम्बद्ध चिकित्सालय.

२६. भारत-शासन द्वारा परिभाषित निराक्राम्यकर सीमाओं के पार आयात और निर्यात.

२७. डाक और तार.

२८ दूरभाव (टेलीफोन), वितन्तु (वायरलेस), आकाशभाषण और इसी प्रकार के अन्य सचार.

२९. डाकघर (प्रेषणालय) सचयाधिकोष.

३०. वायुमार्ग, विमान (वायुवाहन) तथा विमान परिवहण, वायुपत्तनो का प्रावधान, वायुयातायात और वायुपत्तनो का आनियमन और सघटन, वमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और राज्यो तथा अन्य अभिकर्ताओ द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का आनियमन.

३१. ससद् से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग.

३२. यन्त्र चालित जलयानो के लिए ससद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गये अन्तर्देश जल मार्गों पर नौ-परिवहण और नौतरण तथा ऐसे जल मार्गों पर मार्ग नियम ; ऐसे जल मार्गों पर यात्रियो तथा वस्तुओ का ले जाना.

३३. सामुद्रिक नौ-परिवहण तथा नौतरण जिसमें वेला जल पर नौपरिवहण तथा नौतरण सम्मिलित है ; वाणिज्य पोतिको के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये प्रावधान और राज्यो तथा अन्य अभिकर्ताओ द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का आनियमन.

३४. नावाधिकरण-क्षेत्राधिकार.

३५. वे पत्तन जिनको ससद् निर्मित विधि अथवा वर्तमान विधि के द्वारा अथवा अधीन मुख्य पत्तन घोषित किया गया है, इसमें उनका परिसीमन और पत्तन प्राधिकारियो का सघटन तथा शक्तिया भी सम्मिलित है.

३६. प्रकाशस्तम्भ जिसमें प्रकाशपोत, उज्ज्ञप्तिया तथा नौपरिवहण तथा विमानो की रक्षा के लिये अन्य प्रबन्ध भी सम्मिलित है.

३७. वायु अथवा समुद्र से यात्रियो तथा वस्तुओ का ले जाना.

३८. सघ की रेलें, क्षेम, अधिकतम और अल्पतम दर और भाडे, स्टेशन और सेवा सीमा व्यय,यातायात का निमय और रेलवे प्रशासनो का माल और यात्रियो के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व —इन के विषय में छोटी रेलो को छोडकर और सब रेलो का आनियमन, क्षेम तथा रेल्वे प्रशासनो का माल और यात्रियो के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व—इन के विषय में छोटी रेलो का आनियमन.

३९ १५ अगस्त १९४७ को इम्पीरियल लायब्रेरी, इंन्डियन म्यूजियम, दि इम्पीरियल वार म्यूजियम, दि विक्टोरिया मेमोरियल नाम से ज्ञात सस्थायें तथा भारत-शासन द्वारा पूर्णत. अथवा अशतः अर्थ सधारित तथा ससद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाली सस्था घोषित की गई कोई अन्य सस्था.

४०. १५ अगस्त १९४७ को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी तथा अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ज्ञात सस्थाएं.

४१. भारत भूमिति विभाग, भौमकीय, औद्भिदीय, तथा प्राणिकीय, भारत आपरीक्षण विभाग सघ के घनवातिकीय सघटन

४२. सघ की सम्पत्ति और उससे आगम, किन्तु किसी राज्य में स्थित सपत्ति के बारे में , जहा तक ससद् ने विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित किया है उसको छोडकर, सर्वदा उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए.

४३. संघ के प्रयोजनार्थ अवाप्त अथवा अधियाचित संपत्ति के लिये मुआविजा निश्चय करने के सिद्धान्तो के आनियमन सम्वन्धी सूची ३ के प्रावधानो के अधीन रहते हुये सघ के प्रयोजनार्थ सपत्ति का अवापन अथवा अधियाचन

४४. भारत का रिजर्व बंक (सचिति अधिकोष).

४५. सघ का लोक ऋण.

४६. चलार्थ, विदेशी विनिमय, टंकवर्ग तथा वैधमुद्रा.

४७. अधिकोषण.

४८. धनादेश, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञा अर्थपत्र और अन्य ऐसे ही विलेख.

४६. आगोप (इंश्योरेन्स).

५०. निगम, अर्थात्, वाणिज्यिक निगमो का, अधिकोषीय, आगोपीय तथा आर्थिक निगमो के सहित किन्तु सहकारी मण्डलो के असहित, तथा एक राज्य में ही सीमित न रहने वाले उद्देश्यो को रखने वाले निगमो का, चाहे वे वाणिज्यिक हो या नही, किन्तु विश्वविद्यालयो के असहित, निगगन, आनियमन तथा समापन.

५१. एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, उपज्ञाएं, प्ररचनाए, पण्यचिन्ह और वाणिज्य चिन्ह.

५२. सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तिया और लिये जाने वाले शुल्क.

५३. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, जिसका मुख्य अधिष्ठान, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को छोड कर भारत के अन्तर्गत किसी राज्य में हो, उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र तक विस्तरण तथा किसी ऐसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र से अपवर्जन.

५४. सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर सब न्यायालयो के इस सूची में के विषयो में से किसी के विषय में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ.

५५. जनगणना.

५६. संघ के प्रयोजनार्थ परिपृच्छाएँ, आपरीक्षण और समंक.

५७. निम्न प्रयोजनो के लिये संघ एजेन्सियाँ और संस्थायें अर्थात्, अन्वेषणार्थ, व्यावसायिक अथवा प्रौद्योगिक प्रशिक्षणार्थ, अथवा विशेष अध्ययनो के वर्धनार्थ.

५८. सघ लोक सेवाएँ, और सघ-लोक-सेवा-आयोग (कमीशन).

५९. सघ के सेवायुक्तो से सम्वद्ध औद्योगिक विवाद.

६०. प्राचीन तथा ऐतिहासिक आस्मारक, जिनको ससद् ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो ; पुरावशेष स्थान तथा अवशेष.

६१. भार तथा माप के प्रमापो का स्थापन

६२. अफीम जहां तक उसकी खेती तथा बनाने तथा निर्यात के लिये विक्रय का सम्बन्ध है.

६३. मिट्टी का तेल और संसद् से विधि द्वारा भयानक रूप से उज्ज्वाल्य घोषित किये गये अन्य तरलो और द्रव्यो का रखना, संग्रह करना, तथा परिवहण.

६४. जहा सघ के नियंत्रणाधीन विकास को ससद् ने विधि द्वारा लोक हित के लिए वाञ्छनीय घोषित किया हो, उन उद्योगो का विकास

६५ श्रम का आनियमन और खानो तथा तैल क्षेत्रो में क्षेम.

६६ उस विस्तार तक खानो तथा तैल क्षेत्रो और खनिज विकास का आनियमन, जहाँ तक ससद् ने विधिद्वारा सघ के नियत्रणाधीन ऐसे आनियम तथा विकास को लोक हित के लिये वाछनीय घोषित किया हो

६७. प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के किसी भाग के आरक्षी (पुलिस) वल के व्यक्तियो की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का, इस प्रकार उल्लिखित अन्य राज्य के किसी क्षेत्र तक विस्तार, किंतु इस प्रकार नही कि जिस से एक भाग का आरक्षीवर्ग (पुलिस) बाहर दूसरे स्थान में उस राज्य के शासन की सहमति के विना शक्तियो और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके किसी राज्य के बल के व्यक्तियो की शक्तियो तथा क्षेत्राधिकार का उस राज्य के वाहर रेल के क्षेत्रो तक विस्तार

६८ ससद्, तथा प्रधान और उपप्रधान के निर्वाचन, तथा इन निर्वाचनो के अधीक्षण, निदेशन, और नियत्रण करने के लिये निर्वाचन-आयोग

६९. प्रधान के परिलाभ, अधिदेय, तथा अवकाश सम्बन्धी अधिकार, सघ के मत्रियो, राज्यपरिषद् के सभापति, तथा उपसभापति, तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, तथा अधिदेय, ससद् के सदस्यो के वेतन, अधिदेय तथा विशेषाधिकार, भारत के महाकेक्षक के वेतन, अधिदेय तथा सेवा-प्रतिबध.

७० ससद् की समितियो के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए अथवा प्रलेखो को उपस्थित करने के लिए व्यक्तियो को बलपूर्वक उपस्थित कराना

७१ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रव्रजन

७२ अन्ताराज्य निरोधा.

७३ सूची २ की प्रविष्टि ३३ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए अन्ताराज्य व्यापार तथा वाणिज्य

७४ बाढ के नियंत्रण, सिचाई, नौतरण तथा जलवैद्यत शक्ति के प्रयोजनार्थ अन्ताराज्य जलमार्गों का विकास

७५ राज्यक्षेत्रीय समुद्रजल के बाहर मछली पकडना और पालना

७६ सघ अभिकर्ताओ द्वारा लवण का निर्माण तथा अन्य अभिकर्ताओ द्वारा लवण के निर्माण तथा विभाजन का आनियमन तथा नियत्रण

७७ भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सघ पर प्रभाव डालने वाली सद्यस्कृत्य स्थिति का सामना करने के लिए प्रबन्ध.

७८ भारत-शासन अथवा किसी राज्य के शासन द्वारा सघटित लाटरी.

७९ स्कध-विनिमयो तथा भाविविपाणि और वहा के सौदो पर मुद्राक करो के अतिरिक्त, अन्य कर

८०. विनिमय पत्रो, धनादेशो, प्रतिज्ञा-अर्थपत्रो, वहनपत्रो, प्रत्ययपत्रो, आगोपलेख-अशों के हस्तान्तरण, ऋणपत्रो, प्रतिपुरुषपत्रो और प्राप्तियो के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्राक कर की दर

८१ कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कर.

८२. कृष्य भूमि को छोड कर अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी भू-सम्पत्ति कर

८३ रेल अथवा विमान द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओ अथवा यात्रियो पर सीमा-कर, रेल के भाड़ो और ढुलाई भाडे पर कर.

८४. कृषि-आय को छोड कर अन्य आय पर कर.

८५. निराकाम्य कर जिसके अन्तर्गत निर्यात कर भी है.

८६. तम्बाकू तथा भारत में निर्मित तथा उत्पादित अन्य वस्तुओ पर उत्पाद-कर, पर इन में—

(क) मानव उपयोग के लिये सौषविक पेय ;

(ख) अफीम, गाजा तथा प्रमीलक भेषज और प्रमीलक, अप्रमीलक भेषज सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु इनमें भैषजिक तथा शृंगार सम्बन्धी बनी हुई वस्तुएँ, जिनमें सुषव अथवा इस प्रविष्टि की अनुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य हो, सम्मिलित हैं.

८७. निगम कर.

८८. व्यक्तियो अथवा प्रमंडलो के परिसम्पदो के, जिनमें कृष्य भूमि सम्मिलित नही है, पूंजी मूल्य पर कर ; तथा प्रमडलो की पूंजी पर कर.

८९. इस सूची के विषयो में से किसी से सम्बद्ध विधियो के विरुद्ध अपराध.

९०. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क पर, किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं.

९१. सूची २ अथवा सूची ३, इन दोनों में अनुल्लिखित कोई अन्य विषय, और कोई कर जिसका उल्लेख इन दोनों सूचियो में न किया गया हो.

सूची २.—राज्य-सूची

१. लोक व्यवस्था [पर इसमें (सिविल) असैनिक शक्ति की सहायता के लिये जल, थल अथवा नभ बलो का प्रयोग सम्मिलित नही है]; लोक व्यवस्था के संधारण से सम्बद्ध कारणो से निवारक अवरोध ; इस प्रकार अवरुद्ध व्यक्ति.

२. न्याय-प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर सब न्यायालयो का संस्थापन तथा संघटन और वहा लिये जाने वाले शुल्क.

३. इस सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर, सब न्यायालयो का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां ; लगान तथा आगम न्यायालयो में कार्यप्रणाली.

४. आरक्षि-वर्ग (पुलीस) जिसके अन्तर्गत रेलवे तथा ग्राम-आरक्षि-वर्ग भी है.

५. कारागार, चरित्रशोधनगृह, बोर्स्टल संस्थायें और इसी प्रकार की अन्य संस्थायें और उनमें अवरुद्ध व्यक्ति, कारागारो तथा अन्य संस्थाओ के प्रयोग के लिये अन्य राज्यो से प्रबन्ध.

६. राज्य का राष्ट्रकरण.

७. राज्य लोक सेवाएँ तथा राज्य लोक-सेवा-आयोग.

८. राज्य के अधिकार में अथवा उसमें निहित कर्मशालाएँ, भूमिया तथा इमारते.

९. किसी राज्य के प्रयोजनार्थ अवाप्त अथवा अधियाचित संपत्ति का मुआविजा निश्चित किया जाने के लिये सिद्धान्तो के आनियमन से सम्बद्ध तृतीय सूची के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, संघ प्रयोजनो के अतिरिक्त, भूमि की अनिवार्य अवाप्ति.

१०. पुस्तकालय, कौतुकालय और राज्य द्वारा नियन्त्रित अथवा अर्थ संधारित अन्य ऐसी ही सस्थाएँ.

११ राज्य के विधान-मडल के लिए, और राज्य के शासक का (राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ एक तालिका बनाने के लिये) निर्वाचन, और ऐसे निर्वाचनो का अधीक्षण, सचालन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-आयोग.

१२. राज्य के शासक के परिलाभ, अधिदेय, तथा अवकाश सम्बन्धी अधिकार, राज्य के मत्रियो के, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और यदि विधान-परिषद् हो तो उसके सभापति तथा उप-सभापति के वेतन तथा अधिदेय ; राज्य के विधान-मडल के सदस्यो के वेतन, अधिदेय तथा विशेषाधिकार.

१३ राज्य के विधान-मडल की समितियो के सम्मुख साक्ष्य देने अथवा प्रलेखो को उपस्थित करने के लिये व्यक्तियो की बलपूर्वक उपस्थिति कराना.

१४. स्थानीय शासन अर्थात् स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ नगर निगमो, सुधार मंडल, मडलगणो, खनि-वास-स्थान-प्राधिकारिवर्ग तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारिवर्ग का सस्थापन तथा शक्तिया.

१५ लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, चिकित्सालय तथा औषधालय; जन्म और मृत्यु का पजीयन

१६. भारत के बाहर के स्थानो को तीर्थ यात्राओ को छोड कर अन्य तीर्थ यात्राएँ -

१७. शव गाडना तथा शव गाडने के स्थान , शवदाह तथा श्मशान

१८ शिक्षा जिसमें सूची १ की प्रविष्टि ४० में उल्लिखित विश्वविद्यालयो को छोड कर अन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित है.

१९ सचार अर्थात् सडके, पुल, नौका-घाट, और सूची १ में अनुल्लिखित सचार के अन्य साधन, छोटी रेलें—ऐसी रेलो के विषय में सूची १ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए ; नगर रथ्यायान, रज्जुमार्ग, अन्तर्देश जलमार्ग, ऐसे जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ तथा सूची ३ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए उन पर यातायात , बडे पत्तनो के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, पत्तन ; यत्र से चलने वाले वाहनो को छोड कर, अन्य वाहन.

२० सूची १ की प्रविष्टि ७४ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए जल अर्थात् जल-प्रदाय, सिंचाई तथा नहरे, जल निकालने के साधन और बध, जल-सग्रह और जल-शक्ति.

२१ कृषी, जिसम कृषि शिक्षा और अन्वेषण, विनाशी कीटो से बचाव और उद्भिद् रोगों की रोकथाम, सम्मिलित हैं.

२२ पशुओ की जाति की उन्नति, पशुओ के रोगो की रोकथाम तथा पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा व्यवहार.

२३. पशववरोधस्यान (काजी हौस) और पशुओ के अनधिकार प्रवेश की रोकथाम

२४ भूमि, अर्थात् भूमि में या उसके ऊपर अधिकार, जमीदार और किसान के सम्बन्ध, तथा लगान सग्रह के सहित भूमि पट्टे; कृष्य भूमि का हस्तातरण तथा अन्यक्रामण ; भूमि सुधार तथा कृषि सम्बन्धी ऋण , उपनिवेशन.

२५. असमर्थ व्यक्ति-संपत्ति रक्षा विभाग, भारुद्ध अथवा प्रतिगृहीत (कुर्क की हुई) भूसम्पत्तिया

२६. भूनिधि.

२७. वन.

२८. संघ के नियंत्रणाधीन आनियमन और विकास से सम्बद्ध सूची १ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, खानो और तैल क्षेत्रो का आनियमन तथा खनिज विकास.

२९. मछली पकडने के स्थान.

३०. वन्य पक्षियो और वन्य प्राणियो की रक्षा.

३१. वाति तथा वाति शाला

३२. राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य, बाजार और मेले.

३३. इस सविधान के अनुच्छेद २४४ के प्रावधानो के प्रयोजनो के लिए, अन्य राज्यो के साथ व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात का आनियमन.

३४. साहूकारी और साहूकार, कृषि-ऋणिता का निवारण.

३५. धर्मशालाएँ और उनके प्रबन्धक

३६. वस्तुओ का उत्पादन, प्रदाय तथा विभाजन

३७ संघ के नियंत्रणाधीन कुछ उद्योगो के विकास के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए, उद्योगो का विकास.

३८. खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओ का व्यामिश्रण

३९. प्रमापो के स्थापन को छोड कर भार तथा माप.

४०. मादक पेय और प्रमीलक भेषज अर्थात् मादक पेयो, अफीम और अन्य प्रमीलक भेषजो का उत्पादन, निर्माण, पास रखना, परिवहण, क्रय और विक्रय—किन्तु अफीम के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानो के और विषो तथा भयानक भेषजो के सम्बन्ध में सूची ३ के प्रावधानो के अधीन रहते हुए.

४१. निर्धनो की सहायता ; वृत्तिहीनता.

४२ सूची १ में उल्लिखित निगमो, और विश्वविद्यालयो को छोड कर निगमों का समामेलन, आनियमन, तथा समापन , असमामेलित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य मण्डल तथा पार्षद ; सहकारी मण्डल.

४३. परोपकार तथा परोपकार-संस्थाएँ, परोपकारी तथा धार्मिक नीविया तथा धार्मिक सस्थाएँ.

४४. रंगमडप (थियेटर), नाटक, चल-चित्र किन्तु प्रदर्शनार्थ चल-चित्रो के लिये स्वीकृति देना इसके अन्तर्गत नही है.

४५. पण लगाना और जुआ.

४६. भू-आगम जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बाते है—

आगम का निर्धारण और सग्रहण, भूमि-उल्लेखो का रखना, आगम प्रयोजनार्थ और अधिकार उल्लेखो के लिये भूमापन, आगमो का अन्यक्रामण.

४७. मुद्राक कर की दरो के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानो में उल्लिखित प्रलेखो के अतिरिक्त अन्य प्रलेखो के विषय में मुद्राक कर की दरे.

४८. कृष्य भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कर.

४९. कृष्य भूमि के सम्बन्ध में भू-सम्पत्ति कर.

५०. अन्तर्देश जलमार्गों से ले जाये जाने वाले यात्रियो तथा वस्तुओ पर कर.

५१. कृषि आय पर कर.

५२. राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित निम्न वस्तुओ पर उत्पाद-कर और भारत के राज्यक्षेत्र में अन्यत्र निर्मित अथवा उत्पादित ऐसी ही वस्तुओ पर उसी अथवा उससे नीची दर पर (समता करने वाला) प्रतिकर—

(क) मनुष्यो के उपभोग के लिये सौषविक पेय ;

(ख) अफीम, गाजा, अन्य प्रमीलक भेषज तथा प्रमीलक, अप्रमीलक भेषज,

किन्तु इनके अन्तर्गत, सुषव अथवा इस प्रविष्टि की अनुकडिका (ख) में उल्लिखित किसी द्रव्य से बनी हुई भैषजिक अथवा शृगार की वस्तुएँ सम्मिलित नही है.

५३. भूमियो तथा इमारतो पर कर.

५४. ससद् से खनिज-विकास सम्बन्धी विधि द्वारा लगाए गये किन्ही परिसीमाओ के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकारो पर कर.

५५ प्रतिव्यक्ति-कर.

५६. व्यवसायो, व्यापारो, वृत्तियो तथा नियुक्तियो पर कर.

५७. पशुओ तथा नौकाओ पर कर.

५८. वस्तुओ के विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय, अथवा क्रय पर कर, सहित उन करो के जो इनके स्थान में राज्यान्तर्गत उन वस्तुओ के प्रयोग अथवा उपभोग पर लगते है जिन पर राज्य के अन्दर विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय अथवा क्रय पर कर लगता है, विज्ञापनो पर कर.

५९. रथ्यायानो सहित, सडको पर प्रयोग के उपयुक्त वाहनो पर कर, चाहे वे वाहन यत्रचालित हो अथवा न हो.

६० बिजली के उपयोग अथवा विक्रय पर कर

६१ किसी स्थानीय क्षेत्र के अन्दर उपभोग, प्रयोग अथवा विक्रय के लिए वस्तुओ के प्रवेश पर कर.

६२. विलास की वस्तुओ पर कर, जिसमें आमोद, विनोद, पण लगाने और जुआ खेलने पर कर, सम्मिलित है.

६३. मार्ग-कर (टोल)

६४ इस सूची के विषयो में से किसी के प्रयोजन के लिए परिपृच्छाएँ तथा समक

६५. इस सूची के विषयो में से किसी के सम्वन्ध की विधियो के विरुद्ध अपराध.

६६ इस सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क नहीं.

सूची ३.—समवर्ती सूची

१. दण्ड विधी, उन सब विषयों के सहित जो इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर भारतीय दण्ड-सहिता में समाविष्ट हैं, किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयो में से किसी से सम्बद्ध विधियो के विरुद्ध अपराधो को अपवर्जित कर के, तथा असैनिक शक्ति की सहायतार्थ जल, थल तथा नभ बलो के प्रयोग को अपवर्जित कर के.

२. दण्ड प्रक्रिया उन सब विषयों के सहित जो इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर दण्ड-प्रक्रिया-सहिता में समाविष्ट है.

३. बंदियो और अभियुक्तो का एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाना.

४. व्यवहार प्रक्रिया अवधी विधि के सहित तथा इस विधान की प्रारम्भ तिथि पर व्यवहार प्रक्रिया सहिता में समाविष्ट सब विषयो के सहित; प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुये दावों की वसूली जो करो तथा अन्य राजकीय अभियाचनाओ से सम्बन्ध रखती है और जिन अभियाचनाओ में भूमि-आगम की अवशेष राशि और भूमि-आगम के सदृश वसूल की जाने वाली राशियाँ सम्मिलित है.

५. साक्ष्य तथा शपथ, विधियों, लोक कृत्यो तथा उल्लेखो तथा न्यायिक कार्यवाहियो का अभिस्वीकरण.

६. विवाह और विवाह-विच्छेद, शिशु तथा अल्पवयस्क, गोद लेना.

७. मृत्युपत्र, अरिक्थपत्रिता उत्तराधिकार; संयुक्त कुटुम्ब और विभाजन, तथा वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियो में पक्षवाले, इस संविधान के आरम्भ होने के सद्य पूर्व अपनी वैयक्तिक विधि के अधीन थे.

८. कृष्य भूमि को छोड कर अन्य सम्पत्ति का हस्तान्तरण, सलेखो तथा प्रलेखो का पंजीयन.

९. प्रन्यास तथा प्रन्यासी.

१०. प्रसविदाएँ जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकतृत्व, वाहन-प्रसविदाएँ और अन्य विशेष प्रकार की प्रसविदाएँ है, किन्तु कृष्य भूमि सम्बन्धी प्रसंविदाए नही हैं.

११. विवाचन.

१२. नष्टनिधित्व, शोधाक्षमता.

१३. महाप्रशासक, तथा राजकीय प्रन्यासी.

१४. न्यायिक मुद्राको द्वारा सगृहीत शुल्को अथवा करो को छोड कर अन्य मुद्राक कर, पर इनके अन्तर्गत मुद्राक कर की दरे सम्मिलित नहीं हैं.

१५. सूची २ में उल्लिखित विषयो में से किसी से सम्बद्ध विधियो के जो अन्तर्गत हैं उनको छोड कर दोष जिन पर कार्यवाही की जा सके.

१६. इस सूची के विषयो में से किसी से सम्बद्ध, सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर, अन्य न्यायालयो के क्षेत्राधिकार और शक्तिया.

१७. वैधिक, वैकित्सिक तथा अन्य व्यवसाय.

१८. समाचारपत्र, पुस्तके तथा मुद्रणालय.

१६. उन्मत्तता (पागलपन), मानसिक विक्षेप, जिसमें उन्मत्तो (पागलों) तथा विक्षिप्तो के उपचार तथा रखने के लिये स्थान भी सम्मिलित है.

२०. विष तथा भयानक भेषज

२१. यन्त्रचालित वाहन.

२२. बाष्पित्र.

२३. पशुओ के प्रति निर्दयता की रोक.

२४. आवारागर्दी, यायावर तथा प्रव्राजी जातिया.

२५. निर्माणिया (कारखाने)

२६ श्रमिको का कल्याण, श्रम के प्रतिबन्ध; प्रावधायी प्रणीवि, सेवायोजको की देयता और कर्मकारो की हान्पूर्ति, असामर्थ्य उत्तरवेतन सहित स्वास्थ्य-आगोप; वृद्धावस्था के उत्तरवेतन.

२७. वृत्तिहीनता और सामाजिक आगोप.

२८. व्यापार सघ ; औद्योगिक तथा श्रमविवाद.

२९ मनुष्यो, पशुओ तथा उद्भिवो पर प्रभाव डालने वाले सार्सर्गिक तथा सात्स्पर्शिक रोगो तथा विनाशी कीटो के एक राज्य से दूसरे में फैलने की रोकथाम

३०. बिजली

३१. अन्तर्देश जलमार्गों पर यन्त्रचालित पोतो का परिवहण तथा तरण, और ऐसे जलमार्गों पर रथ्यानियम, और राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानो के अधीन, अन्तर्देश जलमार्गों पर यात्रियो तथा वस्तुओ का ले जाया जाना

३२. चलचित्रो का प्रदर्शन के लिये समोदन

३३ सघ के प्राधिकार के अधीन अवरुद्ध (प्रिवेन्टिव) व्यक्ति

३४. आर्थिक तथा सामाजिक उपक्रमण

३५ वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर सघ अथवा किसी राज्य के प्रयोजनार्थ अवाप्त अथवा अधियाचित सम्पत्ति के लिए स्थानेदेय (मुआविजा) का निश्चय हो

३६ इस सूची के विषयो में से किसी के प्रयोजनार्थ परिपृच्छाएँ तथा समक

३७ इस सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क नहीं.

अष्टम अनुसूची

(अनुच्छेद ३०३ (१) (भ))

अनुसूचित वन जातियाँ

भाग १

मद्रास

१. बगता

२ भत्ताडा (भूतगडा).—बडा भट्टियाडा, मुधिया भट्टाडा और सन भत्ताडा (छोटा)

३ भूमिया—भूर भूमिया और वडा भूमिया

४ बिसूए (बशई)—बारजी जोरया, बेनागी दादुवा, फरगी, होलर, झोरया, कोल्लए, कोडे, पारगा, पेगा जोड़िया, सोडो जोडिया और ताकोरा

५ ढक्काडा.

६ डोम्वा—अन्दनिया डोम्वा, अन्दिनिया डोम्वा, चोनेल डोम्वा, क्रिस्चियन डोम्वा, मिरगानी डोम्वा, उडिया डोम्वा, पोनाका डोम्वा, तेरगा और उम्मिया

७ गदवा—वोडा या गोटूब, सेरलम गोटूव, फिराजी गोटूव, जोडिया गोटूव, अल्लारो गोटूब, पनगा गोटूव, और पागी गोटूव

८ घासी (उनका दूसरा नाम हदी है).—वडा घासी और सद घासी

९ गोदी या गोद—मधीया गोद और राज गोद

१० गावडा—भट गावडा, भरतिया गावडा, दूधकरिया, हाट गावडा, जातक गावडा और जोडिया

११. कावसलिया गावडा—बोसोथरिया गावडा, चिट्टी गावडा, दगायत गावडा (दोदू कमरिया), (दूदू कामारो), लारिया गावडा और पल्लोसोरिया गावडा

१२. मगत गावडा—बनिया गावडा, बोडो मगाथा, डोगायाथ गावडा, लाडिया गावडा, पोन्ना मगाथा और साना मगाथा.

१३. सीरिथी गावडा

१४. हलावा.

१५. जाडापूय.

१६. जातापूय:

१७. कम्मारा.

१८. खत्ती—खत्ती कोमारो और लोहारा

१९ कोदू

२० कोम्मार

२१. कोन्डा दोरा.

२२ कोडा कापू

२३. कोडा रेडी

२४ कोद या कोद—देशिया कोंद, दाग्रिया कोद, कुठिया कोद, टिकरिया कोद और एनादी कोद

२५ कोटिया—बर्तिका, बेत उडिया, धुलिया या दुलिया, हालावा पाएका, पूतिया, सन्नारन्ना और सिधू पायको

२६ कोया या रास कोया गावडा राजा, लिंगधारी उसके पथो सहित,—कोयास (साधारण) और कोट्टू कोयास

२७ मादीगा

२८ मालाया या कोडिया मालाय या वाल्मीकि

२९ माली—कोरजिया माली, पैंकोमाली और पद्दा माली

३० मन्ने दोराया.

३१. मने दोरा

३२. मूक दवारा, नूक दवारा

३३ मूली या मूलिया

३४ मूरिया

३५ ओजलू या मट्टिया कसाली

३६ इमनातिया

३७ पैंगारापू

३८ पलासी

३९ पल्ली

४० पेटियास

४१ पोराजा—बोडो, मुण्डा, दारूवा, दिदवाई या कोर, जोडिया, मुन्दिली, पेंगू पीडी और सालिया

४२ रेड्डी दोरा

४३. रल्ली या सचान्दी

४४ रडाई

४५. सवरा—कापू सवरा, कुटिया सवरा, और मालिया सवरा.

४६. लक्शिम, मीनीकाय और अमीनदीवी द्वीपो के निवासी

भाग २

बम्बई

१. बर्दा.
२. बबचा.
३. भील.
४. चोधरा.
५. धनका.
६. धोदिया.
७. दुबला.
८. गामिट अथवा गमटा.
९. गोंड.
१०. काठोडी अथवा कटकरी.
११. कोकना.
१२. कोलीमहादेव.
१३. मावची.
१४. नायकडा अथवा नायक.
१५. पारधी जिसमें अदवीचिंचेर और फासे पारधी भी सम्मिलित हैं.
१६. पटेलिया.
१७. पोमला.
१८. पोवार.
१९. रथावा.
२० तडवी भिल्ल.
२१. ठाकुर.
२२. वडवई.
२३. वर्ली.
२४. वसावा.

भाग ३

पश्चिमी बंगाल

१. भोट.
२. चाकमा.
३. कूकी.
४. लेपचा.
५. मुंडा.
६. मग.
७. म्रो.
८. ओराव.
९. सथाल.
१०. तिपेरा.
११. पश्चिमी बंगाल के शासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वनजाति.

भाग ४

संयुक्त प्रांत

१. भुइया.
२. बैसवार.
३. बैगा
४. गोंड
५. खरवार.
६. कोल.
७. ओझा.
८. संयुक्त प्रांत के शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कोई जाति.

भाग ५

पूर्वी पंजाब

स्पीति में तिब्बती और कांगडा जिले में लौहोल.

भाग ६

बिहार

१. बिहार-राज्य का निवासी जो निम्न जातियो में से किसी का सदस्य हो—

१. असुर.
२. बजारा.
३. बथुडी.
४. बेंटकर.
५. बिझिया.
६. बिरहोर.
७. बिरजिया.
८. चेरो.
९. चिक बराइक.
१०. गडाबा.
११. घटवार.
१२. गोंड.
१३. गोरैंट.
१४. हो.
१५. जुआंग.
१६. करमाली.
१७. खरिया.
१८. खरवार.
१९. खेंतौडी.
२०. खोंड.
२१. किसान.
२२. कोली.
२३. कोरा.
२४. कोरवा.
२५. महली.
२६. मल पहाडिया.
२७. मुंडा.
२८. ओरांव.
२९. पढिया.
३०. संताल.
३१. सौरिया पहाडिया.
३२. सवार.
३३. थारू.

२. निम्न मंडलों अथवा आरक्षी स्थात्रो (पोलीस-स्टेशनों) में से, अर्थात्, रांची, सिहभूम, हजारीवाग और संताल परगनो के मंडलो और मानभूम मंडल के अरशा, बलरामपुर, झलडा, जैपुर वाघ-मुंडी, चदिल, इछागढ, बराहभूम, पटमदा वांदुआं और मन बाजार, के आरक्षी स्थात्रो की निम्न वनजातियो में से किसी एक का सदस्य:—

१. बाउरी.
२. भोगटा.
३. भुइया.
४. भूमिज.
५. घासी.
६. पान.
७. रजवार.
८. तूरी.

३. धनवाद उपविभाग या मानभूम जिले के किसी निम्न आरक्षी-स्थात्रों, अर्थात् पुरुलिया, हुरा, पंच, रघुनाथपुर, सतुरी, निटूरिया, पारा, चस, चन्दन-कियारी और काशीपुर, के भूमिज वन-जाति का कोई निवासी.

भाग ७

मध्यप्रांत

१. गोंड.
२. कवार.
३. माड़िया.
४. मुड़िया.
५. हलबा.
६. परधान.
७. औराव.
८. बिझवाड़.
९. आंधा.
१०. भरिया भूमिया.
११. कोली.
१२. भटरा.
१३. बैगा.
१४. कोलाम.
१५. भील.
१६. भुंइहार.
१७. धनवार.
१८. भेना या बहेना.

१९. परजा.
२०. कमार.
२१. भुंजिया.
२२. नगारची.
२३. ओझा.
२४. कोर्कू.
२५ कोल.
२६. नगासिया.
२७. सवरा.
२८. कोर्वा.
२९. मझवार.
३०. खड़िया.
३१. सौंनता.
३२. कोढिया.
३३. निहाल.
३४. बिरहूल (बिरहोर).
३५. रौतिया.
३६. पांडो.

भाग ८

आसाम

निम्न जातियाँ तथा समुदाय :—

१. कचारी.
२. बोरो अथवा बोरो कचारी.
३. राभा.
४. मीरी.
५. लालुंग.
६. मिकिर.
७. गारो.
८. हजोनफी.
९. देवरी.
१०. अबोर.
११. मिशमी.
१२. दाफला.
१३. सिफो.
१४. खाम्पटी.
१५. कोई नागा अथवा कुकी वन-जाति
१६. आसाम के शासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वन-जाति अथवा समुदाय.

भाग ९

उडीसा

१. उडीसा के राज्य का निवासी जो निम्न-लिखित जातियो में से किसी का सदस्य हो—

१. बगाटा.
२. बनजारी.
३. चेचु.
४. गडब.
५. गोड.
६. जटापू.
७. खोड (कोंड).
८. कोंडा-दोरा.
९. कोया.
१०. परोजा.
११. सावोरा (सवार).
१२. ओरॉव.
१३. संताल.
१४. खड़िया.
१५. मुंडा.
१६. बनजारा.
१७. बिझिया.
१८. किसान.
१९. कोली
२०. कोरा.

२. निम्न किसी क्षेत्र अर्थात् कोरापुट और खोडमाल जिले और गजाम एजेन्सी का निवासी जो निम्न वन-जातियो में से किसी का अंग हो :—

१. डोम अथवा डोम्बो.
२. पान अथवा पानो.

३. संबलपुर का निवासी जो निम्न लिखित किसी भी वन जातियो का अंग हो :—

१. औरी.
२. भुइया.
३. भूमिज.
४. घासी.
५. टूरी.
६. पान अथवा पानो.

GPN—192—CP—5-7-48—2,000.

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	लकीर		अशुद्ध		शुद्ध
१	२६ (हिन्दी पत्र)		शब्द	...	शब्दो
२	१६ (हिन्दी पत्र)		अयहीन	...	अर्थहीन
३	२४ (हिन्दी पत्र)		म	...	में
२	२	...	अधिकार क्षेत्र	...	(अधिकार क्षेत्र) क्षेत्राधिकार
२	३	...	भारत	...	भारत,
३	पार्श्व टिप्पन	...	निमित	...	निर्मित
४	५	...	महापिता	.	माता पिता
५	३२	...	रुकावट	...	(अवरोध) बाधा
६	३	...	ह	...	है
६	४	...	रुकावट	...	(अवरोध) बाधा
६	२३	..	राज्यक्षत्र म	...	राज्यक्षेत्र में
६	३५	...	रुकावट न होगी	.	अवरोध न होगा
६	३६	...	हितो के लिये	..	हित में
७	३	...	आयन्त्रण	...	आयन्त्रणो का
७	११	...	विधि बनाने	.	विधि के बनाने
७	३२	.	रुकावट	...	अवरोध
६	५	...	शैक्षक	...	शैक्षिक
१०	१६	. .	और इस	..	और ससद् इस
११	२४	...	व्यय	...	वयस
११	३१	...	के	...	प्राप्त कराने के
१२	१	...	किसी	...	किसी दूसरे
१३	७	...	"इस" निकाला जाये		
१३	३३	...	स म	..	संख्या में
१४	१२	.	अपने	.	अपनी
१४	२०		से हटाया		से निष्कासित किया (हटाया)
१५	२	. .	वह, राज्य	...	वह, उस राज्य
१५	१६	...	निम्न	.	निम्न रूप में
१५	२८	.	"के रूप" निकाला जाये		
१५	२६	..	ह	..	हो
१६	३	. .	सदस्यो की समस्त सख्या की		समस्त सदस्यो की
१६	३५	..	अपना स्थान जैसी कि स्थिति हो,		जैसी कि स्थिति हो अपना स्थान,
१७	५	...	का पात्र न हो	.	को अयोग्यता न रखता हो
१७	७	...	इन में से किसी शासन	.	उक्त शासनो में से किसी

पृष्ठ	लकीर		अशुद्ध		शुद्ध
१७	२३	...	पदरिक्ति	...	पद की रिक्ति
१८	२३	...	हल्का करने	...	लघ्वादेशन
१८	२६	...	हल्का करने	...	लघ्वादेशन
१९	१७	...	इसके लिये	...	एतदर्थ (इसके लिये)
२१	३२	...	रजिस्टर	...	(रजिस्टर) पजीयित
२२	३३	...	के	...	के किसी
२२	३४	...	अन्य	...	अन्यथा
२३	५	...	होगा	...	हो
२३	१२	...	के कारण	...	के लिये
२३	२५	...	किया जा सके	...	किया जावे
२४	१	...	के कारण	...	के लिये
२४	१०	...	जब	...	जब कि
२४	१६	...	निश्चत	...	निश्चय
२४	२२	...	"अन्य" निकाला जाये		
२४	२५	...	वाले	...	वाले अन्य
२५	२४	...	ह	...	है
२६	५	...	अथवा	...	के अथवा
२६	२९	...	होग	...	होगे
२६	३४	...	होग	...	होगे
२७	७	...	जिसका	...	जिसको
२७	२७	...	"समय" निकाला जाये		
२८	४	...	ह	...	है
२८	१३	...	जायगा	...	जायेगा
२८	१५	...	जायगा	...	जायेगा
२८	१६	...	"लोकसभा को," निकाला जाये		
२८	१७	...	लौटा देगी	...	लोकसभा को लौटा देगी
२९	४	...	रक्षणा	...	रक्षण
२९	१८	...	"उस" निकाला जाये		
३२	६	...	विमर्श	...	परामर्श
३२	११	...	बनाई गई	...	बनाये गये
३२	२७	...	"भी" निकाला जाये		
३३	२०	...	हस्ताक्षर	...	हस्ताक्षरित
३३	३१	...	नही है	...	न हो
३३	३३	..	नही रह चुका है	...	न रह चुका हो
३३	३६	...	नहीं रह चुका है	...	न रह चुका हो
३४	३	...	न्याय पद	...	न्यायिक पद
३४	पार्श्व	...	सेवायुक्ति	...	नियुक्ति

पृष्ठ	लकीर		अशुद्ध		शुद्ध
३९	२९	...	वेतन, अधिदेय	...	वेतनो, अधिदेयो
४०	२०	...	वेतन, अधिदेय, उत्तर वेतन		वेतनो, अधिदेयो, उत्तरवेतनो
४०	२४	.	ससत्कृत किसी विधि	...	किसी सयत्कृत विधि
४१	१०	..	अथवा	...	तथा
४२	३	...	किया	.	किया (हटाया)
४२	६	.	शासक रूप में पदारूढ है		शासक के पद पर (रूप में पदारूढ) है
४२	२७		"उस" निकाला जावे		
४२	२८	. .	"उस" निकाला जावे		
४३	११	...	मन घटाय	.	में घटाये न
४३	१३	..	अपना	.	अपने
४६	१४	...	राज्य के	..	राज्य
४६	२५	.	से	.	का
४६	२६		से	...	का
४८	१२	.	के यथा	..	को यथा
४८	३५	. .	विचारापेक्षित	.	अपेक्षित विचारणीय
४९	९	..	बैठक	.	(बैठक) अधिवेशन
४९	११	...	अन्य	.	अन्यथा
४९	२५	.	कारण	...	लिये
५०	१		जब	.	जब कि
५०	७	.	निश्चित		निश्चय
५०	१०	. .	होगा	.	हो
५०	२०	..	कारण	. .	लिये
५०	२७	. .	जब तक	. .	जब कि
५०	२७	.	तब तक		तब
५०	३१	.	हो	..	है
५०	३३		हो	.	है
५१	४	..	प्रकार	.	तरह
५१	१०		सदस्यो	.	अन्य सदस्यो
५२	१०		गणना	.	सगणना
५२	१८	.	ससद् ने		उस राज्य के विधान मंडल ने
५२	३७	...	स्थित्यनुसार	.	(स्थित्यनुसार)
५२	३८	.	के, तीन		के, जैसी कि स्थिति हो, तीन
५३	२१		जब तक वे	.	वे जब तक
५४	९		ने उसको स्वीकार न कर लिया हो		(ने उसको स्वीकार न कर लिया हो) द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो

पृष्ठ	लकीर		अशुद्ध		शुद्ध
५४	१५	...	जो विधेयक,	...	कोई विधेयक जो,
५४	१६	...	सभा द्वारा	...	सभा से
५४	२३	...	बैठक	...	अधिवेशन
५४	२४	...	खंड की	...	खंड में की
५४	३१	...	जाये	...	जाता है
५४	३८	...	स्थापित	...	प्रस्थापित
५५	१५	...	ले	...	लेती है
५५	१८	...	न करे	...	नही करती
५५	२२	...	न जाये	...	नहीं जाता
५६	२	...	अर्थदंडो (जुर्मानो)	...	अर्थदड (जुर्माना)
५६	५	...	प्रयोजनो के लिये	...	प्रयोजनार्थ
५६	२२	...	पुरःस्थापन	...	पुरःस्थापित करने
५७	१५	...	जिसमें	...	जिनमें
५८	७	...	"उस पर" निकाले जायें		
५८	७	...	न हो सकेगा	...	के लिये खुली न रहेगी
५८	१०	...	न हो ...	...	नहीं है
५८	१७	...	में से ...	...	से
५९	२२	...	तया ...	...	तया
६०	२२	..	सकेगा ...	...	सकता है
६२	२३-२४	...	स्वहस्ताक्षरित तथा स्वमुद्रांकित		अपने हस्ताक्षरित और मुद्रांकित
६३	३२	...	के समक्ष अथवा उससे.		(के समक्ष) अथवा (उससे) उसके द्वारा
६४	५	...	के किसी ...	...	में किसी
६४	१०	...	बनाई हुई विधि में	...	बनाई विधि से
६४	१८	...	न अवकाश	...	न उसके अवकाश
६४	२३	...	के पालन ...	...	का पालन
६५	पार्श्व टिप्पन	...	विशेष ...	...	कुछ
६५	२७	...	रच्छा ...	...	पृच्छा
६६	१६	...	अन्तर्भूत ...	...	अन्तर्धृत
६६	२९	...	के भाग होगे	...	की भाग होगी
७२	२८	...	अधिकार क्षेत्र	...	क्षेत्राधिकार
७३	८, १३, १९, २२		अधिकार क्षेत्र	...	क्षेत्राधिकार
७३	२६	...	दीवानी ...	...	(दीवानी) व्यवहारिक
७५	१९, २०, २३, २४, २६		बनाई हुई ..	...	(बनाई हुई) निर्मित
७८	३०	...	हो ...	...	है
७९	२२	...	अन्तर्भूत ...	...	अन्तर्धृत

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
८२	५	प्रसग में	प्रसग से
८२	२८	इकट्ठी	सगृहीत (इकट्ठी)
८३	१	अन्य भूसम्पत्ति	अन्य सम्पत्ति विषयक भू-सम्पत्ति
८३	१५	कि नियत	विनिहित
८३	१७	नियोजिमे	नियोजित
८३	१८	राज्यो	राज्यो को
८३	२१	पर करो के	पर कर के
८५	३	के, लाभार्थ	के लाभार्थ,
८६	२, २२	प्रभृत	प्रभूत
९२	४	सकट	आशका (सकट)
९२	१७	जब	जहा
९८	१	बाध्य	अपेक्षा (बाध्य)
९८	१५	प्रभत	प्रभूत
९९	१३, १४	(उस . वाले)	उस वाले
१००	९		मारजिन तक वाक्य को हटाओ
१००	१२	अधिक से अधिक दो	दो से अनधिक (अधिक से अधिक दो)
१००	३३	जिले के	जिले के लिये
१०१	३	सम्बन्ध रखने वाले	सम्बद्ध
१०१	५	रेल	अयोमार्ग (रेल)
१०१	१६	योग्यता	कुशलता
१०१	२२	पूर्ववर्ती	पूर्वगामी
१०१	२५	बन्द	अन्त
१०१	२८	प्राप्त	प्राप्य
१०१	२९, ३१	में	का,
१०१	३८	एव	इस प्रकार
१०४	२	किया जाएगा	किया जायेगा (तदनुसार अर्थ किया जायेगा)
१०४	११	से	में से
१०६	१९	ह	है
१०६	२५	लगाया जायेगा	किया जायेगा
१०६	३९	म	में
१०५	१२	दिये अधिसूचन	दी हुई अधिसूचना
१०५	१३	प्रत्याभूतियो	प्रत्याभूतिया
१०५	२२	पूर्वोक्त	उक्त
१०७	१८, १९	(शासक को या)	शासक को या
१०८	३५	आपत्ति	आपत्ति (प्रश्न)

पृष्ठ	लकीर		अशुद्ध		शुद्ध
१०८	३७	...	जो	... ...	जिसे
१०८	३८	...	और पूर्व	... ...	और जो पूर्व
१०९	८	...	करने	... ...	किये रहने
१०९	२५	...	सम	... ...	समक्ष
११०	१	...	करने	... ...	किये रहने
११०	२२	...	का अध्यक्ष	......	का जो अध्यक्ष
११०	३०	...	करने	... ...	किये रहने
११०	पार्श्व टिप्पन	. .	"था" निकाला जाये		
११०	४०	..	करने	... ...	किये रहने
१११	७	...	करने	... ...	किये रहने
११३	५	...	"वे राज्य क्षेत्र जो" निकाले जायें		
११३	६	...	ज्ञात थे	... ...	ज्ञात राज्यक्षेत्र
११५	७	...	कोतथा	... ...	को तथा
११६	११	...	सद्यपूर्व	.. .	सद्य पूर्व
१२२	२९	...	अधिक का	...	अधिक के कारावास का
१२३	१३	...	सम्बद्धी	... ...	सम्बद्ध
१२३	३७	...	अन्तवृत	... ...	अन्तर्भूत
१२३	३९	. .	"उस" निकाला जाये		
१२४	६	...	"इस" निकाला जाये		
१२४	३१	...	अन्तर्भूत	... ...	अन्तर्भूत
१२४	३८	...	के	... ...	में
१२५	६	...	"उस" निकाला जाये		
१२५	३०	...	म ही	... . .	में ही
१२७	१	...	छठी	... . .	छठी (षष्ठ)
१२७	५	..	प्रस्तुत	... ...	उस (प्रस्तुत)
१२७	१७	. .	रिपोर्ट	.. ....	प्रतिवेदना
१३१	१३	...	कर निर्धारण	...	आगम निर्धारण
१३१	२२	...	व्योपार	...	वाणिज्य
१३४	१८	...	कमीशन	...	आयोग
१३५	४०	...	प्रदेश	...	क्षेत्र
१३६	३	...	(सूची १ संघसूची)	...	सूची—१ संघसूची
१३६	१९	...	से	...	ऐसे
१३६	२२, ३०, ३२		विदेशी	...	विदेशीय
१३६	२४	...	वाणिज्यदूतीय	...	कान्सोलर (वाणिज्यदूतीय)
१३६	३६, ३७	...	सामुद्रिक . . वायु में अपराध		वाह्य समुद्र तथा (वायु) नभ में, राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध की गई सामुद्रिक डकैतिया, घोरापराध तथा अपराध.

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
१३७	१	... निरोधा,	... निरोधा,
१३७	८	. . (प्रेशणालय)	. (प्रेशालय)
१३७	६, १०	... ,	... ,
१३७	१०	... वमानिक	... वैमानिक
१३७	२८	. . सब की रेलें	... सब अयोमार्ग (सब की रेलें);
१३७	३०, ३२	... छोटी रेलो	... गोण अयोमार्ग (छोटी रेलो)
१३७	३१	... ,	... ;
१३७	३६, ४०	... भारत आपरीक्षण विभाग	. ,
१३८	२७	... एजेन्सिया	... अभिकर्तृत्व (एजेन्सिया)
१३८	६	... विदेशी	. . विदेशीय
१३६	१०	... .	... ;
१३६	१२	... निर्वाचन,	... निर्वाचन ;
१३६	२०	... प्रवजन	... प्रव्रजन
१३६	२६	... मछली पकडना और पालना	मत्सन और माल्सिकी (मछली पकडना और पालना)
१३६	२७	. . तथा	... तथा विभाजन ,
१३६	३३	... करो	... वलिया
१३६	३५	. लेख-अशो	... लेख, अशो
१३६	३६, ३६	... कर	. . वलि
१३६	३८	... कर	... वलिया
१४०	२, ४	... कर	... वलिया
१४०	५	. . उपयोग	... उपभोग
१४०	६	... तथा प्रमीलक	... तथा अन्य प्रमीलक
१४०	६	... और प्रमीलक	. . और प्रमीलक ;
१४०	६	. . भेषज	. . भेषज ,
१४०	७	नहीं है	. नहीं है ,
१४०	७	... "किन्तु .	" नई लकीर आरम्भ होनी चाहिये.
१४०	१२	. "तथा" निकाला जाये	
१४०	१६	इन दोनो में अनुल्लिखित . .	में अनकित
१४०	२२	. ,	. ;
१४०	२७	. रेलवे	(रेलवे) अयोमार्ग
१४०	२६	प्रयोग	उपयोग
१४१	१, २	. पुस्तकालय . सन्थाए	राज्य द्वारा नियन्त्रित अथवा अर्थ सचारित पुस्तकालय, कौतुकालय और अन्य ऐसी सन्थाए.

पृष्ठ	लकीर		अशुद्ध		शुद्ध
१४१	२०	...	शिक्षा	...	शिक्षा,
१४१	२२	...	संचार	...	संचार,
१४१	२३	...	छोटी रेले	...	(छोटी रेले) गौण अयोमार्ग
१४१	२४	...	,	...	;
१४१	२४	...	अन्तर्देश जलमार्ग	...	अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात,
१४१	२५	...	"उन पर यातायात" निकाले जायें		
१४१	३१	...	जिस म	...	जिसमें
१४१	३३	...	तथा	...	;
१४२	७	...	२६.	...	२६. (मात्स्यिकी)
१४२	१०, १३	...	,	...	;
१४२	२७	...	वज्ञानिक	...	वैज्ञानिक
१४२	३७, ३८	...	कर	...	बलि
१४३	१, २	...	कर	...	बलि
१४३	३	...	अन्तर्देश	...	अन्तर्देशीय
१४३	५, ७	...	कर	...	बलि
१४३	८	...	मनुष्यो के	...	मानव
१४३	९	...	अन्य	...	और अन्य
१४३	२५	...	उपयोग	...	उपभोग
१४३	२८	...	वस्तुओ	...	चीजो
१४३	३३	...	के सम्बन्ध की	...	से सम्बद्ध
१४३	३६	...	नही	...	सम्मिलित नही
१४४	२	...	विधी	...	विधि
१४४	१०	...	विधान	...	सविधान
१४४	१६, १८, २२	...	,	...	;
१४४	२०	...	"तथा" निकाला जाये		
१४४	३१	...	करो	...	बलियां
१४५	७	...	,	...	;
१४५	१२	...	वृत्तिहीनता	...	सेवायुक्तिहीनता
१४५	१३	...	व्यापार	...	व्यापार (श्रमिक)
१४५	१६	...	बिजली	...	बिजली (विद्युत)
१४५	१७, १९	...	अन्तर्देश	...	अन्तर्देशीय
१४५	२१	...	अवरुद्ध	...	निवारक अवरुद्ध
१४५	२४	...	स्थानेदेय	...	स्थानादेय
१४५	२५	...	प्रयोजनार्थ	...	प्रयोजनार्थ (प्रयोजन के लिये
१४५	२७	...	शुल्क नहीं	...	शुल्क सम्मिलित नहीं

GPN—192—CP—11-8-48—2,000